



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 64

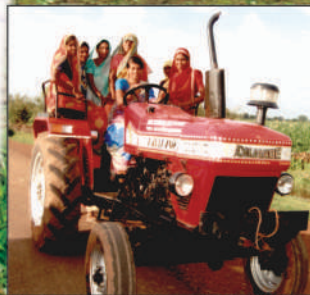
अंक : 3

पृष्ठ : 72

जनवरी 2018

मूल्य : ₹ 30

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण



वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017

महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री के उद्गार



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर, 2017 को हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन 2017 को संबोधित करते हुए

- इस बार का विषय 'गुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल' यानी सबकी समृद्धि के लिए पहले महिलाओं की समृद्धि, इस सम्मेलन को पहले के मुकाबले खास बनाता है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाएं शक्ति का अवतार— शक्ति की देवी हैं। हमारा मानना है कि हमारे विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है।
- हमारा इतिहास महिलाओं की उल्लेखनीय प्रतिभा एवं प्रतिबद्धता के उदाहरणों से भरा है। करीब सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्राचीन दार्शनिक गार्गी ने एक पुरुष संत को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी— जैसा उन दिनों पहले कभी सुना नहीं गया था। रानी अहिल्याबाई होल्कर और रानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी योद्धा रानियां अपने राज्यों को बचाने के लिए बहादुरी के साथ लड़ीं। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में भी ऐसे कई प्रेरणादायक उदाहरण भरे पड़े हैं।
- भारतीय महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नेतृत्व करती रही हैं। मार्स ऑर्बिट मिशन सहित हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में हमारी महिला वैज्ञानिकों का जबर्दस्त योगदान रहा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, दोनों भारतीय मूल की, अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा रही हैं।
- भारत के चार सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से तीन में अब महिला न्यायाधीश अध्यक्षता कर रही हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। खुद यह शहर 'हैदराबाद' सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा का घर है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया।
- भारत में हमने महिलाओं को न केवल ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया है बल्कि ज़मीनी-स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है।
- हमारे कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं। गुजरात में हमारी दुग्ध सहकारिता और श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं के नेतृत्व में काफी सफल एवं वैश्विक-स्तर पर प्रशंसित सहकारी आंदोलन के उदाहरण हैं।
- जीईएस में ही 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी महिलाएं हैं। अगले दो दिनों के दौरान आप कई ऐसी महिलाओं से मिलेंगे जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ अलग कर दिखाने की हिम्मत दिखाई। वे अब नई पीढ़ी की महिला उद्यमियों को प्रेरित कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श इस बात पर केंद्रित होगा कि महिला उद्यमियों को आगे किस प्रकार मदद की जा सकती है।



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 3 ★ पृष्ठ : 72 ★ पौष-माघ 1939 ★ जनवरी 2018

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये



इस अंक में

	ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: आगे की राह	राकेश श्रीवास्तव	5
	कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी	---	10
	राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी	---	11
	सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं	समीरा सौरभ	12
	राष्ट्रीय महिला नीति 2016	नीता एन	19
	महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर	---	23
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी	राजनाथ राम, शफकत मुबारक	24
	महिलाओं की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता	सिद्धार्थ झा	27
	स्वाधार-गृह - कठिन परिस्थितियों में घिरी महिलाओं के लिए योजना	---	32
	महिलाएं और पंचायतें	---	36
	बालिका शिक्षा से आएगी देश में समृद्धि	चंद्र भूषण शर्मा	38
	देश के सभी 640 जिलों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का विस्तार	---	41
	स्वस्थ महिलाएं : देश के विकास की नींव	मनीषा वर्मा	43
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	---	44
	किशोरियों से जुड़े मुद्दे	डॉ. संतोष जैन पासी, डॉ. सुखनीत सूरी	47
	सफलता की नई कहानियां गढ़ती कृषक महिलाएं	डॉ. जगदीप सक्सेना	50
	महिला चैम्पियंस: कलबुर्गी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान	---	56
	महिला सशक्तिकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू	डॉ. अर्चना शर्मा	58
	जनजातीय महिलाओं का कल्याण	---	63
	महिलाओं के लिए हस्तशिल्प में अपार संभावनाएं	अरुण तिवारी	64
	भारतीय महिला जैविक उत्सव - 2017	---	69

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें।
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: आगे की राह

—राकेश श्रीवास्तव

ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं—चाहे वे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हों, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए कि एक उज्ज्वल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, उनका मार्गदर्शन और पोषण किया जाए।

ग्रामीण भारत की आबादी में बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। गरीबी ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को अधिक दुष्प्रभावित करती है। महिलाओं की गरीबी आर्थिक अवसरों और स्वतंत्रता के अभाव से सीधे-सीधे जुड़ी है। निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कम होती है क्योंकि उन्हें आर्थिक संसाधन, शिक्षा और सहयोग आसानी से सुलभ नहीं होते। सभी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है, अतः क्षेत्र के हिसाब से उनकी अलग-अलग जरूरतें होती हैं। उनकी विविध जरूरतों को पूरा किए बिना समावेशी और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी असमानताओं, रोजगार के अवसरों के अभाव, संपत्ति पर मालिकाना हक न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे घरेलू हिंसा की शिकार भी होती हैं। वहीं पुरुषों की तुलना में उन्हें घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।

काम, अधिकारों और परिसंपत्तियों का यह असमान विभाजन उन्हें और भी कमजोर कर देता है। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आपदाओं के समय महिलाओं को ही अधिक पीड़ा और क्षति उठानी पड़ती है। खेती और पशुपालन में लगे कुल श्रम में महिलाओं का योगदान 66 प्रतिशत है। लेकिन जब बात आती है कि कौन-सी फसल बोयी जाए, कौन-सा पशु खरीदा या बेचा जाए, तो इन निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बहुत कम रहती है। भू-मंडलीकरण और बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था के इस दौर में सामान्य जन की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को मिलने वाली शिक्षा और तकनीक की खाई और भी बड़ी है।

ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच भी बड़ा अंतर विद्यमान है। कुल कार्य में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत है (2011 की जनगणना के अनुसार) जोकि शहरी महिलाओं की कार्य में भागीदारी (15.4 प्रतिशत) से

काफी ज्यादा है। लेकिन काम में इस ज्यादा भागीदारी के बावजूद ग्रामीण महिलाओं को जो लाभ मिलने चाहिए थे वे नहीं मिले। इससे न उनके शिक्षा के अवसर बढ़े, न ही संपत्ति या आय में कोई खास बढ़ोतरी हुई। वास्तव में, ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबद्ध महिलाओं की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं असंगठित क्षेत्र, कृषि और सहायक गतिविधियों, सूक्ष्म उद्योगों आदि में कार्यरत हैं। ये गतिविधियां कड़ी मेहनत वाली और कम आय वाली हैं। डिजिटल तकनीकों के आने के बाद डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में यह अंतर और भी बढ़ गया है।

भारत में खेती में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी खेती कार्यों में संलग्न है। इस आबादी द्वारा किए जाने वाले कुल कृषि कार्य का 70 से 80 फीसदी कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन, फिर भी उन्हें कानूनी और सामाजिक तौर पर किसान के रूप में मान्यता नहीं मिली है। खेती में होने वाले विभिन्न कामों में भी स्त्री और पुरुषों के काम पारंपरिक रूप से बंटे हुए हैं। जहां पुरुषों का जुताई और कटाई जैसी गतिविधियों में वर्चस्व है, जो इन दिनों काफी हद तक मशीनों से होने लगी हैं, वहीं महिलाएं ज्यादातर निराई, रोपाई और अंतर-फसल (इंटरक्रॉपिंग) जैसे कार्यों में लगी होती हैं, जिनमें कड़ी मेहनत लगती है। तकनीकी औजार

स्किलिंग इंडिया

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक सर्टिफिकेट महिलाओं को दिए गए।





महिलाओं के लिए आवास



ग्रामीण महिलाओं
के लिए दो लाख
से अधिक मकान
अनुमोदित

या तो उपलब्ध नहीं होते हैं या महिलाओं की उन तक पहुंच नहीं होती है।

कृषि में महिलाओं और पुरुषों, दोनों की ही भागीदारी आमतौर पर कम हुई है; परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट की दर निम्न है, जो दर्शाता है कि महिलाओं के पास खेती के बाहर अवसरों की कमी है। पुरुषों ने गैर-कृषि क्षेत्रों में अधिक विविधतापूर्ण व्यवसायों में प्रवेश किया है, वहीं महिलाएं अधिकतर कृषि कार्यों में ही संलग्न रही हैं, जिससे इस बात की आवश्यकता उजागर हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए खेती से बाहर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। महिलाओं को कृषि के मूल आधार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उन्हें उन संपत्तियों (खेतों) पर मालिकाना हक या नियंत्रण नहीं मिलता है, जहां वे काम करती हैं।

भारत में 18 प्रतिशत कृषक परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, लेकिन उन्हें जमीन के पट्टे या स्वामित्व हासिल करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केवल 12.78 प्रतिशत महिलाओं को खेतों का मालिकाना हक हासिल है (कृषि गणना 2011-12)। हकीकत में महिलाएं ही खेतों की मालिक हैं, परंतु उन्हें कानूनी तौर पर मालिकाना हक अक्सर नहीं दिया जाता है। नतीजतन, वे बीमा, बाजार, ऋण आदि अनेक सरकारी सुविधाओं से वंचित रहती हैं। अधिकारों को मान्यता न मिलने से न केवल अधिक सफल और उत्पादक किसान बनने की भारतीय महिलाओं की संभावनाओं को आघात पहुंचता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और फैसले लेने का अधिकार प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है। यदि महिलाओं को ये अधिकार मिलें तो इससे न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे समुदाय के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। अधिकांश महिला किसान जमीन के सीमित अधिकार के साथ छोटी और गुजर-बसर करने वाली कामगार

होती हैं। महिला किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने, उन्हें आजीविका, सम्मान और पहचान प्रदान करने की दिशा में उपाय करने की आवश्यकता है। साथ ही कृषि सेवाओं को उन तक पहुंचाना व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी जरूरी है। आज आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता संघों व निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाया जाए।

कृषि के अलावा सभी उद्योग समूहों में महिलाएं कम पैसों पर दैनिक मजदूर के तौर पर काम करती हैं। इसकी मुख्य वजह है कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है, उनके काम और कौशल को हम कम करके आंकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर देना भी उनके लिए अवसर कम कर देता है। लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण उद्यम महिलाओं से संबद्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ये अधिकांश उद्योग अनुबंधित गृह उद्योग हैं, जो मूल्य-श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित महिला कामगारों की श्रमिक-बल में अत्यल्प भागीदारी है और वे शिक्षा, विनिर्माण, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य तक सीमित हैं।

ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट है। वास्तव में, ग्रामीण महिलाओं की कार्य में ज्यादा भागीदारी उनके कल्याण के ऊंचे स्तर का संकेत नहीं है। कार्य में भागीदारी की ऊंची दर ग्रामीण महिलाओं के लिए तभी सार्थक समझी जाएगी जब उसके साथ उच्च शैक्षणिक क्षमताओं, कौशल, संपत्ति या आय का भी संयोजन हो। पूरे परिदृश्य से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं। ऐसी कई चुनौतियां हैं, जिनसे ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसर और नतीजतन उनका सशक्तिकरण सीमित हो जाता है।

ग्रामीण महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:-

- **शिक्षा का निम्न-स्तर :** ग्रामीण महिलाओं के सामने मुख्य समस्या उनकी शैक्षिक प्राप्ति का निम्न-स्तर है। ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता दर और स्कूलों से ड्रॉप-आउट दर काफी अधिक हैं। शिक्षा का अभाव देश की अन्य विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। कानूनी अधिकारों के बारे में कम जानकारी होने से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में रुकावट पैदा होती है। निरक्षरता महिलाओं को अनेक तरह से प्रभावित करती है। इसके कारण उनके कौशल और क्षमता का स्तर उच्च नहीं हो पाता, वे सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण और छूटों का लाभ नहीं उठा पातीं। अशिक्षा सरकार द्वारा कृषि तकनीकों का प्रसार करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए महिलाएं पुरुष कार्यकर्ताओं की



तुलना में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों में लगी हैं और अधिक काम करती हैं, लेकिन खेतों और आय सृजन गतिविधियों से संबद्ध निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कम है। वे परिवार में फैसले लेने में स्वायत्तता का आनंद नहीं ले पाती हैं या आर्थिक गतिविधियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद बच्चों की शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए फैसला लेने में स्वतंत्र नहीं होती हैं। अच्छी सड़कों की कमी, परिवहन और रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित जगहों पर भी महिलाएं नहीं जा पाती हैं जिसकी वजह से स्कूल/कॉलेज के होने के बावजूद भी शिक्षा केंद्रों तक पहुंचने में बाधा आती है।

- **डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण महिलाओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तक ठीक पहुंच न होने की वजह से पहले से ही मौजूद पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता और बढ़ जाती है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानताओं का नया रूप सामने आता है। डिजिटल साक्षरता के अभाव से महिलाओं के प्रति हिंसा नए रूप में सामने आती है और इससे मौजूदा जेंडर डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल असमानता और बढ़ जाती है। डिजिटल साक्षरता में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की क्षमता है।
- **प्रौद्योगिकियों तक ठीक पहुंच न होना:** सरकारी योजनाओं/कृषि विस्तार कार्यक्रमों के जरिए अनुकूल प्रौद्योगिकियों/उपकरणों और सेवाओं की महिलाओं तक पहुंच ठीक नहीं है। कृषि के क्षेत्र में अब तक किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि फसल उगाने, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और फसल कटाई के बाद की तकनीक में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और सार्वजनिक नीतियों के पैकेज तैयार करने वाले प्रभारी अधिकारियों में अक्सर महिलाओं की उत्पादक भूमिका की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति रहती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण में महिलाओं की भागीदारी की तरफ सरकार के वैज्ञानिक और प्रशासनिक, दोनों विभागों ने कम ध्यान दिया है।
- **कृषि के बाहर आजीविका के अवसरों की कमी:** ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए कृषि को जीवन निर्वाह की रणनीति के रूप में देखा जाता है। कृषि के ग्रामीण परिवारों के आर्थिक जीवन के लिए गैर-लाभकारी होते जाने की वजह से आय सृजन के लिए गैर-कृषि गतिविधियों का महत्व बढ़ रहा है। कृषि के साथ किसी दूसरे उत्पादन संबंधी कामों में महिलाओं को शायद ही कभी शामिल किया जाता है। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के बीच ठीक जुड़ाव के अभाव



ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण/आजीविका बढ़ाने के लिए मूल्य वृद्धि और बाजार संबंधों के लिए अवसरों को बाधित किया है। यद्यपि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी इनपुट आपूर्ति, तकनीकी सलाह, ऋण और सबसे महत्वपूर्ण कृषि संसाधन—भूमि तक पहुंच की कमी है। वे निरंतर बाधाओं का सामना कर रही हैं, जिनका स्वरूप सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक हो सकता है। इन सभी संसाधनों तक उनकी खराब पहुंच से विभिन्न कृषि पहलुओं पर उनके फैसले में बाधा आती है।

- **कौशल की कमी:** ग्रामीण महिलाएं सूक्ष्म/लघु उद्यमों या विनिर्माण में शामिल हैं, लेकिन अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शायद ही कोई महिला भागीदारी हो। अक्सर कौशल की कमी के कारण निर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडारण और सेवाओं से संबंधित अवसरों में महिलाओं की कम भागीदारी है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता:** ग्रामीण महिलाएं अलग-अलग वजहों से प्रभावित होती हैं। इनमें अक्सर जलवायु परिवर्तन और इससे संबंधित प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और तूफान से प्रभावित होती हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण ग्रामीण महिलाओं को खतरनाक स्थितियों/जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

- **विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य का अभाव:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं का आजीविका आधार मजबूत करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया गया है। खेती करने वाली महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्यक्रमों/योजनाओं/प्रोत्साहनों पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त समन्वय की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास बिखरे होने के साथ-साथ अलग-थलग हैं। इन सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं में सामंजस्य की कमी न केवल जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने के उनके अधिकारों को बाधित करती है, बल्कि सरकार के प्रयासों और संसाधनों के अनुकूलन में भी समस्या पैदा करती है।

सरकारी प्रयास

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (डीएयू- एनआरएलएम): आजीविका, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है। यह ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शामिल करके सार्वभौमिक सामाजिक जुड़ाव हासिल करना है। चिन्हित किए गए गरीब ग्रामीण परिवारों में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के तहत लाया जाता है। एनआरएलएम ने इन सभी कमजोर समुदायों तक पहुंचने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है ताकि वो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें।

ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सुधार के लिए इस आजीविका परियोजना के अन्य दो प्रासंगिक महत्वपूर्ण घटक हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

का लक्ष्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है, इसके साथ ही उन्हें नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार प्रदान करना है। यह अनेक पहलों में से एक है। इसमें पूर्ण सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज के वंचित समूहों को (जिनमें एक तिहाई महिलाओं का होना जरूरी है) को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) एक अन्य घटक है, जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करना और सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ाना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं में नेतृत्व की भावना को विकसित करने पर बल दिया गया है ताकि वो अपने गांवों के समृद्ध भविष्य के लिए लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। जमीनी-स्तर पर पिछले अनुभव से एहसास हो गया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महिलाओं को प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए ईडब्ल्यूआर द्वारा क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। एक सशक्त ईडब्ल्यूआर यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि महिलाएं अपने समुदाय में जमीनी-स्तर पर अपनी सीख को दूसरी महिलाओं के विकास में तब्दील कर सकती हैं। ज्ञान, जागरूकता और कानूनी सशक्तिकरण के इस झुकाव से उनके मूल अधिकारों और अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। स्थानीय-स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे विकास के मुद्दों पर ज्यादा प्रभावी हो सकता है, जिनकी ज्यादातर पुरुष सदस्य अनदेखी करते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके), अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की आय-सृजन गतिविधियों के लिए गिरवी रखे बिना किसी चीज को आसानी से माइक्रो-क्रेडिट यानी सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। आरएमके मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से महिला-एसएचजी के निर्माण व सशक्तिकरण, सूक्ष्म वित्तपोषण, उद्यम विकास, बचत और ऋण, निर्माण और सुदृढ़ीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन उपायों पर काम कर रहा है। स्वप्रबंधन के लिए समूहों के बीच नेतृत्व प्रशिक्षण, महिलाओं की व्यक्तिगत साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण के साथ, ऋण प्रबंधन की शिक्षा को भी एकीकृत किया गया है। ग्रामीण महिलाओं की सहायता





के लिए और उन्हें समन्वित समर्थन प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ने महिला शक्ति केंद्रों (एमएसके) को 'महिलाओं को संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन' के तहत उप-योजना के रूप में मंजूरी दी है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वयन के लिए एमएसके योजना को ग्रामीण महिलाओं के लिए एक इंटरफेस प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी विभागों के जरिए लाभ उठाने और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार से संपर्क करने की परिकल्पना की गई है। देश भर में चयनित जिलों/ब्लॉकों में ग्राम पंचायत-स्तर पर एक परिवेश बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक समान पहुंच के लिए अभिसरण प्रस्तावित किया जा रहा है जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से देश के सबसे पिछड़े 115 जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला शक्ति केंद्र ब्लॉक-स्तर की पहल में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों में पारस्परिक सहभागिता के लिए देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों की गणना की गई है। छात्र स्वयंसेवक विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक भूमिका निभाएंगे और एनएसएस/एनसीसी कैंडर छात्रों के साथ मिलकर एक विकल्प के तौर पर भी काम करेंगे। ब्लॉक-स्तर पर यह योजना विद्यार्थी स्वयंसेवकों को अपने स्वयं के समुदायों में परिवर्तन लाकर विकास प्रक्रिया में भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करेगी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा गया है और भारत की प्रगति में वे समान भागीदार हैं। राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक-स्तर, पर वेबसाइट/आईटी उपकरण निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्नोत्तरी, प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण के लिए वेब-आधारित/ऑनलाइन प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना (एनएआरआई) है, जो नागरिकों को सरकारी योजनाओं और महिलाओं हेतु की गई पहलों की जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ग्रामीण महिलाएं इन योजनाओं को स्वयं या ज़मीनी-स्तर पर सरकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की



सहायता से उपयोग कर सकती हैं। पोर्टल में करीब 350 सरकारी योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं महिलाओं के लाभ के लिए हैं और हर रोज नई सूचनाओं को जोड़ा जा रहा है। पोर्टल, महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अच्छे पोषण, स्वास्थ्य जांच के लिए सुझाव, प्रमुख रोगों पर जानकारी, नौकरी और साक्षात्कार, निवेश और बचत सलाह, अपराधों पर जानकारी और महिलाओं के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं और कानूनी सहायता। महिलाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर संपूर्ण जानकारी को नियमित आधार पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा। इसका उपयोग महिला शक्ति केंद्र कर्मचारियों द्वारा ग्राम-स्तर पर ग्रामीण महिलाओं द्वारा सरकारी योजनाओं के उपयोग को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

अन्य महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों को दिलाने जैसे पौष्टिक भोजन और पूरक आहार की उपलब्धता और सरकारी कार्यक्रमों में महिलाओं की समान भागीदारी जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई) और महिलाओं के कार्यस्थलों पर क्रेच आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हों, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है। समय की मांग है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उनका भविष्य उज्ज्वल है, उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए, उनका मार्गदर्शन और पोषण किया जाए।

(लेखक भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव हैं।)

ई-मेल : secy.wcd@nic.in



कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी

टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत महिलाओं को मिलेगा इस योजना से लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की समूची मूल्य शृंखला को शामिल करते हुए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। इसे 'कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)' नाम दिया गया है। इस योजना को 1300 करोड़ रुपये के लागत खर्च के साथ 2017-18 से लेकर 2019-20 तक की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे।



योजना का उद्देश्य : संगठित कपड़ा क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के संबंध में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मांग-आधारित, प्लेसमेंट संबंधी कौशल कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय के संबंधित संगठनों के माध्यम से कौशल विकास और कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन देना तथा देशभर के हर वर्ग को आजीविका प्रदान करना है।

कौशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाएगा—

1. श्रम शक्ति की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कपड़ा उद्योग/इकाई द्वारा,
2. कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के तहत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, और
3. कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के संबंध में कपड़ा मंत्रालय/राज्य सरकारों के संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

योजना के तहत निम्न रणनीति अपनाई जाएगी—

1. संबंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए कौशल लक्ष्य विभिन्न स्तरों के लिए तय कौशल में कमी से निर्धारित होंगे जैसे प्रवेश-स्तर के पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन/पुनः कौशल प्रशिक्षण (सुपरवाइजर, प्रबंधन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्नत प्रशिक्षण आदि, पहले सीखे हुए को मान्यता (आरपीएल), प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास।
2. उद्योग के साथ सलाह करके समय-समय पर कौशल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के हर पक्ष के संचालन के लिए वेब-आधारित निगरानी की जाएगी।
4. हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन, रेशम इत्यादि जैसे परम्परागत क्षेत्रों की कौशल संबंधी जरूरतों पर संबंधित क्षेत्रीय उपखंडों/संगठनों के जरिए विशेष परियोजनाओं के स्वरूप पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 'मुद्रा' ऋणों के प्रावधानों के जरिए उद्यमशीलता के विकास के संबंध में कौशल उन्नयन को समर्थन दिया जाएगा।
5. नतीजों की पड़ताल के लिए सफल प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मान्यता-प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
6. प्रमाणित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को दिहाड़ी रोजगार वर्ग में रखा जाएगा। योजना के तहत रोजगार मिलने के पश्चात उन पर अनिवार्य रूप से नजर रखी जाएगी।
7. इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी भागीदार संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, तभी वे इस योजना के तहत वित्तपोषण के पात्र होंगे।

यह योजना देशभर में समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए लागू की जाएगी, जिसमें ग्रामीण, दूरदराज के इलाके, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 12वीं योजना के दौरान कपड़ा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित कौशल विकास की तत्कालीन योजना के तहत 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं। इस योजना के तहत परिधान उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिलता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना में इसे शामिल किया गया है।

आशा है कि योजना के जरिए कपड़ा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वर्गों में 10 लाख लोगों का कौशल विकास होगा और उन्हें प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इनमें से एक लाख लोग परम्परागत क्षेत्रों में होंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने कई स्कीमों लागू की हैं। इन योजनाओं के बावजूद देश में कुपोषण तथा संबंधित समस्याओं का स्तर ऊंचा है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है किंतु कुपोषण से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल में कमी देखने में आई है। एनएनएम सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करके वांछित तालमेल को कायम करेगा। एनएनएम एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा।

प्रस्ताव में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योग्यताओं के योगदान का प्रतिचित्रण।
- योजनाओं में तालमेल हेतु सुदृढ़ तंत्र।
- आईसीटी आधारित लगातार निगरानी प्रणाली।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
- आईटी-आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रों के प्रयोग को समाप्त करना।
- आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई का मापन प्रारंभ करना।
- सामाजिक लेखा मूल्यांकन।
- पोषण पर जन आंदोलन के जरिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है।



- कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित 315 जिलों में प्रारंभ
- 2018-19 में 235 और जिलों में शुरू होगा
- 2019-20 में शेष जिलों में शुरू हो जाएगा

मुख्य प्रभाव

यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से लंबाई में वृद्धि न होने, अल्प-पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करेगा। इससे बेहतर निगरानी समय पर कार्यवाही के लिए सावधानी जारी करने में तालमेल बिठाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कार्य करने, मार्गदर्शन एवं निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लाभ एवं कवरेज

इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से अर्थात् 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।

वित्तीय परिचय

राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु वर्ष 2017-18 से प्रारंभ तीन वर्षों के लिए 9046.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका सरकारी बजटीय समर्थन (50 प्रतिशत) तथा आईबीआरडी अथवा अन्य एमडीबी द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषण होगा। केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन होगा। तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का कुल अंश 2849.54 करोड़ रुपये होगा।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी लाना है। हालांकि लंबाई में वृद्धि न होने को कम करने का लक्ष्य 2 प्रतिशत है।

सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं

—समीरा सौरभ

पिछले दो दशकों में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों को केंद्र के अंतर्गत अधिक समग्र और तीव्र मिशन के रूप में समेकित किया गया और उन्हें मिशन 'पूर्ण शक्ति' के अंतर्गत समायोजित किया गया। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे महिला-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए एकल विंडो की व्यवस्था करता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने महिला सक्रियता को ऑनलाइन रूप में मजबूती प्रदान की है। डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाएं महिलाओं के लिए ई-लर्निंग (यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा) के अवसर प्रदान कर रही हैं और महिलाओं के लिए आय के साधन सृजित कर रही हैं।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे स्थायी विकास के लिए अपेक्षित रूपांतरकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों को अंजाम देने में एक उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करती हैं। किंतु उन्हें ऋण, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक सीमित पहुंच सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक खाद्य और आर्थिक संकटों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं।

विश्वभर में कृषि श्रमिकों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को देखते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

हर रोज अनेक प्रकार की भूमिकाएं अदा करती हुई, महिलाएं निसंदेह समाज की रीढ़ हैं। परंतु, यह भी सही है कि दुनिया के अनेक भागों में वे समाज का उपेक्षित हिस्सा रही हैं। उनकी न्यायोचित और गरिमापूर्ण हैसियत बहाल करने के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण महिलाओं की अंतर्निहित शक्ति और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक ठोस बुनियाद रखी जा सके। जीवन में प्रगति करने में एक प्रेरक के रूप में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने सदियों से लगे प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए महिलाओं को एक वांछित मंच प्रदान किया है, जहां वे मुक्त होकर पुरुषों के समान विकास कर सकती हैं।

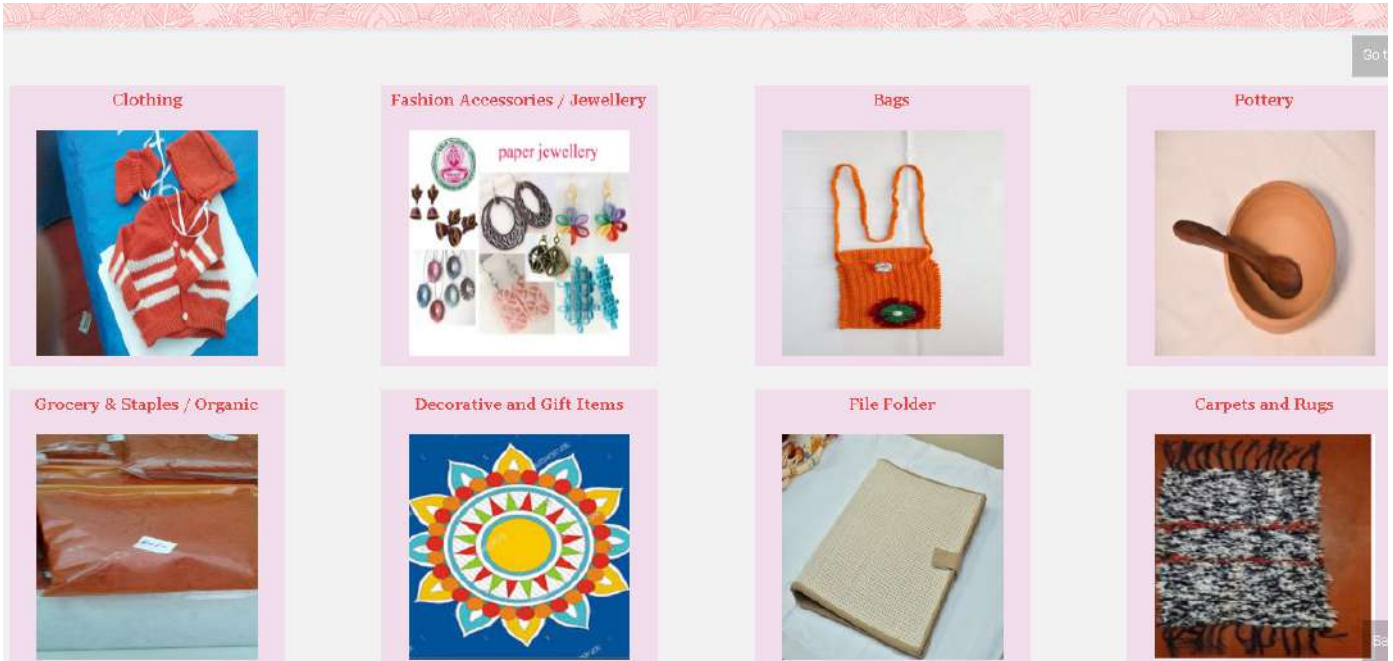
पिछले दो दशकों में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों को केंद्र के अंतर्गत अधिक समग्र और तीव्र मिशन के रूप में समेकित किया गया और उन्हें मिशन 'पूर्ण शक्ति' के अंतर्गत समायोजित किया गया। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे महिला-उन्मुख

कार्यक्रमों के लिए एकल विंडो की व्यवस्था करता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने महिला सक्रियता को ऑनलाइन रूप में मजबूती प्रदान की है। डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाएं महिलाओं के लिए ई-लर्निंग (यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा) के अवसर प्रदान कर रही हैं और महिलाओं के लिए आय के साधन सृजित कर रही हैं।

इस बीच, देश के भीतरी भागों में गुलाब गैंग (2013 की एक फिल्म, जिसमें एक महिला समर्थक सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती है और शोषित महिलाओं के लिए एक मंच सृजित करती है) का वास्तविक संस्करण उपलब्ध है, जिसमें सामाजिक पक्षपातों और शोषण के विविध रूपों के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया गया है। इस आंदोलन ने अपनी कार्यसूची में बालिकाओं की शिक्षा को शामिल करते हुए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है।

ग्रामीण महिलाएं हमेशा भारतीय समाज का एक उपेक्षित वर्ग रही हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि कार्यों में 86.1 प्रतिशत महिलाएं संलग्न हैं, जबकि इस व्यवसाय में पुरुषों की भागीदारी 74 प्रतिशत है। परंतु, महिलाओं को खेती में पारंगत बनाने के लिए





महिला ई-हाट की वेबसाइट पर ऑनलाईन बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुएं

कोई कौशल विकास कार्यक्रम शायद ही चलाया जा रहा हो। 7.1 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं विनिर्माण क्षेत्र में काम करती हैं, जबकि इस क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी 7 प्रतिशत है, यानी महिलाओं से कम है। अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी कम होती है। ग्रामीण पुरुषों को निर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडारण और सेवाओं में काम करने के अवसर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण महिलाएं इन क्षेत्रों में काम करने से वंचित रहती हैं। स्वाभाविक है कि उनके लिए कौशल अर्जित करने के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि वे इन नए उभरते हुए व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य कौशल अर्जित कर सकें। अधिसंख्य ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक गरीबी का सामना करती हैं बल्कि उन्हें सूचना के अभाव की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक श्रमिक हैं। विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका का आकलन करने में सांख्यिकीय पक्षपात किया जाता है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक घंटों तक काम करती हैं और परिवार की आय को स्थिरता प्रदान करने में योगदान करती हैं, लेकिन उन्हें उत्पादक श्रमिक नहीं समझा जाता है (पंकजम और ललिता, 2005)।

समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वभर में लिंग समानता आंदोलन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। देश के ग्रामीण हिस्सों में वेतन असमानताएं हमेशा प्रचलित रही हैं, परंतु कुछ गतिविधियों के क्षेत्र में यह अंतराल बहुत अधिक है। वर्ष 2004-05 के अंत में जुताई जैसे कार्यों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को 70 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा था, मार्च, 2012 के अंत में यह अंतराल बढ़ कर 80.4 प्रतिशत और 2013-14 के

प्रारंभ में बढ़ कर 93.6 प्रतिशत हो गया। कुआं खोदने के कार्य में मार्च 2005 में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक पारिश्रमिक दिया जा रहा था। यह अंतर 2013-14 में बढ़ कर करीब 80 प्रतिशत हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 तक दिहाड़ी में अंतर कुल मिलाकर स्थिर था। हालांकि 2000 के दशक के प्रारंभ में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। 2013 में यह देखा गया कि बुआई और जुताई जैसी गहन शारीरिक गतिविधियों में महिलाओं को अदा की जाने वाली दिहाड़ी में भेदभाव बहुत अधिक था। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “महिलाओं की स्थिति को देखकर आप उस राष्ट्र की स्थिति के बारे में बता सकते हैं।”

ग्रामीण भारत में गिनी-चुनी महिलाओं का स्वामित्व भूमि अथवा उत्पादक परिसंपत्तियों पर होता है। इससे उन्हें बैंक आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अधिसंख्य कृषि श्रमिक महिलाएं हैं और उन्हें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम के कार्य सौंपे जाते हैं। पुरुष ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं, जिनमें मशीनरी शामिल होती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के ‘स्वयंसहायता और बचत समूहों’ में वृद्धि हो रही है और उनकी कार्यक्षमता सराहनीय है। परंतु, उन्हें कोई बाहरी वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ताकि वे इन समूहों का शुभारंभ और संचालन कर सकें। महिलाओं की जमाराशियां बढ़ी हैं और निकटवर्ती ग्रामीण बैंकों में जमा हैं। बैंक उनकी नियमितता और स्पष्ट लेखा विधि की सराहना करते हैं। महिला सदस्यों को ऐसे प्रयोजनों के लिए धन निष्कासित करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, जो अधिक धन से उत्पादक बनाए जा सकते हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था : “यदि आप एक पुरुष को शिक्षित बनाते हैं, तो एक व्यक्ति को शिक्षित बनाते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित बनाते हैं, तो एक परिवार को शिक्षित बनाते हैं”। भारत के संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकार सर्वशिक्षा अभियान (जिसका लक्ष्य उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है) जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के प्रयास कर रही है। महिलाओं को शिक्षित बनाने में धन हमेशा रुकावट नहीं बनता है और यह कार्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा को मील का पत्थर समझा जाता है, क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, अपनी परंपरागत भूमिका से संघर्ष करने तथा अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद भारत में लिंग भेदभाव बने हुए हैं और देश में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महिलाओं में व्यापक संभावनाएं एवं क्षमता है, जिसका पूर्ण इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। शिक्षा मानव विकास का निवेश और उत्पादन दोनों है, अतः शैक्षिक समानता से उद्यमिता विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता का स्तर 65.46 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों की साक्षरता 80 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जब महिलाओं की साक्षरता मात्र 8 प्रतिशत थी, लेकिन बढ़ती आबादी की गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए महिलाओं की शिक्षा का स्तर पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4.5 प्रतिशत पुरुष और 2.2 प्रतिशत महिलाएं स्नातक और उससे अधिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 17 प्रतिशत पुरुष और 13 प्रतिशत महिलाएं यह लक्ष्य पूरा करती हैं।

ये ब्यौरे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 71वें दौर से लिए गए हैं; जो जनवरी से जून, 2014 की अवधि में कराया गया था और उसका विषय था – ‘सामाजिक उपभोग – शिक्षा’। इस सर्वेक्षण में समूचे देश को कवर किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,577 गांवों के 36,479 परिवारों से तथा शहरी क्षेत्रों में 3,720 शहरी ब्लॉकों के 29,477 परिवारों से नमूने लिए गए थे। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश में 7 वर्ष और उससे

ऊपर की आयु के समूह में साक्षरता दर 75 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में यह 86 प्रतिशत थी। साक्षरता से परे जाकर शिक्षा महिला अधिकारों, उनकी गरिमा और सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है।

महिला सशक्तिकरण में महिला शिक्षा की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण की धारणा एक अद्यतन विचार है। नई सहस्राब्दि के प्रथम वर्ष 2001 को “महिला सशक्तिकरण वर्ष” घोषित किया गया था। महिलाओं की शिक्षा एक बेहतर परिवार के निर्माण में मदद करती है और अंततः एक आदर्श समाज और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान करती है। यूनेस्को के नए आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षा विकास में रूपांतरित होती है। इसमें कहा गया है कि :

- यदि सभी बच्चों की शिक्षा तक समान पहुंच होगी, तो अगले 40 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 23 प्रतिशत का इजाफा होगा।
- यदि सभी महिलाएं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं, तो बाल-विवाह और बच्चों की मृत्युदर में छठे भाग के समान और प्रसूति मौतों में दो तिहाई कमी लाई जा सकती है। यूनेस्को के नए विश्लेषण से पता चलता है कि :
- **महिलाओं को सशक्त करती है शिक्षा :** शिक्षित लड़कियों और युवतियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी अधिक होगी और उनमें अधिकारों का दावा करने का आत्मविश्वास भी अधिक होगा।
- **शिक्षा से समरसता को प्रोत्साहन :** शिक्षा लोगों में लोकतंत्र की समझ विकसित करने, सहिष्णुता और उसमें निहित विश्वास को बढ़ावा देती है तथा लोगों को अपने समुदायों की राजनीतिक जिंदगी में भागीदारी अदा करने के लिए प्रेरित करती है।



- **शैक्षिक समानता से रोजगार के अवसरों में सुधार और आर्थिक विकास में वृद्धि :** यदि सभी बच्चों की शिक्षा तक समान पहुंच होगी, तो उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि होगी, जिसका अनुकूल प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। अगले 40 वर्षों में उन देशों में प्रति व्यक्ति आय में 23 प्रतिशत इजाफा होगा, जिनमें शिक्षा की दृष्टि से समानता होगी।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

अनिवार्य मानव संसाधन के रूप में महिलाओं के महत्व को भारत के संविधान में मान्यता दी गई, जिनमें न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया, बल्कि सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण की भी बात कही गई। संविधान के अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और निर्णय करने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने से संबंधित हैं। ये हैं :

- अनुच्छेद 14 के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार और अवसर हैं।
- अनुच्छेद 15(1) धर्म, नस्ल, लिंग, जाति आदि आधारों पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही है।
- अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों के लिए सरकारी नियुक्तियों के मामले में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- अनुच्छेद 39(घ) पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 42 के अनुसार सरकार कार्यस्थल पर न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करेगी तथा प्रसूति लाभ की व्यवस्था करेगी।

सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं। ये हैं :

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है।
- दहेज निवारण अधिनियम, 1961, जो दहेज लेने को अवैध गतिविधि करार देता है और इस तरह महिलाओं के शोषण की रोकथाम करता है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जो समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों के समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर गर्भपात को किसी महिला के कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983, जिसका लक्ष्य महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम करना है।
- महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतिकरण (प्रतिबंध) अधिनियम,

1986, जो समाचार-पत्रों, सिनेमा, टेलीविजन आदि मीडिया मंचों पर महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाता है।

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 जो परिवार में होने वाली किसी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत महिला अधिकारों के कारगर संरक्षण का प्रावधान करता है।

भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए हैं, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं :

आजीविका कौशल : ग्रामीण निर्धन युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून, 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। एनआरएलएम के अंतर्गत एक उप-मिशन के रूप में आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का विकास ऐसे ग्रामीण युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है, जो निर्धन हैं और अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं।

एसडीपी निर्धन समुदायों के युवाओं को कौशल-उन्नत बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे कुशल श्रमिकों में शामिल होते हुए अर्थव्यवस्था के विकासमान क्षेत्रों में योगदान कर सकते हैं। प्रशिक्षण और रोजगार के कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर-सरकारी और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी के साथ संचालित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, संगठनों और नियोक्ताओं के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2017 तक असंगठित क्षेत्र में 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- ग्राहक की जरूरत के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
- व्यवसाय संबंधी कौशल, आईटी और साफ्ट स्किल्स के बारे में न्यूनतम 624 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, अल्पसंख्यक समुदायों और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित चिंताजनक जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों की देखरेख में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसमें न्यूनतम दिहाड़ी पर 75 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को सुनिश्चित प्लेसमेंट।
- नियुक्ति परवर्ती सहायता
- प्रशिक्षण के दौरान भोजन और परिवहन सहायता प्रदान की जाती है।

महिला ई-हाट :- (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल महिला ई-हाट

का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर 10,000 स्वयं-सहायता समूहों के अंतर्गत 1,25,000 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल की स्थापना राष्ट्रीय महिला कोष से 10 लाख रुपये के निवेश से की गई है। यह कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। विक्रेता अपने उत्पादों को पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके लिए कोई लिस्टिंग शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

पंजीकरण के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि विक्रेता महिला हो अथवा किसी स्वयंसहायता समूह की महिला सदस्य हो और उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। यह प्रावधान बाल मजदूरी की समस्या समाप्त करने के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी विक्रेताओं को अपने उत्पादों पर महिला ई-हाट का लोगो प्रदर्शित करना होगा। इंडिया पोस्ट के साथ किए गए अनुबंध से महिला उत्पाद विक्रेताओं को लदान प्रयोजनों के लिए निकटवर्ती डाकघर का पता लगाने में मदद मिलती है। उद्यमी इंडिया पोस्ट के साथ एक क्रेता अनुबंध भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें बल्क खेपों पर डिस्काउंट पाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) : यह कार्यक्रम 16 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए देशभर में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान राज्यों/संघशासित प्रदेशों को न देकर गैर-सरकारी संगठन सहित किसी संस्थान/संगठन को सीधे प्रदान किया जाता है। स्टेप कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सक्षमता और उद्यमशीलता बढ़ाने से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, टेलरिंग, स्टिचिंग, कशीदाकारी, जरी आदि क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाती है, लेकिन मात्र इन्हीं तक सीमित नहीं है। हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स सहित आईटी सक्षम सेवाएं एवं इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कार्यस्थल संबंधी कौशलों, रत्न एवं आभूषण, यात्रा एवं पर्यटन, आतिथ्य जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन कार्यक्रम :- सरकार महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को स्थिरता प्रदान करने के उपाय करती है। नतीजतन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और अधिकाधिक महिलाएं लाभकारी रोजगार में संलग्न हैं, जो अपने घरों में या घर से बाहर जाकर काम करती हैं। बढ़ते औद्योगिकरण और शहरी विकास के कारण शहरों में प्रवास में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में वृद्धि हुई है और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है। अतः कामकाजी महिलाएं जो पहले अपने मित्रों और संबंधियों से मदद लेती थीं, अब उन्हें ऐसी देखभाल सेवाओं

की आवश्यकता पड़ती है, जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और संरक्षण प्रदान कर सकें।

छोटे बच्चों के लिए ऐसी प्रभावकारी डे-केयर सुविधा अनिवार्य है, जो लागत की दृष्टि से किफायती निवेश हो, क्योंकि इससे माताओं और छोटे बच्चों, दोनों को सहायता मिलती है। समुचित डे-केयर सेवाओं में अभाव के कारण अक्सर महिलाओं को बाहर निकलने और काम पर जाने में रुकावट पैदा होती है, अतः संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/शिशु सदनों की गुणवत्ता में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है। संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई डे-केयर सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं, जो विभिन्न कानूनों (फैक्टरीज़ अधिनियम 1948, माइंस एक्ट 1952, बागान अधिनियम, 1951, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1980 और मनरेगा, 2005 आदि डे-केयर के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं) के तहत उन्हें प्रदान की जाती हैं। दूसरी तरफ, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की जरूरतें अभी भी बड़े पैमाने पर नजरअंदाज की जाती हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला नीति 2001 और बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना 2005 में भी बाल देखरेख सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए महिला एवं बाल अधिकार एजेंसी की संचालन समिति ने अनुशंसा की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाए और उन्हें आंगनवाड़ी एवं शिशु सदनों में तब्दील किया जाए और/या कानूनों में संशोधन किया जाए, विभिन्न लचीले मॉडलों के विकल्प अपनाए जाएं और आरजीएनसीएस की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाए। इस तरह अगली पंचवर्षीय योजना में अग्रसारित करने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनका परीक्षण किया जा सकता है और उन्हें अगली पंचवर्षीय योजना के लिए अग्रसारित किया जा सकता है, ताकि बच्चों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए समुदाय-आधारित सुरक्षित और पालन-पोषण के उपयुक्त स्थल प्रदान किए जा सकें। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य देश में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शैशव में देखभाल सेवाओं पर महत्वपूर्ण असर डालना है।

निष्कर्ष

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है। ऐसा करना न केवल व्यक्ति, परिवारों और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए आवश्यक है, बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर, इसे देखते हुए कि विश्वभर में कृषि श्रमिकों में महिलाओं की व्यापक मौजूदगी है।

(लेखिका भारत सरकार के गृह मंत्रालय में निदेशक हैं।)

ईमेल sameera.saurabh@gmail.com

मानुषी छिल्लर : मिस वर्ल्ड 2017

भारत की मानुषी छिल्लर को हाल ही में मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया। उन्होंने 2000 में प्रियंका चोपड़ा के विश्व सुंदरी चुने जाने के 17 वर्ष बाद यह सफलता हासिल की है। मानुषी के पिता डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक हैं, जबकि मानुषी भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनीपत, हरियाणा में मेडिकल की विद्यार्थी हैं। उनकी मां न्यूरो कैमिस्ट्री विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं।

सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रश्नोत्तरी खंड के दौरान सुश्री छिल्लर से यह पूछा गया था कि उनके विचार में कौन से व्यवसाय में सबसे अधिक वेतन मिलना चाहिए और क्यों? उन्होंने इसके उत्तर में कहा था कि “मेरा विचार है कि एक मां सर्वाधिक सम्मान पाने की हकदार है। और जब आप वेतन की बात करते हैं, तो वह हमेशा नकदी के रूप में हो यह जरूरी नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है कि प्रेम और सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, जो आप किसी को देते हैं। मेरी मां मेरे लिए जीवन में हमेशा सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक त्याग करती हैं। अतः मैं यह मानती हूं कि मां का काम ऐसा है, जो सर्वाधिक वेतन पाने का हकदार है।”

मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के लिए मानुषी ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किया। उन्हें अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई और इस प्रतियोगिता की तैयारी दोनों के बीच संतुलन कायम करना था। प्रतियोगिता से पहले के महीनों के बारे में उन्होंने बताया कि “उन दिनों अन्य विद्यार्थी छात्रावास में जब सो रहे होते थे, तो मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठती थी और लौट कर कक्षाएं अटेंड करती थी। तैयारी के दौरान मेरा यह प्रयास रहा कि बहुत अधिक कक्षाओं को छोड़ना न पड़े। जब अन्य विद्यार्थी कक्षाओं के बाद अध्ययन करते थे तो मैं फिर से व्यायाम के लिए जाती थी और वापस लौट कर रात में देर तक अध्ययन करती थी।

सुश्री छिल्लर छठी भारतीय महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का आकर्षक खिताब जीता है। रीता फारिया पहली भारतीय महिला थी, उन्होंने 1966 में यह खिताब जीता था। उसके बाद ऐश्वर्या राय ने 1994, डायना हेडन ने 1997, युक्ता मुखी ने 1999 और प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।



विश्व चैम्पियन साइखोम मीराबाई चानू

साइखोम मीराबाई चानू अमरीका में (अनाहेम) विश्व भारोत्तोलन (वेट लिफ्टिंग) प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं। कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, के 22 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली वे दूसरी भारतीय महिला हैं। चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन तथा जर्क में 109 किलोग्राम भार उठाते हुए कुल 194 किलोग्राम भार उठाया। इस प्रक्रिया में उसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया और इसके साथ ही विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत का 22 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ। उसने 85 किलोग्राम वजन उठा कर स्नैच स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकार्ड भी तोड़ा और अपने ही रिकार्ड को तोड़ते हुए एक किलोग्राम अधिक वजन उठाया। वे अब अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों तथा टोक्यो ओलिम्पिक खेलों में सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। 23 वर्षीय चानू भारतीय रेलवे से संबंध हैं। उनका जन्म पूर्वी इम्फाल, मणिपुर में हुआ। उसने 2007 में इम्फाल स्थित खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वेटलिफ्टिंग की शुरुआत की थी। वे इससे पहले 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2011 में अंतर्राष्ट्रीय युवा चैम्पियनशिप में एक अन्य स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।





रोज़गार समाचार



साप्ताहिक

41 वर्षों से अधिक समय से प्रकाशित
रोज़गार क्षेत्र का अग्रणी साप्ताहिक



₹ 400 वार्षिक चंदे के साथ www.en.eversion.in पर ई-संस्करण के पाठक बनें

हमारी वेबसाइट: employmentnews.gov.in



facebook page

[facebook.com/director.employmentnews](https://www.facebook.com/director.employmentnews)

Follow us



@Employ_News



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

रोज़गार समाचार

VII वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कांफ्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन- 24369426, 24369443

ईमेल: director.employmentnews@gmail.com

राष्ट्रीय महिला नीति 2016

—नीता एन

लगभग 15 वर्ष के अंतराल पर आई नीति अधिकांश नीति दस्तावेजों की ही तरह आशा भी जगाती है। सतत विकास के लक्ष्यों में जताई गई चिंता को प्रतिध्वनित करते हुए महिलाओं के अवैतनिक काम को स्वीकार करने और उसे मान्यता देने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता जताना नीति का ऐतिहासिक बिंदु है। महिलाओं पर बोझ कम करने और उन्हें वेतन वाला काम करने के लिए मुक्त करने हेतु शिशु पालन गृह (क्रेश) और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का खाका खींचा गया है।

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 के दस्तावेज के अनुसार नीति ऐसे समाज की रचना करना चाहती है, “जिसमें महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करें और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालें” (राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा)। लगभग 15 वर्ष के अंतराल पर आई नीति अधिकांश नीति दस्तावेजों की तरह आशा जगाती है। आशा इस बात से जगती है कि इसमें महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करते हुए सभी विषय शामिल किए गए हैं मगर इसमें महिलाओं को सक्रिय कारक के तौर पर है और ऐसे कई उपाय दोहराए गए हैं, जो बड़े ढांचागत मुद्दों को संभालने भर के लिए किए जाते हैं। नीति में दिए गए उद्देश्य पिछले दस्तावेजों, विशेषकर 2001 की नीति के समान नहीं हैं। 24 पृष्ठ के इस दस्तावेज में महिलाओं पर उपलब्ध जानकारी में से सात प्राथमिकता क्षेत्र

रखे गए हैं: 1. स्वास्थ्य; खाद्य सुरक्षा और पोषण; 2. शिक्षा; 3. अर्थव्यवस्था; 4. प्रशासन एवं निर्णय लेना; 5. महिलाओं के साथ हिंसा; 6. सशक्त बनाने वाला वातावरण और 7. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन।

क्षेत्र विशेष पर चर्चा करने वाले विभिन्न खंडों में प्रमुख चुनौतियों तथा प्रस्तावित उपायों की रूपरेखा दी गई है जो अगले 15–20 वर्षों के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा एवं रोड मैप के रूप में काम करेगी। आमतौर पर सभी नीतियों में पोषण तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। वर्तमान नीति में बुजुर्गों, रजोनिवृत्ति की उम्र वाली महिलाओं तथा महिलाओं की अन्य शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को रेखांकित किया गया है। हालांकि यह सूची आशाजनक है, लेकिन सुझाए गए समाधान स्वास्थ्य बीमा के मॉडल की ओर ले जाते हैं, जो





कुछ संरचनात्मक समस्याओं को और भी बिगाड़ सकता है। कई महिलाएं वेतन वाली अर्थव्यवस्था से बाहर हैं और घरेलू संसाधनों पर उनका नियंत्रण बहुत कम है, इसीलिए अंशदायी स्वास्थ्य योजनाओं से महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। इसके अलावा महिलाओं को महिला स्वयंसहायता समूहों के गठन के जरिए समुदाय के विभिन्न सदस्यों के लिए सुरक्षित खाद्य एवं पोषण सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इससे समुदाय की पोषण-संबंधी असुरक्षा की जवाबदेही तो महिलाओं के इस समूह पर आ ही जाएगी, बिना वेतन के काम का बोझ भी बढ़ जाएगा। लड़कियों को स्कूलों में बरकरार रखना, यौन दुर्व्यवहार की समस्या समेत उनकी लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा का खंड की मुख्य चिंताएं हैं।

अर्थव्यवस्था का खंड सबसे विस्तृत है, जिसे क्षेत्रगत विशेषताओं के अनुरूप विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। महिला रोजगार में संकट को देखते हुए महिलाओं के कामकाज, वैतनिक और अवैतनिक दोनों (विशेषकर घर पर किए गए कामकाज) से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा सराहनीय है। दस्तावेज महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्रों में बांटता है, लगातार बढ़ती शिक्षित महिलाओं के लिए कामकाज के नए मौकों का विस्तार करने की जरूरत भी स्वीकार करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक समस्याओं के विशिष्ट पहलुओं पर अगले खंड में चर्चा की गई है। महिलाओं के साथ हिंसा के खंड में प्रतिकूल लिंगानुपात, महिलाओं तथा बालिकाओं की खरीद-फरोख्त, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार समेत महिलाओं के साथ हिंसा पर नजर रखने और उससे निपटने जैसी समस्याएं दी गई हैं। कई वर्षों से मुख्यधारा की चर्चा में आ रही ये चिंताएं बताती हैं कि अतीत के विभिन्न प्रयास नाकाम साबित हुए हैं और यह देखना है कि पिछले वर्षों के प्रयासों जैसे ही जो प्रयास सुझाए गए हैं, उनसे भविष्य में कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं (बापना, 2016)। अन्य खंडों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन तक कई पहलुओं पर बात की गई है। नीति में असुरक्षित महिलाओं जैसे अकेली महिला, विधवा, परित्यक्ता, अलग हुई एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का वायदा भी किया गया है। लेकिन इस दस्तावेज में मौजूदा कानूनों को घरेलू कर्मचारियों पर भी लागू करने और इस क्षेत्र के लिए नए कानून की जरूरत को भी शामिल किए जाने की जरूरत है, जिसकी मांग घरेलू कर्मचारी करते भी रहे हैं।

प्रशासनिक ढांचों तथा मंचों पर लैंगिक असमानता की बात भी कही गई है, जिसका समाधान स्त्री-पुरुष संवेदी प्रशिक्षण तथा महिलाओं के आरक्षण तक सीमित रखा गया है और ऐसी समस्याओं की गहरी जड़ों को नजरअंदाज कर दिया गया है। नई चुनौतियां आने के साथ ही यह देखने का समय आ गया है कि यह दृष्टिकोण कितना प्रभावी है। महिलाओं की स्थिति का

आकलन करने और उस पर नजर रखने के मामले में व्यापक प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण संकल्प यह होगा कि महिलाओं के जीवन के सभी महत्वपूर्ण आयामों में स्त्री-पुरुषों के संबंध में अलग-अलग जानकारी प्रदान करने का वायदा किया जाए। चूंकि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होना ही समस्याओं के आपसी संबंध को पहचानने और समझने में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए यह संकल्प वास्तव में स्वागतयोग्य है।

काम और रोजगार के सवाल पर पहेली

महिलाओं की आर्थिक प्रतिभागिता, कार्यबल में उनकी उपस्थिति महिलाओं के बीच गरीबी के असमान स्तरों को कम करने, परिवार की आय बढ़ाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ही अहम नहीं है बल्कि महिलाओं को सशक्त कर लैंगिक समानता वाला समाज बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं आजीविका के लिए खेती, छोटे-मोटे उत्पादन या सेवाओं में आधे-अधूरे बाजार वाली, आधा-अधूरा धन देने वाली या बिना अनुबंध की गतिविधियों में लगी रहती हैं, जो संगठित क्षेत्र से बाहर होती हैं। हमारे समाज में महिलाओं का दर्जा घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़ी चुनौती है क्योंकि इसका संबंध दूसरी संरचनात्मक समस्याओं से भी है। जिस दौर में आर्थिक वृद्धि की दर स्पष्ट रूप से एकदम तेज थी (तालिका 1), उस समय भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की दर में कमी ऐसी पहेली है, जिसे सुलझाना ही होगा।

तालिका 1: श्रम भागीदारी दरों के रुझान – महिला एवं पुरुष – यूपीएसएस

चरण	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1993-94	54.4	28.3	55.3	32.8	52.1	15.5
1999-2000	52.7	25.4	53.1	29.9	51.8	13.9
2004-05	54.7	28.2	54.6	32.7	54.9	16.6
2007-08	55.0	24.6	54.8	28.9	55.4	13.8
2009-10	54.6	22.5	54.7	26.1	54.3	13.8
2011-12	54.4	21.7	54.3	24.8	54.6	14.7

(स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े, विभिन्न चरण)

जिस समय शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में ठहराव आ रहा है, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या में शुद्ध कमी आने से इलाकों में महिला रोजगार में गिरावट आई है, जिसने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की संभावनाएं सीमित कर दी हैं। राष्ट्रीय नीति महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की बात कहती है और नीति का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना है। तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर तीन प्रमुख क्षेत्रों कृषि,

उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत चर्चा की गई है और विशेष संदर्भों तथा संभावित उपायों की व्याख्या की गई है।

चूंकि 60 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार कृषि क्षेत्र में हैं, इसलिए महिला हितों की बात करने वाली कोई भी नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कृषि में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त हैं। स्वरोजगार की सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक है ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वेतन के कार्य में महिलाओं की बहुत अधिक हिस्सेदारी। इस प्रकार के कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत कम गिरावट आई है (नीता, 2014)। हालांकि अवैतनिक कर्मचारियों के योगदान को कभी-कभार हिसाब-किताब लगाने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति के लिहाज से वे गृहिणियों से बेहतर नहीं हैं। इन बाजार-केंद्रित गतिविधियों के अलावा महिलाएं उपभोग के लिए भी आजीविका की गतिविधियों में जुटी रहती हैं, जैसे पारिवारिक कृषि, प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। परिवार के घरेलू काम का विस्तार होने और उसके साथ करीबी रिश्ता होने के कारण महिलाओं का योगदान न केवल अदृश्य रह गया है बल्कि उसे 'अनुत्पादक' तथा 'निष्क्रिय' श्रम की श्रेणी में भी डाल दिया गया है।

चूंकि सबसे अधिक महिला कामगार कृषि में ही हैं, इसलिए इसके प्रभाव भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। दस्तावेज में कुछ मौजूदा लिखित सामग्री से संदर्भ लिए गए हैं और कृषि पर चर्चा का स्त्रीकरण कर उसी के आधार पर समझ बनाई गई है। किंतु

यह स्वीकृत मान्यता है कि संकट में पड़ी कृषि को बचाए रखने की जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी जाती है (मिश्रा, 2007)। साथ ही, जैसाकि 2011 के जनगणना के आंकड़ों और 2011-12 के एनएसएसओ सर्वेक्षण से पता चल ही गया है, कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है। एनएसएसओ के आंकड़ों से पता चला कि कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 2004-05 के 42 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चतम आंकड़े से गिरकर 2011-12 में 35 प्रतिशत रह गई। जनगणना और एनएसएसओ के आंकड़ों में मामूली अंतर होने के बाद भी वे एक जैसा प्रचलन दिखा रहे हैं; कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ना और फिर घटना। कृषि में भी महिलाओं की भूमिका अलग-अलग होती है और इस बात पर निर्भर करती है कि वे स्वयं काम कर रही हैं अथवा मजदूरी लेकर काम कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं बिना मजदूरी की पारिवारिक कामगार हैं और कई अवैतनिक कामगार खुद ही फसल उगाती भी हैं। जनगणना के आंकड़ों में अजीब बात यह लगी है कि महिला किसानों की संख्या में कमी आने के कारण किसानों के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 33 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा कृषि में महिला कामगारों की संख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन कृषि कामगारों के बीच महिलाओं का अनुपात 46 प्रतिशत से घटकर 43 प्रतिशत रह गया। इनके कारण और प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं जो कृषि उत्पादन की प्रकृति तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर करते हैं, जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट और महिलाओं का किसानों



के बजाय कृषि मजदूर तथा गैर कृषि मजदूर बनना श्रम के साथ-साथ लैंगिक संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव को इंगित करता है। इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नीतियां बनाते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

संपत्ति विशेषकर कृषि भूमि पर महिलाओं का अधिकार नहीं होने से कृषि में निर्णय लेने की महिलाओं की क्षमता भी प्रभावित होती है। ऋण की सुविधाओं के साथ-साथ अन्य विस्तार सेवाएं जो भूमि स्वामित्व के अधिकारों पर आधारित हैं, महिला किसानों के लिए समस्या बनी हुई हैं (अग्रवाल, 2002)। भूमि स्वामित्व एवं अन्य

उत्पादक संसाधनों के बारे में स्त्री और पुरुष के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए नीति के दस्तावेज में आंकड़े तैयार करने पर जोर दिया जाना स्वागत योग्य बात है।

खेती में महिला समूहों के लगातार बढ़ते और उम्मीद जगाते अनुभव को और सहारा दिए जाने की जरूरत है। कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण छोटे स्तर पर खेती करनी पड़ रही है और उससे जुड़ी चुनौतियों को सामूहिक खेती के जरिए कुछ हद तक सुलझाया गया है और आगे भी सुलझाया जा सकता है। महिला समूहों के विविध अनुभवों को मान्यता देने और उनसे सीखने की जरूरत है ताकि उन्हें दोहराया जा सके और टिकाऊ बनाया जा सके। इसके



अलावा, इसे आजीविका कृषि से आगे ले जाने तथा महिलाओं को गरीबी से बाहर लाने के लिए इसकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार किए जाने की जरूरत है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उद्यमिता संभावनाओं से जोड़ने की संभावना एक अलग आयाम है जिस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं तथा शिक्षितों का कृषि कार्य से विमुख होना एक अन्य चुनौती है। इससे तभी निबटा जा सकता है, जब कृषि उत्पादकता और आय में सुधार हो, लेकिन इसके लिए सिंचाई, भूमि विकास, विस्तार सेवाओं आदि में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करना होगा, जिसमें आमतौर पर स्वरोजगार की दिशा में योगदान देने वाले कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के अलावा सार्वजनिक निवेश के जरिए द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी शामिल होना चाहिए। इससे परेशानी में फंसकर महिलाओं द्वारा गांवों से शहरों की ओर पलायन किए जाने की समस्या और उन्हें घरेलू कामगार जैसे कम वेतन तथा अधिक शोषण वाले अनौपचारिक रोजगारों में बांट दिए जाने की समस्या का भी हल निकलेगा।

सतत विकास के लक्ष्यों में जताई गई चिंता को प्रतिध्वनित करते हुए महिलाओं के अवैतनिक काम को स्वीकार करने और उसे मान्यता देने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता जताना नीति का ऐतिहासिक बिंदु है। महिलाओं पर बोझ कम करने और उन्हें वेतन वाला काम करने के लिए मुक्त करने हेतु शिशु पालन गृह (केश) और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का खाका खींचा गया है। किंतु यदि महिलाओं के अवैतनिक कामकाज और उसके मूल्यांकन की

व्यापक दृष्टि में वास्तविक बदलाव लाना है तो यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आईसीडीएस जैसी कई सरकारी योजनाएं जिनमें महिलाओं के काम की कीमत कम करके आंकी गई है और उन्हें "स्वैच्छिक" कामगार की श्रेणी में रखा गया है, को मूल्यांकित एवं संबोधित किया जाए।

कुल मिलाकर नीति में महिलाओं के जीवन के विभिन्न आयाम सफलतापूर्वक समेटे गए हैं और विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेपों का वायदा किया गया है। हालांकि नीति अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन यह कल्याण के प्रभावी दृष्टिकोण का दोहराव मात्र है। यथार्थ में हमारी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में न तो यह परिकल्पना दिखती है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की समस्या को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण द्वारा तथा पारंपरिक, नए तथा उभरते क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास द्वारा और महिलाओं के लिए उद्यमिता संबंधी अवसर (ई-हाट जैसी योजनाओं के जरिए) सृजित कर सुलझाया जा सकता है और न ही अचल संपत्तियों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन दिखाई देता है। बच्चों की देखभाल और बच्चों की देखभाल हेतु सुविधाएं तैयार करने की जिस जरूरत की लंबे समय से मांग की जा रही है, वह उभरती हुई यानी नई चिंताओं के खंड में रखी गई हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति का दस्तावेज पहला और शायद सबसे आसान कदम है। इसके बाद योजनाओं का सख्ती से क्रियान्वयन होना चाहिए, जिसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की जरूरत है और व्यापक नीति की सफलता तथा असफलता उसी से तय होगी।

(लेखिका सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज,
नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

ईमेल : neethapillai@gmail.com

महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थलों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा ग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। शारीरिक, यौन, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को इन केन्द्रों से सहायता प्रदान की जाती है और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है, भले ही महिलाएं किसी भी आयु, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, वंश और संस्कृति से संबद्ध हों।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- निजी और सार्वजनिक, दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी प्रकार की एकीकृत सहायता एक ही स्थान पर प्रदान करना।
- महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे विभिन्न तात्कालिक, आपातकालिक और सामान्य प्रकार की सेवाएं प्रदान करना जैसे चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता।

लक्षित समूह: ओएससी हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं (18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित) को सहायता प्रदान करेंगे चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लैंगिक रुझान या वैवाहिक स्थिति से संबद्ध हों। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के मामले में बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों की संरक्षा संबंधी अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित संस्थानों और प्राधिकरणों को ओएससी के साथ जोड़ा जायेगा।

वन स्टॉप सेंटरों की अवस्थिति

ओएससी की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सहायता प्रदान करेगा। पहले चरण में, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर एक ओएससी स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। पहले चरण में 36 केंद्रों की स्थापना की गई जबकि दूसरे चरण में अब 150 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। संबद्ध राज्यों में पंजीकृत अपराधों, महिला की जनसंख्या और बाल लिंग अनुपात के अनुसार राराक्षे दिल्ली सहित सभी राज्यों में 150 अतिरिक्त ओएससी वितरित किए गए हैं।

ओएससी निम्नांकित सेवाओं तक पहुंच कायम करने में सहायता करेंगे :-

- आपातकालीन सहायता और बचाव सेवाएं – ओएससी, हिंसा पीड़ित महिलाओं को बचाव और रेफरल सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए मौजूदा प्रशासनिक तंत्र, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), 108 सेवा, पुलिस (पीसीआर वैन) के साथ संबंध कायम किए जाएंगे ताकि हिंसा से प्रभावित महिला को घटना स्थल से सुरक्षित निकाला जा सके और निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र (सार्वजनिक/निजी) या शेल्टर होम तक पहुंचाया जा सके।
- चिकित्सा सहायता— हिंसा से पीड़ित महिला को चिकित्सा सहायता/परीक्षण के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जाएगा और तत्संबंधी जांच एवं सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- एफआईआर दर्ज कराने में महिलाओं की सहायता।
- मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता/परामर्श— मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एक कुशल सलाहकार, कॉल पर उपलब्ध होगा। इस परामर्श प्रक्रिया से महिलाओं में हिंसा से निपटने या हिंसा के खिलाफ न्याय प्राप्त करने का आत्मविश्वास पैदा होगा।
- कानूनी सहायता और परामर्श— हिंसा से पीड़ित महिलाओं न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता और परामर्श ओएससी में प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सूचीबद्ध वकीलों या राष्ट्रीय/राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सेवाएं ली जाएंगी। पीड़ित महिला अगर चाहेगी तो उसे उसकी पसंद का एक वकील मुहैया कराया जाएगा ताकि महिला की इच्छानुसार उसे सरकारी अभियोजन पक्ष में शामिल किया जा सके।
- आश्रय— ओएससी अधिकतम 5 दिनों के लिए पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय सुविधा प्रदान करेंगे। लंबे समय तक आश्रय की आवश्यकता होने पर स्वाधार गृह/शॉर्ट स्टे होम (सरकारी/गैर सरकारी संगठन से संबद्ध/द्वारा प्रबंधित) में व्यवस्था की जाएगी।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा— शीघ्र और परेशानी मुक्त पुलिस और अदालत की कार्यवाही की सुविधा के लिए ओएससी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करेगा (स्काइप, गूगल कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से)।

कार्यक्रम का संचालन—राष्ट्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय बजटीय विनियमन और कार्यक्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की समग्र देखरेख में चलायी जाएगी। राज्य स्तर पर, महिला और बाल विकास विभाग इस कार्यक्रम के समग्र मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी

—राजनाथ राम
—शफकत मुबारक

एलपीजी को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि रसोई में लगने वाले समय की भी बचत हुई है जिसे वे आर्थिक उत्पादक कार्यों में लगाकर अपनी आजीविका बेहतर कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नवंबर, 2017 तक लगभग 712 जिलों में करीब 3.2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

दुनिया की 38 प्रतिशत आबादी खाना पकाने के लिए अब भी पारंपरिक जैव ईंधन पर निर्भर है। चूंकि घर संभालने तथा खाना पकाने की मुख्य जिम्मेदारी के कारण ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार में केंद्रीय जिम्मेदारी निभाती हैं, इसलिए घर के भीतर के वायु प्रदूषण से अन्य सदस्यों के साथ उनके स्वास्थ्य पर ही अधिक असर पड़ता है। जैव ईंधन के आधे-अधूरे ढंग से जलने और जैव ईंधन के पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल करने के कारण उत्पन्न हुए प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य को खतरा और बढ़ जाता है। प्रदूषण घर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाना दैनिक जीवन के प्रमुख कामों में शामिल होता है क्योंकि लोगों के पास इन कामों के अलावा कुछ करने और उत्पादक तरीके से योगदान करने का समय ही नहीं होता। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.1 करोड़ परिवार अब भी अक्षम चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार अस्वच्छ ईंधन से उतना धुआं महिलाओं के भीतर जाता है, जितना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने से पैदा होता है।

सतत विकास के लक्ष्य— 7 में 2030 तक किफायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ईंधन सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। सभी के लिए विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक सभी के लिए किफायती दाम पर ऊर्जा से ही दिशा तय होती है। सभी राष्ट्रों को निम्न उद्देश्य पूरे करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि सभी के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं हुई तो दुनिया की ऊर्जा प्रणाली नाकाम हो सकती है —

- अ. वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि;
- आ. ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर दोगुनी करना;
- इ. स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में मदद करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना;
- ई. उन्नत तथा अधिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

भारत में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। रसोई गैस (एलपीजी) को खाना पकाने का प्रमुख स्वच्छ समाधान मानकर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बड़े कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक लगभग 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर भारत ने गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को स्वच्छ समाधान प्रदान करने में बढ़त हासिल कर ली है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री ने मई, 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरंभ की थी, जिसमें आरंभ में ग्रामीण महिलाओं को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 1 जनवरी 2016 को 61 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम एलपीजी कवरेज वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर जोर दिया गया। सामाजिक-आर्थिक जनगणना आंकड़ों के आधार पर गरीबी-रेखा से नीचे के जिन परिवारों में वयस्क महिला सदस्यों अथवा किसी अन्य परिजन के नाम पर एलपीजी कनेक्शन



नहीं था, उस परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर कनेक्शन दिया गया। सरकार ने अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया है।

उज्ज्वला योजना की उपलब्धियां

एलपीजी को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। स्वास्थ्य सुधार के रूप में और खाना पकाने में लगने वाला समय घटने के कारण अधिक आर्थिक उत्पादकता के रूप में उनकी आजीविका बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नवंबर, 2017 तक लगभग 712 जिलों में करीब 3.2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

उपभोक्ता आसानी से एलपीजी अपना सकें, इसमें मदद के लिए सक्रिय सहभाग करने हेतु मंत्रालय तथा तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) एक साथ आ गए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक खातों, आधार तथा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में पहुंचाई गई। उसके बाद मध्यवर्ग के परिवारों से जरूरतमंदों के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ने की अपील 'गिव-इट अप' के रूप में की गई, जिसके तहत 1.3 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दावे के अनुसार योजना से एलपीजी की प्रत्यक्ष कीमत कम हो गई है। पहले एलपीजी कनेक्शन के लिए 4,500 से 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन थोक खरीद ने इसे घटाकर 3, 200 रुपये पर ला दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आधी राशि उपभोक्ता को सरकार द्वारा एकबारगी अनुदान के रूप में प्रदान कर दी जाती है। हॉट प्लेट और पहली बार सिलेंडर भरवाने के लिए कुल 1,600 रुपये उपभोक्ता को भरने पड़ते हैं, लेकिन तेल विपणन कंपनियां इसके लिए मासिक किस्तों का विकल्प उपलब्ध करा रही हैं। परिवार को दिया गया ऋण करीब सात-आठ सिलेंडर भरने में वसूल कर लिया जाता है। यह राशि वसूल हो जाने के बाद सब्सिडी चलती रहती है और ग्राहक के खाते में आती रहती है। राज्य सरकारें भी चूल्हे अथवा रेग्युलेटर के लिए धन प्रदान कर रही हैं। यह सहकारी संघवाद का सटीक उदाहरण है, जहां खाना पकाने की सामान्य समस्या हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हाथ मिलाए हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति पर नजर डाली जाए तो बैंक खाते जोड़ने और सब्सिडी छोड़े जाने जैसे लाभ भी दिखते हैं। पहले वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य था, लेकिन 2.2



उज्ज्वला योजना से मिले एलपीजी कनेक्शनों ने ग्रामीण महिलाओं की रसोई को धुआं-मुक्त किया।

करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांट दिए गए। ऊर्जा एवं पर्यावरण तथा जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) और जीआईजेड, जर्मनी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अभी तक 58 लाख कनेक्शनों के साथ उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है और 39 लाख कनेक्शनों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में कई प्रश्न उठाए गए, जैसे ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ता धन की कमी के कारण बार-बार सिलेंडर नहीं भरवाते हैं। कनेक्शनों के बारे में आंकड़े जो भी बताते हैं, उनसे परे देखने के लिए कई विचार समूह अनुसंधान तथा वास्तविक अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इस योजना के पीछे निर्धारित किए गए व्यापक लक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जैव ईंधन के अक्षम तरीके से जलने के कारण सेहत को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लोग दवा पर जितना खर्च करते हैं, उसकी तुलना एलपीजी सिलेंडर भरने पर होने वाले खर्च से नहीं की जा सकती। इसी तरह ग्रामीण महिलाएं जलाने के लिए लकड़ी जुटाने और पानी लाने में अच्छा-खासा समय खर्च करती हैं, जिसका उपयोग दूसरे उत्पादक कामों में हो सकता है। यह भी ध्यान रहना चाहिए कि व्यवहार बदलने में कुछ समय लगता है; खाना बनाने के पारंपरिक तरीके के अभ्यस्त लोगों को तरीके बदलने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। यह शुरुआत है; लोग अपनी मानसिकता जरूर बदलेंगे और अंत में स्वच्छ ईंधन का दामन ही थामेंगे। हमारे देश के कई हिस्सों में ईंधन जमा

“गांव में रहने वाली तीन करोड़ से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी इस योजना ने हमेशा-हमेशा के लिए बदल दी है। उन्हें सिर्फ गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें सुरक्षा मिली है, सेहत मिली है, परिवार के लिए समय मिला है।”

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना

एलपीजी पंचायत योजना का उद्देश्य एलपीजी उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना है कि कैसे साफ ईंधन और इससे जुड़े लाभों को उठाया जा सकता है। यह पारंपरिक ईंधन (उपला, लकड़ी का कोयला या लकड़ी) की तुलना में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों पर व्यक्तिगत अनुभवों को बांटने के माध्यम से चर्चा को और प्रभावी बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा।

इसका उद्देश्य उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ जुड़ने का है ताकि तेल के सार्वजनिक उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के माध्यम से लोगों में परंपरागत तौर पर पहले से मौजूद गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। इसके तहत, देशभर में एक लाख एलपीजी पंचायतों को सक्रिय किया जाएगा ताकि एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण, स्वास्थ्य पर इसके विभिन्न लाभों पर भी बातचीत होगी। एलपीजी पंचायत के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा होगी।

एलपीजी पंचायत, पीएमयूवाई (PMUY) के तहत एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने वालों के बीच एक परस्पर संवाद (इंटरेक्टिव) प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगे। एक पंचायत के आसपास के इलाके के लगभग 100 एलपीजी ग्राहक होंगे। पंचायतों में सुरक्षित प्रथाओं, वितरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और सिलेंडरों की रिफिलिंग की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलों और लकड़ी से लेकर एलपीजी तक के रूप में ईंधन जमा किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में ईंधन एलपीजी और पकाने की इलेक्ट्रिक प्रणालियों (माइक्रोवेव, इंडक्शन प्लेट आदि) की शकल में जमा किया जाता है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि व्यवहारगत परिवर्तन का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त अनुभव कराने और घरेलू वायु प्रदूषण का सेहत पर पड़ने वाला असर कम करने का गंभीरता भरा प्रयास है। हालांकि यह स्वयं में संपूर्ण नहीं है किंतु व्यवस्थागत नजरिए के साथ यह शुरू हो चुका है और किराया, सुगमता तथा व्यवहार के पहलुओं पर अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। योजना ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का कार्याकल्प करने वाली है लेकिन इसके लिए अधिक दूरदर्शिता भरे तथा योजनाबद्ध प्रयास की जरूरत है। सुविधासंपन्न लोगों, निजी कंपनियों और समुदायों के प्रयासों से शायद बदलाव आ जाए। इसीलिए जागरूकता की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लगभग एक लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं और अगले 3 वर्ष में भारतीय उद्योग को कम से कम 1,000 करोड़ रुपये के कारोबार के मौके मिल सकते हैं। इस योजना ने 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत

सिलेंडर, गैस चूल्हे, रेग्युलेटर और गैस हौज बनाने वाले सभी निर्माताओं के लिए असीम अवसर उपलब्ध कराए हैं।

आगे की राह

अ. जहां तक खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा का प्रश्न है तो एक अन्य संभावित विकल्प यह है कि ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाए। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य सुदूर क्षेत्रों में ग्रिड पहुंचाकर सभी को बिजली उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की जरूरतें पूरी करने के लिए इंडक्शन चूल्हों के रूप में बिजली निश्चित रूप से यथार्थ बन सकती है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में बहुत अधिक यकीन करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तेल एवं गैस के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ओएनजीसी से "सक्षम इलेक्ट्रिक चूल्हा" बनाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है, जिससे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर खाना पकाया जा सकेगा। दुनिया में भारत का अनूठा स्थान है क्योंकि यहां लगभग 300 दिन धूप रहती है, इसका मतलब है कि पर्याप्त सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की यहां असीम क्षमता है और यह अनूठी बढ़त स्वच्छ तरीके से खाना पकाने की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकती है।

- अधिकतर समस्या ग्रामीण परिवारों में है और खाना पकाने की उनकी विभिन्न आवश्यकताओं, जिनमें पानी गर्म करना और चारा तैयार करना भी शामिल है, के लिए विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता है। ईंधन का भंडारण जाना-माना तरीका है। इसीलिए प्रत्येक घर में खाना पकाने का एक से अधिक ईंधन होगा।
- खाना पकाने के ईंधनों, सक्षम चूल्हों तथा उनसे संबंधित शोध एवं विकास के समन्वित प्रयासों के लिए नेशनल मिशन ऑन क्लीन कुकिंग चलाने की आवश्यकता है, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना होगा। इसका लक्ष्य चूल्हों, खाना पकाने के बिजली से चलने वाले उपकरणों, विभिन्न आकार के एलपीजी सिलिंडरों के लिए बाजार और देश भर में ईंधन वितरण केंद्रों का नेटवर्क तैयार करना है। इससे शहरी क्षेत्रों में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस प्रदान करने हेतु शहरी गैस वितरण नेटवर्क मजबूत होना चाहिए और शहरी लोगों के हिस्से के एलपीजी कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जा सकेंगे। स्वच्छ तरीके से भोजन पकाने का बाजार बहुत बड़ा है, जिसका दोहन होना चाहिए और आर्थिक लाभ उठाने चाहिए।

(राजनाथ राम भारत सरकार के नीति आयोग में संयुक्त सलाहकार हैं; शफकत मुबारक नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं।)

ई-मेल : shajquatmobarak@gov.in

आगामी अंक

फरवरी, 2018 — कृषि

महिलाओं की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता

—सिद्धार्थ झा

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि सामान्यतया लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा समाज की अधिक बड़ी भूमिका है और ये समय मनन और आत्ममंथन करने का है कि हमें आधी आबादी को किस तरह का समाज देना है।

कहा जाता है किसी देश के विकास की तस्वीर उस देश की महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करती है। यदि महिलाएं स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, और सुरक्षित वातावरण में हैं तो कोई दो राय नहीं कि वो देश विकसित राष्ट्रों की कतार में हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत महिलाएं असुरक्षित हैं, अशिक्षित हैं, आजीविका के अवसरों की कमी है तो निसंदेह उस देश के हालात बदतर होंगे। भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर बड़े-बड़े वादे पिछले 70 सालों में हुए हैं लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आधी आबादी को अपने अधिकारों के लिए आज भी कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। देश में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा आंकड़ों को समझना होगा मगर गौर करने लायक बात ये है कि ये आंकड़े एक दिन में नहीं बने हैं बल्कि अतीत की उन नाकामियों का परिणाम हैं जिसके अंतर्गत हम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में नाकामयाब रहे सिर्फ प्रशासनिक-स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी असफल रहे। भारत में पिछले वर्ष बलात्कार के लगभग 40 हजार मामले सामने आए हैं। हाल में निर्भया की

साथ ही ये भी माना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि सामान्यतया लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा समाज की अधिक बड़ी भूमिका है और ये समय मनन और आत्ममंथन करने का है कि हमें आधी आबादी को किस तरह का समाज देना है।

आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 21397 हो गया। इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किए गए। और 2014 में यह संख्या 36735 हो गई। गौर करें तो 2014 का आंकड़ा वर्ष 2004 के मुकाबले दोगुना है। भारत में हर एक घंटे में 22 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ये वे आंकड़े हैं जो पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। यह स्थिति तब है जब देश में महिलाओं को अपराधों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण हासिल है और ढेरों कानून बने हुए हैं। सिर्फ यौन हिंसा ही क्यों घटता हुआ लिंगानुपात भी किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। देश में लिंगानुपात की समस्या से

घटना को 5 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में वक्त है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने को लेकर जो वादे हुए थे उनमें से कितनों को अमलीजामा पहनाया गया, इस पर गौर किया जाए। सरकार ने संसद में कई बार इस मुद्दे पर सदन को आश्वस्त किया है। देश में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है लेकिन





शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली

सरकारी और निजी संगठनों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के वास्ते सरकार ने व्यापक शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शी-बॉक्स प्रणाली शुरू की गई है नए शी-बॉक्स पोर्टल पर सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित देश की सभी महिलाकर्मियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) या स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) में पहले से ही लिखित शिकायत दर्ज करवाने वाली महिलाएं भी इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेल रही महिलाओं की शिकायतों का निवारण उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने पर यह सीधे संबंधित नियोक्ता की आईसीसी/एलसीसी को भेज दी जाएगी। इस पोर्टल के जरिए मंत्रालय के साथ ही शिकायतकर्ता भी आईसीसी/एलसीसी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की निगरानी कर सकती हैं। विश्व-स्तर पर चलाए जा रहे सोशल मीडिया के अभियान #MeToo को देखते हुए यह महिला और बाल विकास मंत्रालय का सकारात्मक कदम है जिसमें महिलाएं यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न झेलने के अपने अनुभव साझा करती हैं। **पोर्टल निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <http://shebo.nic.in>**

#शी-बॉक्स की मुख्य विशेषताएं

शिकायत दर्ज कराने, सवाल पूछने और सुझाव देने के लिए इंटरैक्टिव सत्र

आवश्यक संसाधनों, सूचनाप्रद वीडियो, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए पैनिल में शामिल संस्थान जिससे नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल पर सेक्युअल उत्पीड़न के मामलों से बेहतर तरह से निपट सकें।



जूझ रहे राज्य हरियाणा की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। 2015 में बेटा-बेटी लिंगानुपात 1000 पर 903 बताया गया है जो साल 2011 में 1000 पर मात्र 835 था। अक्सर हम इन अपराधों के लिए अशिक्षा को दोष देते हैं। बिहार, भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य है मगर यहां 2011 में लिंगानुपात 1000 पर 935 था। जबकि दिल्ली जो शिक्षित और संभ्रांत दोनों है, इसका औसत मात्र 871 है जो शर्मसार करती है। इसी तरह ऊपर हमने जो बलात्कार के आंकड़े दिए हैं बिहार में 2014 में कुल 1127 मामले दर्ज हुए जो कम साक्षर राज्य हैं किंतु महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यानी कहीं ना कहीं समाज की सोच इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ने के पीछे अनेक कारण हैं जिसमें महिलाओं की असमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बड़ी भूमिका है। दूसरी बात, सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़ियां जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को बढ़ावा देता है।

महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोच्च पर है और ये उनके किए हुए कार्यों और सोच में स्पष्ट दिखता है। याद कीजिए हर घर शौचालय की जब बात की गई थी तो उसका संबंध नारी अस्मिता और शौच के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं के साथ जोड़ा गया जिसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है। गांवों-कस्बों में रात के अंधेरे में जब महिलाएं शौच के लिए निकलती थी तब छेड़खानी और बलात्कार की कितनी ही हिंसक घटनाएं होती थी। कम से कम शौचालय बनने से ऐसी घटनाओं पर लगाम तो ही लगी है।

दूसरी तरफ, जैसाकि लिंगानुपात की समस्या से जूझ रहे देश को प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का रास्ता दिखाया, निसंदेह समाज को सही दिशा देने का प्रयास है। इसमें कन्या समृद्धि योजना से बालिकाओं को सक्षम बनाने की पहल की गई है। इसी तरह बड़ी संख्या में जन-धन योजना के तहत जो खाते खोले गए, उससे प्रत्यक्ष रूप से आधी आबादी को बैंकिंग के दायरे में लाकर आर्थिक मोर्चे पर सबल बनाने का काम किया गया। हालांकि जितनी भी योजनाएं अभी काम कर रही हैं चाहे स्किल इंडिया हो या मुद्रा बैंक हो और ऐसी तमाम योजनाओं का केंद्र महिलाओं की आर्थिक चुनौतियों को दूर करना है। अब सवाल सामाजिक चुनौतियों का है, इसके लिए सरकार ने क्या किया जिससे कि वो चाहे शहर हो या गांव, महिलाएं पूरी आजादी और सुरक्षा के साथ जी सकें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं से संबंधित विशेष कानून अधिनियमित किए हैं जैसे

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, स्त्री अशिक्षक रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 जिसमें बलात्कार जैसे अपराधों में अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। ये ऐसे कानून हैं जिनका यदि सख्ती से पालन किया जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे कि महिलाओं के प्रति

अपराधों में कोई कमी नहीं आए। मगर कहीं ना कहीं कमी समन्वय और तालमेल की है जिससे कि अक्सर अपराधी छूट जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्कीम चला रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल एवं आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन (181) के सर्वसुलभीकरण की स्कीम चला रहा है।

वन स्टॉप सेंटर

वनस्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना का ध्यान देशभर की महिलाओं के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने पर होगा। इसका मकसद हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद करना है। पहले वन स्टॉप केन्द्र की शुरुआत साल 2015 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई थी, और कुछ ही समय में यह केन्द्र तनवाग्रस्त महिलाओं के लिए एक जीवनरेखा बन गया। तब से लेकर, देशभर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में ओएससी केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन केंद्रों की कार्यशैली और केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों में क्षमता निर्माण की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय इन केंद्रों के साथ विभिन्न श्रेणियों में जुड़ी नर्सों और मनोचिकित्सकों और वकीलों अथवा पुलिसकर्मियों के लिए एक उच्चस्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करेगा जिससे कि वन स्टॉप सेंटर का लक्ष्य पूरा हो सके।

घरेलू हिंसा हो या दुष्कर्म का मामला, इन्साफ के लिए पीड़िता को भटकना नहीं पड़ेगा। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित की काउंसिलिंग, रिपोर्ट दर्ज कराने, कानूनी सलाह, समेत रहने-खाने की भी व्यवस्था होती है। यह मुहिम बलात्कार या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में रिपोर्ट लिखवाने में आने वाली दिक्कतों, मेडिकल टेस्ट, वकीलों से कानूनी सलाह लेने में आने वाली परेशानियों को देखते हुए शुरू की गई है। स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के तहत यह परिकल्पित किया गया है कि वन स्टॉप सेंटर देश भर में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।

पहले चरण में प्रति राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में एक सेंटर स्वीकृत किया गया था। साथ ही वर्ष 2016-17 के दौरान दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना की गई है।

उज्ज्वला योजना

सरकार 04 दिसंबर, 2007 से उज्ज्वला योजना को कार्यान्वित कर रही है। यह योजना व्यापार के प्रयोजन से यौन शोषण के लिए तस्करी से पीड़ितों के लिए तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और परिवार से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना है।

यह योजना महिलाओं और बच्चों के लिए है जो मानव तस्करी के प्रति असुरक्षित हैं और जो व्यापारिक रूप से यौन उत्पीड़न के

लिए मानव तस्करी से पीड़ित हैं।

हालांकि, ऐसे यौनकर्मी जो अपनी इच्छा से देह व्यापार में शामिल हुए किंतु पुनर्वास के प्रति इच्छुक हैं, वे भी उज्ज्वला योजना के अधीन पुनर्वास सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

पुनर्वास केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि ये केंद्र पीड़ित बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता, शिक्षा आदि जैसी आधारभूत सेवाओं के साथ-साथ आश्रय प्रदान करें और पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन संबंधी गतिविधियां चला सकें।

वित्त मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा बढ़ाने से जुड़ी पहलों के कार्यान्वयन के लिए 2013 में निर्भया निधि नामक एक समर्पित निधि का गठन किया है। निर्भया निधि के तहत अब तक 2348.85 करोड़ रुपये के 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मूल्यांकित प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। परियोजना की आवश्यकतानुसार धन का उपयोग होता है।

राष्ट्रव्यापी आपातकालीन कार्रवाही प्रणाली

इसके साथ ही गृह मंत्रालय निर्भया निधि के तहत 321 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ राष्ट्रव्यापी आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली (एनईआरएस) नाम से एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इसका मकसद देश में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) का कार्यान्वयन करना है।

इस परियोजना के तहत पुलिस, महिलाओं एवं बच्चों, अग्नि दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपत्तियों आदि से संबंधित सभी प्रकार की आपात-स्थितियों का समाधान करने के लिए एक अखिल भारतीय टेलिफोन नंबर 112 संचालित किया जाएगा।

236.1995 करोड़ रुपये के एक एप्लिकेबल सॉफ्टवेयर के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य आपातकालीन कार्रवाई केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वाधार एवं अल्पावास गृह की योजनाओं का पिछले साल समायोजन कर स्वाधार गृह कर दिया गया है। स्वाधार गृह स्कीम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार महिलाओं पर ध्यान देती है। इन महिलाओं को पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत होती है ताकि वे यथेष्ट गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें। स्कीम के तहत कठिन परिस्थितियों की पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य एवं आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

स्वाधार गृह स्कीम केंद्र-प्रायोजित छत्रछाया स्कीम "संरक्षण एवं सशक्तिकरण" की उप स्कीम है।

स्वाधार गृह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तवर्ष 2016-17 में राज्यों/

संघराज्य क्षेत्रों को अब तक 22.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल

पिछले साल हरियाणा में 14 दिसंबर को महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गई। हरियाणा इस योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। मूल रूप से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल है। हरियाणा ने इसमें 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी के पहले बैच को शामिल किया। उनका प्राथमिक कार्य उन परिस्थितियों पर नजर रखना है जहां गांव में महिलाओं को परेशान किया जाता है या उनके अधिकार और पात्रताएं निषेध हैं या उनके विकास को रोक दिया जाता है। पुलिस और समुदाय के बीच एक लिंक प्रदान करने और संकट में महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, एक महिला पुलिस स्वयंसेवी (एमपीवी) की देश भर में हर ग्राम पंचायत में परिकल्पना की गई है।

देशभर में आज भी पुलिस फोर्स में पुरुषों के मुकाबले 7 प्रतिशत महिलाएं कार्य कर रही हैं। ऐसे में अक्सर महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत करने पुलिस के पास लाज या संकोच से नहीं जाती हैं और ये निसंदेह एक व्यावहारिक दिक्कत भी है।

पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए

केंद्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकारों से पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने को कहा है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की बढ़ती मांग के बीच सरकार का यह फैसला काफी व्यावहारिक साबित होगा। केंद्रशासित प्रदेशों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सरकार पहले ही कर चुकी है।

नीति आयोग ने भी कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर सरकार से महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की सिफारिश की है। कुछ राज्य

इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

मोबाइल फोन में पैनिक बटन

निर्भया जैसा जघन्य अपराध न हो, पीड़िता को सही समय पर मदद मिल सके इसके लिए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं से मोबाइल हैंडसेट्स में पैनिक बटन और जीपीएस लगा हो, फीचर फोंस में कंपनियों को जीपीएस लगाना होगा और कीपैड में 5 या 9 को एमर्जेंसी बटन बनाना होगा। स्मार्टफोन में भी कंपनियों को अलग से एक बटन लगाना होगा, जो एमर्जेंसी बटन के तौर पर काम करेगा।

इस पैनिक बटन को कामयाब बनाने के लिए सरकार को भी कई तरह के जरूरी इंतजाम करने होंगे, ताकि लोगों को वक्त पर सहायता मिल सके। इस साल से ऐसे मोबाइल मिलने बाजार में शुरू भी हो जाएंगे जिससे महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता होगी।

एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध के लिए पहली बार फांसी जैसी सजा उच्चतम न्यायालय में सुनाई गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 222 केस एसिड अटैक के रिकॉर्ड किए गए हैं। एसिड अटैक के ज्यादातर मामले लड़कियों व औरतों पर होते हैं। एसिड अटैक में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के मुताबिक कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास और आर्थिक दंड हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार कोई भी अस्पताल तेजाब हमले के पीड़ित के इलाज से मना नहीं कर सकता है।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को तेजाब हमले के शिकार को फौरन कम से कम तीन लाख रुपये की मदद मुहैया करानी होगी। पीड़ित को मुफ्त इलाज मुहैया कराना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। मुफ्त इलाज का मतलब पीड़ित के अस्पताल के अलग कमरे, खाने और दवाइयों के साथ-साथ सर्जरी का भी खर्च सरकार ही वहन करेगी। साल 2018 महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और बेहतर होने वाला

हेल्प मी डब्ल्यूसीडी!.... #HelpMeWCD

महिला यात्री अपनी सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाती रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक हैशटैग #HelpMeWCD आरंभ किया है, जहां प्रताड़ना अथवा हिंसा की शिकार हो रही कोई भी महिला अथवा बच्चा ट्वीट कर अपना मामला सीधे दर्ज करा सकता है।

सोशल मीडिया पर अपमानजनक व्यवहार, परेशान करने और घृणात्मक व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए यह हेल्पलाइन महिलाओं और बच्चों के लिए बनाई गई है।

दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा घृणात्मक व्यवहार की शिकायत सोशल मीडिया पर करने हेतु महिलाओं तथा बच्चों के लिए हेल्पलाइन तैयार

साइबर अपराधों को रोकने के लिए हेल्पलाइन

शिकायतें
complaint-mwcd@gov.in
या सोशल मीडिया पर
हैशटैग #HelpMeWCD
के साथ पोस्ट
की जा सकती है।



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

है क्योंकि सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, तकनीक, स्वयंसेवी महिला पुलिस और समाज की इच्छाशक्ति जो बदलाव चाहती है। नारी स्वतंत्रता और सुरक्षा का सपना सिर्फ कागजों, भाषणों और चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित ना हो बल्कि वास्तविकता के धरातल पर भी इनका प्रतिबिम्ब दिखाई दे क्योंकि बात आधी आबादी की है। 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है जो दुनिया को एक संदेश है आधी आबादी को सुरक्षित रखने का 10 दिसंबर, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया जिसकी थीम महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन की थी।

बहरहाल नारी को समान अधिकार, सुरक्षा और बराबरी का हक पाने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। उनके भी हक और अधिकार हैं, इसको साबित करने की जद्दोजहद जारी है। कारण हम सभी जानते हैं। निराकरण का मूल भी हमारे भीतर छुपा हुआ है। शुरुआत कहीं बाहर से नहीं अपने घर के भीतर से करें घर में बदलाव होगा तो दुनिया भी जरूर बदलेगी। क्योंकि सिर्फ सरकारी प्रयासों और तकनीक के बल पर इस महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सबको इसमें अपनी भागीदारी देनी होगी।

(लेखक लोकसभा टीवी में कंसल्टेंट हैं।)
ई-मेल : jha.air.sidharath@gmail.com

महिलाओं की सुरक्षा हेतु विधायी उपाय

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013

भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत गारंटीड समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा के साथ जीवनयापन करना और कोई भी व्यवसाय करने या उपजीविका, ट्रेड या व्यापार करने के अधिकार को कायम रखना है जिसमें अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित काम का माहौल उपलब्ध कराने से संबंधित अधिकार भी शामिल है। इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम 9 दिसम्बर, 2013 से लागू है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज की सामाजिक कुरीति की रोकथाम की जरूरत को स्वीकारते हुए, वर्ष 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में “दहेज” को परिभाषित किया गया है और दहेज देने, लेने या दहेज देने और लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कम-से-कम पांच वर्षों के कारावास के दंड और कम-से-कम पंद्रह हजार रुपये के जुर्माने का उपबंध किया गया है। इस कानून का प्रभावी और उन्मूलनकारी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के रूप में अंतर्निहित कार्यान्वयन व्यवस्था का उपबंध भी शामिल है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005

यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने और उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया है। यह कानून प्रकृति में सिविल है और घरेलू हिंसा जिसमें जाने-अनजाने में किए गए वे सभी कृत्य जिनसे महिलाओं को शारीरिक, सैक्सुअल या मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचती है और उसमें हिंसा के विशिष्ट रूप जैसे शारीरिक, सैक्सुअल, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग किया जाना शामिल है, को परिभाषित करता है। पीडब्ल्यूडीवीए सभी महिलाओं को घर के निजी दायरे में हिंसा से मुक्त जीने के अधिकार को मान्यता देता है। यह अधिनियम लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान करता है बशर्ते यह रिलेशनशिप विवाह के रूप में हो। इस कानून का उद्देश्य हिंसा को रोकना और प्रतिवादी के साथ महिला के रिश्ते के बावजूद ऐसी परिस्थितियों में तुरंत एवं आपातकालीन सहायता प्रदान करना है।

स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986

यह अधिनियम स्त्री के अशिष्ट रूपण को रोकने के विशिष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा-2(ग) के अनुसार “स्त्री का अशिष्ट रूपण” का अर्थ है महिला की आकृति, रूप या शरीर या उसके किसी भी हिस्से को ऐसे ढंग से दर्शाना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो या महिला के लिए अपमानजनक हो या जन-नैतिकता या सिद्धांतों को चोट पहुंचाता हो। यह किसी भी विज्ञापन, प्रकाशन, लिखित रूप में तथा रंगचित्रों में अथवा किसी भी अन्य रूप अथवा संदर्भ में महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल स्त्री के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करता है और महिला के किसी भी रूप में ऐसे अशिष्ट रूपण वाली पुस्तक, पैम्पलेट्स और अन्य ऐसी सामग्री की बिक्री, वितरण, परिपत्रण का भी प्रतिषेध करता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि इसके प्रावधानों की अवमानना करने वालों को 5 वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

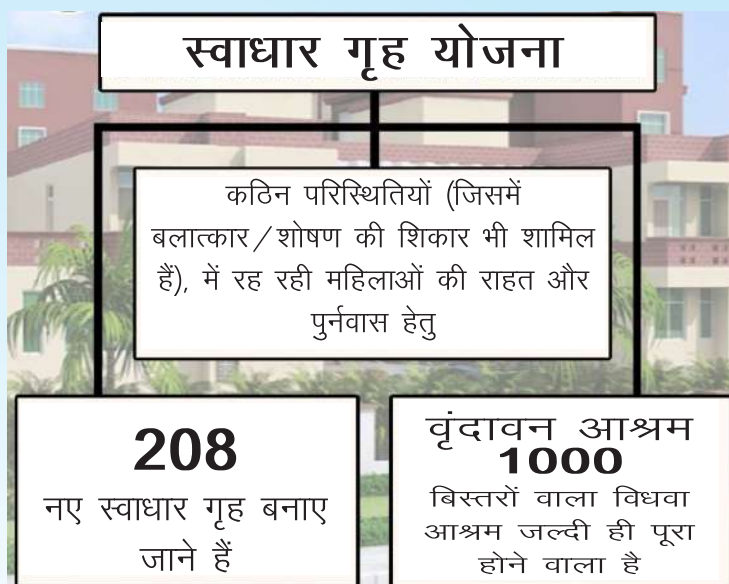


स्वाधार-गृह – कठिन परिस्थितियों में घिरी महिलाओं के लिए योजना

महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए और उनके जीवनयापन तथा पुनर्वास में मदद करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2001-02 में कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए स्वाधार योजना आरंभ की। इस योजना का लक्ष्य आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, प्रशिक्षण तथा कानूनी सहायता प्रदान कर कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं का पुनर्वास करना है।

परिकल्पना

इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसी पीड़िताओं की मदद के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने की परिकल्पना की गई है ताकि वे गरिमा तथा दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना में ऐसी सभी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य एवं आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी परिस्थिति में उन्हें बेसहारा न छोड़ा जाए ताकि उनका शोषण न हो सके।



योजना का उद्देश्य

योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं के लिए स्वाधार-गृह बनाए जाएंगे, जिनके निम्न उद्देश्य होंगे:

- मुश्किल में फंसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहारे से वंचित महिलाओं की आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा देखभाल संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी करना।
- दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण समाप्त हुई भावनात्मक शक्ति दोबारा प्राप्त करने में उनकी मदद करना।
- उन्हें कानूनी सहायता एवं सलाह देना ताकि उन्हें परिवार/समाज में दोबारा सहज होने में मदद मिल सके।
- उनका आर्थिक एवं भावनात्मक पुनर्वास करना।
- परेशानी में फंसी महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझने तथा पूरी करने के लिए सहायता-तंत्र के रूप में काम करना।
- उन्हें गरिमा एवं विश्वास के साथ नया जीवन आरंभ करने योग्य बनाना।

बड़े शहरों तथा 40 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य जिलों में अथवा महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत वाले जिलों में एक से अधिक स्वाधार गृह बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता तथा अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर स्वाधार गृह की क्षमता को बढ़ाकर 50 अथवा 100 भी किया जा सकता है।

कार्यान्वयन की रणनीति

ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जाएंगी:

- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि के प्रावधान के साथ अस्थायी आवास स्थल।
- ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यावसायिक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- परामर्श, जागरूकता उत्पन्न करना एवं व्यवहारगत प्रशिक्षण।
- कानूनी सहायता एवं निर्देशन।
- टेलीफोन के जरिए परामर्श।

योजना के लाभार्थी

निम्नलिखित श्रेणियों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं:

- परित्यक्ता तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बेसहारा महिलाएं;
- प्राकृतिक आपदाओं से बची महिलाएं, जो बेसहारा हो गई हैं और जिनके पास कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहारा नहीं है;
- जेल से रिहा हुई तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक सहारे से वंचित महिलाएं;

उ) घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव अथवा विवाद की शिकार महिलाएं, जिन्हें गुजारे के लिए कोई साधन दिए बगैर घर से निकाल दिया गया हो और जिनके पास शोषण अथवा वैवाहिक विवादों के नाम पर मुकदमों से बचने के लिए कोई विशेष संरक्षण नहीं हो; और

ऊ) देह व्यापार के ठिकानों से अथवा शोषण वाले स्थानों से भागी अथवा बचाई गई महिलाएं/लड़कियां अथवा एचआईवी/एड्स से प्रभावित महिलाएं, जिनके पास कोई सामाजिक एवं आर्थिक सहारा नहीं होता। किंतु ऐसी महिलाओं/लड़कियों को पहले अपने क्षेत्र में चल रही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मदद मांगनी चाहिए।

घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं एक वर्ष तक रह सकती हैं। अन्य श्रेणियों की महिलाओं को अधिकतम 3 वर्ष ठहरने दिया जाता है। 55 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष के लिए ठहराया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम अथवा उसी प्रकार की संस्थाओं में भेज दिया जाता है।

उपरोक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ आए बच्चे भी स्वाधार गृह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 18 वर्ष तक की लड़कियां और 8 वर्ष तक के लड़कों को अपनी मांओं के साथ स्वाधार गृह में रुकने दिया जाता है। (8 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत संचालित बाल गृहों में भेज दिया जाता है।)

क्रियान्वयन एजेंसियां तथा योग्यता मानदंड

क) नीचे दी गई कोई भी एजेंसी/संगठन इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं—

अ. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित महिला विकास निगमों समेत राज्य सरकार की एजेंसियां

आ. केंद्र अथवा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाएं

इ. निगम संस्थाएं

ई. छावनी बोर्ड

उ. पंचायती राज संस्थाएं एवं सहकारी संस्थाएं

ऊ. राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग

ए. उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट

ऐ. प्रमाणित रिकॉर्ड वाले नागरिक समाज संगठन जैसे एनजीओ आदि।

नारी शक्ति पुरस्कार

भारत सरकार हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को 'नारी शक्ति पुरस्कार' प्रदान करती है जोकि महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार वर्ष 1999 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सेवाओं को स्वीकार करना एवं मान्यता देना है। पुरस्कार देश के किसी भी भाग के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हो।

नारी शक्ति पुरस्कार

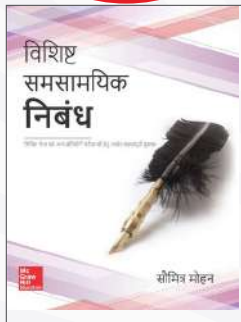
'महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान'

उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हों,
समाज को बदलने की दिशा में कोई अभूतपूर्व या
असाधारण काम किया हो।

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका
UPSC सिविल सेवा परीक्षा

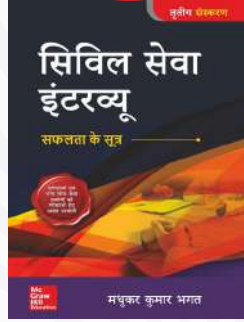
की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 345/-



ISBN: 9789352607679

₹ 195/-



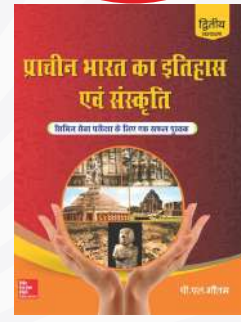
ISBN: 9789387067721

₹ 445/-



ISBN: 9789352607501

₹ 480/-



ISBN: 9789352607648

₹ 445/-



ISBN: 9789352606993

₹ 225/-



ISBN: 9789352606160

Prices are subject to change without prior notice.

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के निःशुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें
www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

मेकग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड



टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें @ [f](https://www.facebook.com/McGrawHillEducationIN) /McGrawHillEducationIN [i](https://www.instagram.com/MHEducationIN) /MHEducationIN [in](https://www.linkedin.com/company/McGraw-Hill-Education-India) /Company/McGraw-Hill-Education-India [yt](https://www.youtube.com/channel/UCMcGrawHillEducationIndia) /McGrawHillEducationIndia

प्रधानमंत्री द्वारा डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने ही अप्रैल 2015 में इस संस्थान की आधारशिला भी रखी थी। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस केंद्र से डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाओं और विचारों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सामाजिक और आर्थिक विषयों पर अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। यह समावेशी विकास और इससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक मामलों के थिंक टैंक के रूप में भी अहम भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'नए भारत' का उनका आह्वान उस भारत के बारे में है जिसका स्वप्न डॉ. अम्बेडकर ने देखा था। एक ऐसा भारत जिसमें हर एक को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हों; जो जातिगत उत्पीड़न से मुक्त हो; टेक्नोलॉजी की शक्ति से प्रगति की दिशा में अग्रसर हो। उन्होंने बाबासाहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए देशवासियों का आह्वान भी किया।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर, 2017 को 15 जनपथ स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण करते हुए।

नाविका सागर परिक्रमा : भारतीय नौसेना की महिला टीम द्वारा विश्वभ्रमण

नाविका सागर परिक्रमा समुद्री जहाज से विश्वभ्रमण करने वाली भारतीय नौसैनिकों की पहली ऐसी टीम है जिसकी सभी सदस्य महिलाएं हैं जो भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएसवी तारिणी पर दुनिया की यात्रा पर निकली हैं। रक्षा मंत्री ने 10 सितंबर, 2017 को इसे गोवा से रवाना किया। यह दल अप्रैल 2018 में अपना अभियान पूरा कर वापस लौटेगा। नाविका सागर परिक्रमा पांच चरणों में पूरी होगी और अभियान दल रसद लेने और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत आदि के लिए चार बंदरगाहों पर रुकेगा। इस अभियान का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से जहां एक ओर नौसेना में जहाजी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं यह भारत सरकार द्वारा 'नारी शक्ति' को दिए जा रहे महत्व को भी उजागर करता है।



आईएनएस तारिणी पर सवार नाविका सागर परिक्रमा टीम।

भारतीय नौसैनिक पोत तारिणी 55 फुट लंबा जहाज है जिसका निर्माण स्वदेश में ही किया गया है। इस लिहाज से यह विश्व को 'मेक इन इंडिया' की एक झांकी भी प्रस्तुत करता है। आईएनएसवी तारिणी की कप्तान लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी हैं। अपने समुद्री अभियान में यह दल समुद्र में प्रदूषण का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट देगा और मौसम/समुद्र/लहरों संबंधी आंकड़े नियमित आधार पर एकत्र करेगा ताकि अनुसंधान और विकास संगठन इनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सके।

'नाविका सागर परिक्रमा' महिलाओं को अधिकार-संपन्न बनाने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है जिसमें महिलाओं की क्षमता के पूर्ण विकास पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उनके बारे में सामाजिक दृष्टि और सोच में बदलाव लाना भी है।

समुद्र यात्रा परिवहन का ऐसा तरीका है जिससे पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, अपारम्परिक और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस अभियान से नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संदेश भी मिलता है।

महिलाएं और पंचायतें

भारत में पंचायती राज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है और यह ग्रामीण समाज को अपनी जरूरतों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है। हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये लोग पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक हैं। लेकिन सच तो यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनकी वास्तविक भागीदारी एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ है जो पूरा नहीं हो पाया है। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सरपंचों को प्रशिक्षण देने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि वे अपने गांवों में नेतृत्व की भूमिका सही तरीके से निभा सकें। यहां आगे हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कानूनी ढांचे और इसमें महिलाओं के स्थान पर चर्चा करेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 40 : इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित किया गया है और व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सुचारु रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी हैं। इसके अनुपालन में कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन उनके कामकाज में बहुत-सी कमियां नजर आईं। इनके चुनाव नियमित रूप से आयोजित नहीं किए जाते थे और आमतौर पर उनके पास कोई वास्तविक शक्तियां या विकास संबंधी भूमिकाएं नहीं थीं। इसलिये यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अनिवार्य विशेषताओं से युक्त बनाने के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जाए ताकि उनमें निश्चितता, निरंतरता और शक्ति का संचार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अस्तित्व में आया।

73वां संविधान संशोधन और भारत में पंचायती राज

73वें संशोधन से संविधान में एक नया खंड IX जोड़ा गया जिसका शीर्षक है “पंचायतें”। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (ओ)

के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई जिसके तहत पंचायतों के कार्यों के दायरे में 29 नए विषयों को शामिल किया गया है।

इस संशोधन के जरिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी अनुच्छेद 40 पर अमल शुरू हुआ है। लेकिन राज्यों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी भौगोलिक, राजनीतिक-प्रशासनिक एवं अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर पंचायती राज प्रणाली अंगीकार करें।

महिलाओं के लिए आरक्षण

जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह का प्रावधान करने को आगे आए और उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। सिक्किम ने इसे 40 प्रतिशत रखा है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अन्य विशेषताएं

- त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली। (20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों बीच के स्तर को छोड़ कर दो-स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करने की इजाजत दी गई है।)
- पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा।
- ग्रामसभा की मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी लोग इसके



सदस्य होंगे।

- सभी पंचायतों में सीधे तौर पर चुनाव के जरिए भरी जाने वाली सीटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी जो उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी और इनमें से एक तिहाई सीटें इन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- राज्यों के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे और सिफारिश करेंगे।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता

देश में यह बात अधिकाधिक महसूस की जाने लगी है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास गांव के प्रशासन के लिए उपयुक्त जानकारी और पर्याप्त कौशल नहीं होता। नतीजा यह होता है कि उनके पति ही पंचायत के कर्ता-धर्ता बन जाते हैं। इसलिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और अन्य महिला नेताओं में क्षमताओं के सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को देशभर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाना है।

प्रशिक्षण के क्षेत्र : इन महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुन कर आने के बाद जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा रही हैं उन्हें वे सही तरीके से निभा सकें। महिला और बाल विकास विभाग ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला सरपंचों तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन क्षेत्रों में इंजीनियरी (सड़कों, नालों, शौचालयों आदि के निर्माण), वित्तीय मामलों, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि शामिल हैं। इस प्रशिक्षण से महिला सरपंचों को आम आदमी, खासतौर पर उपेक्षित और विपदाग्रस्त लोगों के लाभ की योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल करने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व लाभ योजना आदि

शामिल हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन महिलाओं को नेतृत्व के अगले पायदान तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्तियों का निर्माण, रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण और देशभर में फैली लाखों आंगनवाड़ियों के जरिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना समाज के सबसे निम्न स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। महिला सरपंच इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। महिला सरपंचों को वाट्स एप ग्रुप बनाने और अच्छे तौर-तरीकों के बारे में जानकारी एक-दूसरे से साझा करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें एक जैसी समस्याओं के समाधान निकालने में आपस में मदद करने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

पारदर्शिता : 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को पांच साल में 2 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे जबकि इससे पहले गांवों के विकास का समग्र खर्च 30,000 करोड़ रुपये था। इस तरह सड़कों के निर्माण, जल निकास प्रणालियों, शौचालयों, खेती के तालाबों और रिहायशी मकानों के निर्माण जैसी ग्राम विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक जवाबदेही, ईमानदारी और पारदर्शिता लाने की भी आवश्यकता है। उम्मीद है कि प्रशिक्षण प्राप्त महिला प्रतिनिधि ये सब सुनिश्चित कर पाएंगी।

झारखंड से शुरुआत करते हुए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश-भर में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायती राज विकास विभागों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और इसके अंतर्गत देशभर में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस समय देश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 13 लाख है। अगर देशभर में महिला सरपंचों को प्रशिक्षित कर दिया जाए तो इससे निम्नलिखित बदलाव लाए जा सकते हैं:

1. इससे आदर्श ग्रामों के निर्माण में मदद मिलेगी,
2. इससे महिलाओं को भविष्य की नेत्रियों के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी।

इसके प्रशिक्षण मॉड्यूल को महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से तैयार किया है। प्रशिक्षण प्रतिभागिता पर आधारित है जिसमें सामूहिक चर्चाओं, चिंतन व्याख्यान, प्रदर्शन, क्षेत्र का दौरा करने, केस स्टडी, खेल-कूद, कार्यशालाओं के आयोजन और व्यक्तिगत असाइनमेंट पूरे करने जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मॉड्यूल के तहत विभिन्न विषयों, जैसे 'आदर्श पंचायत क्या है,' विकास योजनाओं, पंचायतों के संसाधन और उनका उपयोग और दुर्बल वर्गों के संरक्षण के नियमों आदि पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

बालिका शिक्षा से आएगी देश में समृद्धि

—चंद्र भूषण शर्मा

शिक्षा से तात्पर्य मात्र विद्यालय जाने और परीक्षा उत्तीर्ण करने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ ही होता है मानसिक, शारीरिक और वैचारिक विकास। विद्यालयों में बालिकाओं के मानसिक के साथ-साथ शारीरिक विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम विद्यालय की गतिविधियों को देखें तो पाएंगे कि बालकों के लिए तो खेलकूद की उचित व्यवस्था होती है परंतु बालिकाओं के खेलकूद की व्यवस्था नहीं होती। हमारे सामने उदाहरण हैं जब-जब अभिभावकों ने अपनी बेटियों पर विशेष ध्यान दिया तो वे विश्व-स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाईं। दरअसल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट आदि में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है परंतु दुखद तथ्य है कि महिला विजेताओं को उतनी तवज्जो मीडिया भी नहीं देता जितना पुरुष विजेताओं को देता है। इस संदर्भ में समाज का भी नजरिया बदलना जरूरी है।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार अथवा समाज के सशक्तिकरण का एक मुख्य कारक है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह सशक्त होगा और अपने बारे में सही निर्णय ले पाएगा। शिक्षा हमें सही-गलत का ज्ञान कराती है और अच्छी शिक्षा बेहतर और दूरगामी निर्णय लेने में सहायक होती है। शिक्षा के अभाव में हम मात्र अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं परंतु शिक्षित व्यक्ति दूसरों के, खासकर ज्ञानियों के अनुभवों से भी सीख सकते हैं, जो पुस्तकों में संजो के रखे गए हैं तथा अपने और अपने परिवार अथवा दूसरों को सही निर्णय लेने में सहयोग कर सकते हैं।

शिक्षा का प्रभाव न सिर्फ व्यक्तियों पर देखा जा सकता है अपितु परिवार, समाज और देश पर भी देखा जा सकता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि पढ़े-लिखे माता-पिता के बच्चे विद्यालय में उन बच्चों से जल्दी और बेहतर सीखते हैं, जिनके माता-पिता कम पढ़े-लिखे होते हैं; खासकर जिन बच्चों की माता पढ़ी-लिखी होती है, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माताएं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती हैं और बच्चों की आदत होती है कि वे आसपास की चीजों को समझने के प्रयास में प्रश्न पूछते रहते हैं। यदि माताएं पढ़ी-लिखी होती हैं तो बच्चों के प्रश्नों का उत्तर सहज ही दे देती हैं और यदि किसी बारे में उन्हें नहीं पता हो तो कहीं से पढ़कर बता देती हैं। गांधी जी ने सही कहा था कि यदि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो एक परिवार को पढ़ाते हैं।

साहित्य से ऐसा पता चलता है कि प्राचीन भारत में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भेद नहीं था। वैदिककाल में भी घोष, रोमासा, लोपामुद्रा, विश्वेवार जैसी ब्रह्म-वादिनियों का नाम आता है। महिलाएं भी पुरुषों की तरह यज्ञोपवीत

पहनतीं और दूसरे पंडितों की तरह यज्ञोपवीत कराती थीं। इस बात की चर्चा यहां इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान काल में ऐसी धारणा फैला दी गई है कि भारत में महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर नहीं था। कोई भी समाज उन्नत समाज नहीं हो सकता है यदि पुरुष और महिलाएं दोनों बराबरी का स्थान नहीं प्राप्त करते हैं। किसी भी समाज में लगभग पचास प्रतिशत आबादी महिलाओं की होती है और यदि पचास प्रतिशत लोग विकास की प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएं तो हर क्षेत्र में विकास धीमा पड़ जाएगा। शिक्षा और शोध तो छोड़ दीजिए, खेल-कूद और दूसरी स्पर्धाओं में भी महिलाओं का योगदान कमजोर पड़ जाएगा।

भारतीय परंपरा 'अर्धनारीश्वर' की है अर्थात् दोनों एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं और एक-दूसरे के अभाव में कोई भी संपूर्ण नहीं है। जिस समाज की सोच ऐसी उन्नत होगी वही विकसित समाज बन सकता है और यदि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो बालिकाओं की शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में उनके





योगदान को उचित स्थान देना होगा।

मध्यकाल में जब भारत पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे और मुगल तथा पश्चिमी लुटेरे भारत पर आक्रमण करते रहे, महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। यह सर्वविदित है कि आक्रमण या युद्ध की स्थिति में उस समाज का मनोबल तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका उस समाज की महिलाओं की इज्जत लूटना होता है। इस कालखंड में भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दुर्बल हुई तथा जिसके फलस्वरूप उनका योगदान भी सामाजिक कार्यों में घटता गया। यह वह काल-खंड था जब भारत में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की आड़ में पर्दे के पीछे धकेल दिया तथा उनकी स्थिति विश्व के अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में अत्यंत दयनीय हो गई।

राजनैतिक सोच का अभाव

महिला सशक्तिकरण में राजनैतिक सोच और दृढ़ता का भी अभाव रहा है। विभिन्न राजनैतिक दल अलग-अलग समय पर महिलाओं के प्रश्न उठाते रहे हैं परंतु छोटे-मोटे कार्यक्रमों के सिवा कोई सुदृढ़ और दूरगामी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। यों तो संसद में महिला आरक्षण बिल भी लाया गया था। इस बिल में प्रावधान था कि राजनैतिक दलों को 33 प्रतिशत स्थानों से महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य होगा। संसद ही देश का भविष्य तय करती है और अगर वहां 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी तो कानून और सरकारी योजनाओं में महिलाओं की उपेक्षा नहीं होगी। इस बिल को लाया ही इसलिए गया था ताकि संसद में उठने वाले दूसरे गंभीर विषयों से ध्यान हटाया जा सके और इस बिल का विरोध ऐसे नेताओं और पार्टियों ने किया जो दबे-कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं। पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए 'पर-कटी' महिलाएं जैसे संबोधन इस्तेमाल किए गए। बिल तो पास नहीं होना था सो नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं की गरिमा को भी अत्यंत ठेस पहुंची। महिला सशक्तिकरण के लिए पहली आवश्यकता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम पचास प्रतिशत आबादी के बारे में

गंभीरता से सोचें उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने का सोचें और राष्ट्रीय विकास में महिलाओं के योगदान की सोचें और उचित राजनैतिक निर्णय लें।

पूर्व के अनुभव से स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ सम्पन्न परिवार के सदस्यों को ही मिलता है। यह भी वास्तविकता है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है परंतु एक निश्चित समयावधि के लिए महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए संसद में आरक्षण देकर सहभागिता बढ़ाना एक प्रगतिशील कदम होता।

अलग-अलग समुदायों में अलग-अलग कुरीतियां व्याप्त हैं जिनका उन्मूलन किए बिना महिला शिक्षा और सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय पर नहीं सोचा जा सकता। पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह करना, कभी भी एक पत्नी को छोड़ कर दूसरी महिला से विवाह कर लेना, पूजा-अर्चना के स्थान में महिलाओं को प्रवेश निषेध कर देना आदि ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें जड़ से समाप्त किया जाना जरूरी है ताकि बालक और बालिकाएं एक स्वच्छ-स्वस्थ माहौल में पढ़ें और बढ़ें और अपनी क्षमताओं का विकास और प्रदर्शन कर सकें।

महिलाओं का सर्वांगीण विकास जरूरी

शिक्षा से तात्पर्य मात्र विद्यालय जाने और परीक्षा उत्तीर्ण करने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ ही होता है मानसिक, शारीरिक, वैचारिक विकास। विद्यालयों में बालिकाओं के मानसिक के साथ-साथ शारीरिक विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम विद्यालय की गतिविधियों को देखें तो पाएंगे कि बालकों के लिए तो खेलकूद की उचित व्यवस्था होती है परंतु बालिकाओं के खेलकूद की व्यवस्था नहीं होती है। हमारे सामने उदाहरण हैं जब-जब अभिभावकों ने अपनी बेटियों पर विशेष ध्यान दिया तो वे विश्व-स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाईं। दरअसल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट आदि में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है परंतु दुखद तथ्य है कि महिला विजेताओं को उतनी तवज्जो मीडिया भी नहीं देता जितना पुरुष विजेताओं को देता है। समाज का भी नजरिया बदलना होगा।

महिला शिक्षा की मुख्य चुनौतियां

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा की मुख्य चुनौतियां उनके लिए उचित व्यवस्था और सहयोग प्रदान करना है। शहरों में उतनी समस्या नहीं है परंतु गांवों में बालिकाओं के विद्यालय आने-जाने के उचित साधनों का न होना मुख्य समस्या है। गांवों में सड़कें न होने के कारण बालिकाओं के लिए स्कूल जाने में बहुत बाधा पैदा होती है। बहुत बार खेतों में से मेड़ पर चलकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जहां लड़कियों को काफी असुविधा होती है। परन्तु जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय गांव में ही या नजदीक उपलब्ध होता है, वहां लड़कियों की सहभागिता निःसंदेह बढ़ती है।

लड़कियों के लिए साइकिल देने का प्रावधान कुछ वर्ष पहले

किया गया था। जहां लड़कियों को साइकिल मिली, उसका बहुत अनुकूल प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ा है। जिन बच्चियों को साइकिल मिली वे अपनी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई पूरी कर पाईं और उनके अभिभावकों ने उन्हें महाविद्यालय जाने के लिए स्कूटी भी खरीद कर दी क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं – पहला तो ये कि आमतौर पर परिवारों में बालिका शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है अतः वे पिछड़ जाती हैं और दूसरा ये कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए और राशि खर्च की जाए तो वे लड़कों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लगातार कई वर्षों से केंद्रीय तथा राज्य की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा समितियों की परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के प्रदर्शन से बेहतर रहा है। न सिर्फ लड़कियों का वैयक्तिक प्रदर्शन परंतु आम लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा है। यदि हम उच्च शिक्षा के भी आंकड़े देखें तो विश्व के विकसित देशों में लड़कियों की सहभागिता एवं प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है।

चूंकि गांव-देहात में यह आम मान्यता है कि लड़कियां पराए घर की अमानत होती हैं और लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती हैं अतः माता-पिता आमतौर पर बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा धन व्यय नहीं करना चाहते और लड़कियां यदि विद्यालय न जाएं तो वे घर के कामों या छोटे भाई-बहनों की देख-रेख करती हैं जिसके कारण माता दूसरे कामों के लिए समय निकाल सकती है।

यद्यपि बच्चियों का विद्यालय न जाकर घर के काम में हाथ बंटाना आम बात है और परिवार के लिए छोटे अंतराल में ये फायदेमंद भी लगे परंतु लंबे समय में यह बहुत नुकसानदेह होता है। बच्चियां अगर पढ़ जाएं तो वे अपने बच्चों को बेहतर बना सकती हैं।

ऐसा पूर्व के कार्यक्रमों से ज्ञात होता है कि जो राशि स्वास्थ्य के कार्यक्रमों पर लगाई गई उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया

क्योंकि अशिक्षित लोग गांव के स्वघोषित वैद्य या जादू-टोना करने वालों के झांसे में आ गए जिन्होंने अपना रोजगार चलाने के लिए भोले-भाले लोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कर दिया और इन लोगों ने स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी गई दवा खाने के बजाए इन ढोंगियों से अपना इलाज कराना पसंद किया। आजादी के तुरंत बाद सरकार ने उच्च शिक्षा पर ज्यादा धन लगाया तथा बड़े-बड़े संस्थान खोले जिसका लाभ केवल शहरी आबादी को मिला। प्राथमिक शिक्षा का अभाव रहा और जहां थोड़ी-बहुत व्यवस्था थी भी, उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठते रहे। 93 प्रतिशत बच्चे जो विद्यालय में कक्षा एक में दाखिला लेते थे, कक्षा 12 तक पहुंचते नहीं और यदि पहुंचते भी तो बारहवीं की बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाए। यह हमारे नियोजन की बड़ी भूल थी। स्वास्थ्य या दूसरे विकास के कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाएगा यदि लोगों को शिक्षा नहीं मिली हो। परिवार नियोजन कार्यक्रम उन समुदायों में सफल नहीं हुआ जिनमें शिक्षा की कमी थी। लोग धर्म गुरुओं की बात सुनते रहे, ज्यादा बच्चे पैदा करते रहे और उनकी खासकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती गई।

यदि हमें देश बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है कि लड़कियों की सहभागिता कम है। हमें वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, तथा ऐसी ही दूसरी योजनाएं जैसे झारखंड की 'तेजस्विनी', अल्प-संख्यक मंत्रालय की 'नई मंजिल' आदि योजनाओं को सुचारु बनाना होगा ताकि इन कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ बालिकाओं को मिल सके।

(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा विषय के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष हैं।)

ई-मेल : cbsharma01@gmail.com

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल प्रशिक्षण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आईसीडीएस के अंतर्गत देश भर में इन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन के वितरण के आसपास घूमती थी। लेकिन सरकार अब आंगनवाड़ियों के प्री-स्कूल शिक्षा केन्द्रों में रूप में कार्य करने पर जोर दे रही है। इसके परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल अध्यापक बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद शुरू की गई है। इस समय देश भर के 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में करीब 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार लाने के लिए चौतरफा प्रयास कर रहा है। इस सम्बन्ध में हाल में की गई पहलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैन इंडिया विस्तार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, ईसीसीई के लिए दिशा-निर्देश, खाद्यान्न सुदृढीकरण, महिला और बाल विकास मंत्रालय का ई-लर्निंग पोर्टल शामिल हैं। आंगनवाड़ियां स्वच्छ भारत मिशन में भी बड़े पैमाने पर योगदान दे सकती हैं। पोषण को स्वच्छता से जोड़कर यानी बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वच्छ वातावरण में पोषण प्रदान करके यह कार्य किया जा सकता है।

बच्चों के विकास और आईसीडीएस योजना के अंतर्गत संबद्ध क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2016-17 के लिए कुल 51 कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय-स्तर के पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है, जबकि राज्य-स्तर के पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

देश के सभी 640 जिलों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का विस्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) में करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसका उद्देश्य बच्चों के लिंग अनुपात पर गहन सकारात्मक प्रभाव डालना है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के विस्तार का अनुमोदन 161 जिलों में इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के आधार पर किया गया।

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य बच्चों के लिंग अनुपात में चिंताजनक गिरावट और जीवन-चक्र

निरंतरता के साथ महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है। शिशु लिंग अनुपात का अर्थ है 0-6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या, जो 1961 में 976 थी, वह 2011 की जनगणना तक आते-आते 918 रह गई। परंतु, इस चिंताजनक प्रवृत्ति को रोकने और पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित कार्यक्रम अथवा व्यापक समर्थक कार्यनीति नहीं थी। सरकार ने शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की चुनौती को पहचाना, जो बालिकाओं के प्रति लिंग भेदभाव की सूचक है और जिस पर तत्काल ध्यान देने तथा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया।

वर्तमान (22 नवंबर, 2017) में यह कार्यक्रम तीन मंत्रालयों द्वारा सम्मिलित प्रयास के रूप में लागू किया जा रहा है। ये हैं – महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसमें चुने हुए 161 जिलों में जागरूकता और समर्थन अभियान, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई, बालिकाओं की शिक्षा को सक्षम बनाने और प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (पीसी एंड पीएनडीटी) एक्ट को कारगर ढंग से लागू करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्यों में लिंग संबंधी पक्षपातपूर्ण गर्भपात की रोकथाम; बालिकाओं का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्र के स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है। राज्य के स्तर पर मुख्य सचिव राज्य कार्यबल (एसटीएफ) के प्रमुख होते हैं और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा सके। जिला कलेक्टर और जिला आयुक्त, जिले के स्तर पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं और सभी विभागों के बीच समन्वय कायम करते हैं।

यह कार्यक्रम तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा और इस अल्पावधि के दौरान 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का व्यापक स्वागत हुआ है और तत्संबंधी अनुकूल प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम से संबंधित 161 जिलों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मार्च 2015-16 और 2016-17 की अवधि में 104 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ, 119 जिलों में जन्म-पूर्व देखभाल के लिए गर्भ की पहली तिमाही के पंजीकरण में प्रगति हुई और 146 जिलों में अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में सुधार आया।

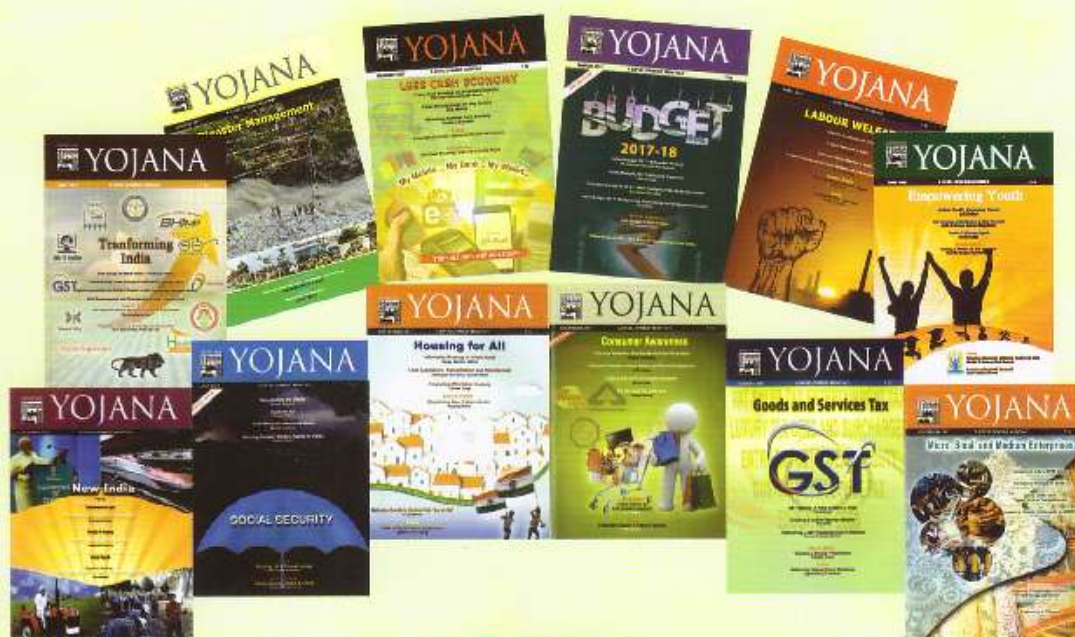
161 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामों से उत्साहित होकर और समस्या के आकार और गंभीरता को देखते हुए और देशभर में इसका प्रसार करने के लिए यह महसूस किया गया कि अगर शिशु लिंग अनुपात में समग्र सुधार लाना है तो कोई जिला ऐसा नहीं बचना चाहिए, जो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के दायरे में न आता हो। तदनुसार कैबिनेट ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि में रु. 1132.5 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय के साथ बीबीबीपी की अखिल भारतीय कवरेज के विस्तार का अनुमोदन किया। इसका शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। 640 जिलों में से फिलहाल 161 जिलों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। विस्तार के दौरान मौजूदा 161 जिलों के अतिरिक्त 244 जिलों में बहु-क्षेत्रीय उपाय शामिल होंगे। 235 जिले सतर्क जिला मीडिया, शिक्षा और आउटरीच के जरिए कवर किए जाएंगे। इस तरह देश के सभी 640 जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर होंगे।





Compilation of YOJANA

2017 Issues
(January to December)



PUBLICATIONS DIVISION



Price: 300/-

स्वस्थ महिलाएं : देश के विकास की नींव

—मनीषा वर्मा

“कोई समुदाय, कोई देश और अंततः समूचा विश्व, उसी अनुपात में मजबूत होता है जिस अनुपात में उनके यहां इनमें रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है।” मिशेल ओबामा के ये उद्गार महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व को सरल और सटीक शब्दों में रेखांकित करते हैं। महिलाएं हमारे परिवारों और उसके बाद हमारे समाज तथा अंततः समूचे देश की जड़ों की तरह होती हैं। हाल में हुए अनुसंधान से भी इस दावे की पुष्टि होती है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से जहां कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है और कई दुखद घटनाओं को टाला जा सकता है वहीं इससे देश के लिए उच्च सामाजिक और आर्थिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

लैसेट में 2014 में छपे एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य के खर्च में सन् 2035 तक प्रति व्यक्ति 5 डॉलर की वृद्धि करने से नौ गुना अधिक आर्थिक और सामाजिक फायदे हासिल किए जा सकते हैं। इन फायदों में उत्पादकता में सुधार और टाली जा सकने वाली मौत तथा बीमारियों की रोकथाम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में तेजी शामिल है। महिलाओं के स्वास्थ्य को दी जा रही प्राथमिकता का पता सरकार के कार्यक्रमों और उसकी स्वास्थ्य संबंधी कार्यसूची में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) को दिए जा रहे महत्व से स्पष्ट हो जाता है। इन लक्षित कार्यक्रमों के जरिए किए जा रहे प्रयासों से बहुत कुछ हासिल हुआ है। उदाहरण के लिए देश में मातृ मृत्यु दर घटकर 167 रह गई है (जो 1990 में 560 थी), 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 43 रह गई है (जो 1990 में 126 थी) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 34 हो गई है (जो 1990 में 88 थी)। भारत को मातृ और नवजात शिशु के टिटनेस की बीमारी से मुक्त होने का प्रमाणपत्र अप्रैल 2015 में मिला जबकि इसके लिए वैश्विक लक्ष्य दिसंबर 2015 का निर्धारित किया गया था। माता-पिता से बच्चों में एड्स के संक्रमण को रोकने के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के कार्यक्रम (पीपीटीसीटी) के तहत हम नवजात शिशुओं में एचआईवी के मामलों की रोकथाम में भी सफल रहे हैं। हालांकि अब तक काफी कुछ हासिल किया जा चुका है लेकिन कई नई और अभिनव पहलों पर अमल जारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्टों और कार्यक्रमों के अध्ययनों से पता चलता है कि आमतौर पर महिलाओं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाने के लिए अब भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे वे स्वास्थ्य संबंधी अच्छे तौर-तरीकों पर अमल नहीं कर पातीं और परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी में भी इनकी नींव नहीं पड़ पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ नहीं हैं। शिशु और मां का स्वास्थ्य और उनकी उत्तरजीविता से सामाजिक विकास की समूची रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सामाजिक निर्धारकों पर ध्यान दे रही है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में

विकास के लिए कदम उठाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आम महिलाओं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं, और पहल की हैं। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने में मंत्रालय जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए) पर ध्यान दिया जाता है। अगर हम किशोरावस्था में ही बालिकाओं की सही देखभाल करें तो आगे चलकर महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा क्योंकि स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) प्रारंभ किया गया जो एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य पौष्टिक आहार, चोट और हिंसा (जिसमें लिंग-आधारित हिंसा भी शामिल है), गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और नशे जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए किशोरियों के लिए प्रोत्साहन और निवारण वाला दृष्टिकोण अपनाया





प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

भारत में ज्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पोषण में कमी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला एनीमिया (रक्त की कमी) से पीड़ित है। एक कुपोषित मां अनिवार्य रूप से कम वजन के बच्चे को जन्म देती है। गर्भ से ही खराब पोषण शुरू होता है तो इसका असर जीवन भर रहता है क्योंकि परिवर्तन काफी हद तक अपरिवर्तनीय है। आर्थिक और सामाजिक संकट के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार के लिए काम करना जारी रखती हैं। इसके अतिरिक्त वे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद काम शुरू करती हैं भले ही शरीर काम करने के लिए उपयुक्त न हो। इस प्रकार वे अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। पहले छह महीनों में विशेष रूप से नवजात शिशु को स्तनपान कराने की क्षमता पर असर पड़ता है।



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) देश के सभी जिलों में 01 जनवरी, 2017 से कार्यान्वित की जा रही है।

पीएमएमवीवाई के तहत 5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू और एलएम) के खाते में सीधे अंतरित किया जाता है बशर्ते वे मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी उनकी विशिष्ट शर्तों को पूरा करती हो। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होगा ताकि एक महिला को औसतन 6000 रुपये मिलें।

योजना का उद्देश्य

नकद प्रोत्साहन के जरिए मजदूरी हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना है जिससे कि महिला बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। उपलब्ध कराए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

लक्षित लाभार्थी

सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (लैक्टेटिंग माताओं), उन्हें छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या पीएसयू में नियमित रूप से रोजगार में हैं या जो निर्धारित समय के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।

सभी पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिनके परिवार में पहला बच्चा 01.01.2017 को या उसके बाद हुआ हो। एक लाभार्थी केवल एक बार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

योजना के तहत लाभ

5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन तीन किस्तों में दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर गर्भवती महिला द्वारा जल्दी पंजीकरण करवाने पर पहली 1000 रुपये की किस्त संबंधित प्रशासनिक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा प्रदान की जा सकती है। छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक जन्मपूर्व जांच (एएनसी) करवाने पर 2,000 रुपये की दूसरी किस्त। इसके अलावा 2000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण तथा उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी या उसके बराबर या विकल्प के पहले चक्र के लिए है।

जाता है। इसमें स्वास्थ्य संस्थाओं, समुदाय और स्कूल के स्तर पर पहल की जाती है। किशोर/किशोरियों को हर सप्ताह फोलिक एसिड की खुराक देने के कार्यक्रम (डब्ल्यू कर आईएफएस) के अंतर्गत 2017-18 की दूसरी तिमाही तक 3.9 करोड़ लाभार्थियों को यह खुराक दी जा चुकी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत माहवारी स्वास्थ्य योजना के लिए 16 राज्यों को इस साल 42.9 करोड़ रुपये प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से सेनिटरी नैपकिनों की विकेंद्रित खरीद के लिए आबंटित किए गए हैं। 8 राज्य इस योजना को अपने वित्तीय संसाधनों से चला रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर किशोरों के लिए सुविधाजनक स्वास्थ्य केंद्र (एएफएससीज) खोल कर परामर्श सेवाएं (जिनमें लिंग-आधारित हिंसा के मामलों में परामर्श भी शामिल है) चलाई जा रही हैं जो राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम का ही हिस्सा हैं। एएफएससी किशोरों के लिए प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य संपर्क केन्द्र का कार्य करते हैं। अब तक देश भर में इस तरह के 7632 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही में करीब 29.5 लाख किशोरों ने इनकी सुविधाओं का लाभ उठाया। सहपाठी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए हर एक हजार किशोरों के लिए चार सहपाठी परामर्शदाताओं (साथिया) का चयन किया जाता है जिनमें से दो किशोर और दो किशोरियां होती हैं। सहपाठी शिक्षा कार्यक्रम 211 जिलों में चलाया जा रहा है और अब तक 1.94 लाख सहपाठी परामर्शदाताओं (पीई) का चयन किया जा चुका है। एएनएम और पीई का प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है।

किशोरों के बाद अगर परिवार नियोजन की ओर बढ़ें तो आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और एएनएम (ऑगजीलरी नर्स मिडवाइफ) को नवविवाहित दम्पतियों की पहचान करने और उन्हें कंडोम और खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों (आपात गर्भनिरोधक गोली भी इनमें शामिल हैं) समेत परिवार नियोजन की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि नवविवाहित दंपति घर पर ही अपनी पसंद की सुविधा का चयन कर सकें। सबसे अधिक प्रजनन दर वाले सात राज्यों में हाल में मिशन परिवार विकास (एमपीवी) शुरू किया गया। एमपीवी से महिलाओं के लिए इंजेक्शन से लगाए जाने वाले परिवार नियोजन उपायों समेत वैकल्पिक गर्भनिरोधक उपायों में बढ़ोतरी हुई है बल्कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंतर्गत सास को भी परिवार नियोजन की जिम्मेदारी के दायरे में लाया जा रहा है (क्योंकि परिवार के आकार के निर्धारण में पहला असर उनका ही होता है)। अस्पताल में प्रसव के बाद घर लौटने से पहले गर्भाशय में प्रसवोत्तर गर्भनिरोधक प्रणाली (पीपीआईयूसीडी) लगाने की सुविधा सुनिश्चित कराने की भी व्यवस्था की गई है।

जीवन-चक्र में अगला चरण है गर्भधारण। गर्भवती महिला के जल्दी पंजीकरण (पहली तिमाही) से शुरुआत करते हुए प्रसव होने तक स्वस्थ माता और शिशु का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

(पीएमएसएमए) के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख किसी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व विशेष जांच होती है जिनमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टरों के साथ अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इससे गर्भधारण के अधिक जोखिम वाले 5 लाख से अधिक मामलों का पता लगाने में मदद मिली है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए पात्र गर्भवती महिला को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में शिशु को जन्म देने के लिए सशर्त नकद सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है ताकि माताओं और शिशुओं की मौतों में कमी लाई जा सके। अन्य प्रयासों के साथ-साथ यह योजना भी सफल रही है जोकि देश में वर्तमान संस्थागत प्रसव की दर के 78.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने से भी स्पष्ट है (एनएफएसएस)। वर्ष 2005-06 में इस योजना का फायदा उठाने वालों की संख्या 7.39 लाख थी जबकि आज हर साल एक करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2017-18 में सितंबर 2017 तक 45.94 लाख लाभार्थी जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आ चुके थे। इसके अंतर्गत अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की गई है जिससे पात्र गर्भवती महिलाओं को योजना का फायदा आधार से जुड़े उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित कर दिया जाता है। राज्यों से मिली रिपोर्टों के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए गर्भवती महिलाओं को 5 दिसंबर, 2017 तक 373.12 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जा चुका था। जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसी योजना का विस्तार है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा और पौष्टिक आहार मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। दिसंबर 2017 तक 1.2 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त दवाएं प्राप्त कीं, 1.3 करोड़ ने नैदानिक सुविधाएं प्राप्त कीं, 70 लाख को प्रसव के दौरान मुफ्त खुराक उपलब्ध कराई गई और 70 लाख को घर से अस्पताल तक जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दी गई। इसके अलावा 64 लाख महिलाओं को अस्पताल से घर तक छोड़ने के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

सुरक्षित गर्भधारण और मातृत्व के लिए सबसे जरूरी पहल है—टीकाकरण। सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जाते हैं। इसके अलावा विशेष कार्यक्रम 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत भी टिटनेस टीकाकरण किया जाता है जिसका उद्देश्य ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के दायरे में लाना है जो सामान्य टीकाकरण से वंचित रह गई हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 68.71 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में शुरू किए गए तीव्र मिशन इंद्रधनुष के अक्टूबर और नवंबर, 2017 में आयोजित दो दौरों में 190 जिलों/शहरी इलाकों में कुल 6.46 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से

प्रसूति अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया

कामकाजी महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद ने 9 मार्च, 2017 को प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया। इस विधेयक के जरिए प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक उपाय शामिल किए गए।



इस विधेयक के जरिए निम्नांकित संशोधन किए गए :-

- (1) कामकाजी महिलाओं के लिए प्रथम दो बच्चों तक प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
- (2) 2 बच्चों के बाद प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह का जारी रहेगा।
- (3) 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश उन माताओं को भी मिलेगा, जो 3 महीने से कम आयु का शिशु गोद लेती हैं। इसी तरह "कमिशनिंग मदर्स" को भी 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। कमिशनिंग मदर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसी जैविक मां, कमिशनिंग मदर समझी जाएगी, जो अपना अंडा किसी अन्य महिला के गर्भ में भ्रूण की तरह प्लांट किए जाने के लिए इस्तेमाल करती है।
- (4) 50 कर्मचारियों से अधिक के प्रत्येक प्रतिष्ठान को कामकाजी माताओं के लिए शिशु सदन सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और ऐसी माताओं को कार्य समय के दौरान शिशु सदन में बच्चे को चार बार दूध पिलाने की अनुमति दी जाएगी।
- (5) नियोक्ता किसी महिला को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसा संभव हो।
- (6) प्रत्येक प्रतिष्ठान को ये सभी लाभ महिलाओं को उसकी नियुक्ति के समय से देने होंगे।

एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। नाको तकनीकी अनुमान रिपोर्ट (2015) के अनुसार भारत में गर्भधारण के सालाना 2.9 करोड़ मामलों में से 35,000 मामले एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के थे। पीपीटीसीटी कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को मां से एचआईवी के संक्रमण को रोकना है। कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिला का समन्वित परामर्श और परीक्षण केंद्रों (आईटीसीटीज) में जांच की जाती है और परामर्श दिया जाता है। 1 जनवरी, 2014 से एचआईवी पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिलाओं को जीवन-पर्यंत एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) उपलब्ध कराई जाती है भले ही उनका सीडी4 काउंट कुछ भी हो और विश्व स्वास्थ्य संगठन के चिकित्सकीय मानदंडों के अनुसार उसकी स्थिति कुछ भी हो। उनके नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत

बाद छह सप्ताह के लिए सिरप नेविरापाइन की चिकित्सा में रखा जाता है ताकि मां से बच्चे में बीमारी का संक्रमण न फैले। अगर मां की एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी की अवधि 24 सप्ताह से कम है तो बच्चे की सिरप नेविरापाइन देने की अवधि 12 सप्ताह बढ़ा दी जाती है। वर्ष 2015-16 में 127 गर्भवती महिलाओं ने इस सेवा का लाभ उठाया। इनमें से 11,918 गर्भवती महिलाएं एचआईवी पॉजिटिव पाई गईं। इन सेवाओं को सभी लोगों की पहुंच के दायरे में लाने के लिए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना से जोड़कर इसका विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

देश में कैंसर, खासतौर पर महिलाओं को होने वाले स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों का प्रकोप समाज के सभी वर्गों की महिलाओं में बढ़ रहा है। सरकार ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप और आम कैंसर (मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) की जनसंख्या-आधारित जांच का कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाल का एक कार्यक्रम है और सामुदायिक-स्तर पर ही जोखिम वाले कारकों की पहचान कर उन पर ध्यान देने की दिशा में एक जबर्दस्त कदम है। जनसंख्या के स्तर पर जांच कार्यक्रम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि समूचे देश को चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में लाया जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान 150 जिलों को इसके दायरे में लिया जा रहा है। योजना यह है कि 30 साल से अधिक उम्र की सारी आबादी में गैर-संचारी रोगों के जोखिम के कारणों की जांच करने में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा और नर्सएएनएम) की सेवाओं का लाभ उठाया जाए और इस तरह के मामलों को इलाज के लिए आगे भेजा जाए। इसके अंतर्गत आशा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप-केंद्रों की क्षमता का विकास करके जनता में आमतौर पर होने वाले गैर-संचारी रोगों की जांच की जाएगी। उन्हें प्रत्येक परिवार का फोल्डर बनाकर 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य किस्म के कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के लिए जांच करने और संदिग्ध मामलों का पता लगाकर उन्हें इलाज के लिए आगे भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें जोखिम का आकलन करने और गैर-संचारी रोगों के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य जीवनशैली के संदेश के प्रचार-प्रसार में भागीदार बनाया जाएगा। सितंबर, 2017 में देशभर में 165 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है।

देश की सभी महिलाओं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए स्वास्थ्य सेवाओं के पिटारे का उद्देश्य किफायती दर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना है ताकि देश में सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर्गत निश्चित उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी जिनके प्रति भारत वचनबद्ध है।

(लेखिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक (मीडिया और संचार) हैं।)

ई-मेल है: v.manisha@gmail.com

किशोरियों से जुड़े मुद्दे

—डॉ. संतोष जैन पासी

—डॉ. सुखनीत सूरी

बालिकाओं के संदर्भ में, इस आयु में होने वाले बदलाव विशेष महत्व रखते हैं जिनके फलस्वरूप किशोरियों की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं भी काफी बढ़ जाती हैं। यदि बाल्यावस्था में कोई पोषण संबंधी कमियां रह गई हो तो उनकी भरपाई किशोरावस्था में अवश्य की जानी चाहिए।

किशोरावस्था मानव जीवन-चक्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जोकि बाल्यावस्था को वयस्कावस्था से जोड़ती है। इस अवस्था के दौरान न केवल मनुष्य का शारीरिक विकास व वृद्धि बहुत तीव्र गति से होते हैं अपितु उसके चहुंमुखी विकास के साथ-साथ उसकी शारीरिक संरचना में भी अत्यधिक परिवर्तन आता है। बालिकाओं के संदर्भ में, इस आयु में होने वाले बदलाव विशेष महत्व रखते हैं जिनके फलस्वरूप किशोरियों की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं भी काफी बढ़ जाती हैं। हां, किशोरावस्था में लड़कों की तुलना में, लड़कियों का शारीरिक वजन कम होने के कारण ऊर्जा की जरूरतें भले ही कम होती हैं, किंतु, दूसरे महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों की जरूरतें जैसेकि विभिन्न विटामिनों व खनिज लवणों (कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए, बी समूह की विटामिन और विटामिन सी इत्यादि) लड़कों के सामान ही होती हैं। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि चाहे लड़कियों को भोजन की कुल मात्रा लड़कों की तुलना में कम चाहिए होती है, परंतु उनके आहार की गुणवत्ता लड़कों के आहार से कहीं बेहतर होनी चाहिए, तभी उनकी प्रोटीन एवं सारे विटामिन व खनिज लवणों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी और ध्यान रखें कि यदि बाल्यावस्था में कोई पोषण संबंधी कमियां रह गई हो तो उनकी भरपाई किशोरावस्था में अवश्य की जानी चाहिए।

अधिकतर लड़कियों में किशोरावस्था संबंधी परिवर्तन 11-14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाते हैं—यानी लड़कों की तुलना में डेढ़ से दो वर्ष पहले। शोध कार्यों के अनुरूप, वृद्धि व विकास की गति आनुवांशिक एवं अन्य कारकों जैसेकि दैनिक आहार और शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। एनएफएचएस सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 48 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 78 प्रतिशत महिलाएं माहवारी के दौरान स्वच्छ संसाधनों का उपयोग करती हैं। आज भी हमारे देश के कई परिवारों में लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से कहीं पहले कर दी जाती है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों

में यही कारण है कि कुछ किशोरियां न केवल शादीशुदा अपितु मातृत्व के चरण में भी प्रवेश कर जाती हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, शादी की औसतन उम्र 13.8 वर्ष और सहवास की औसतन उम्र 15.3 वर्ष पाई गई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि प्रजनन-योग्य उम्र की महिलाओं में करीबन 24 प्रतिशत का वजन 38 माह से कम और 16 प्रतिशत की लंबाई 145 सेमी. से कम पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसी महिलाएं उच्च जोखिम वर्ग में आती हैं क्योंकि इनमें ऑब्स्ट्रैटिक जटिलताएं और एल.बी.डब्ल्यू शिशु पैदा करने की संभावना अधिक होती है।

“फिटलओरिजिन हाइपोथिसिस” के अनुसार शिशु जिनका वजन जन्म के समय ढाई किग्रा. से कम होता है उनमें वयस्कावस्था के दौरान मधुमेह व हृदय रोग होने की संभावना सामान्य वजन के शिशु से अधिक होती है। अतः यह आवश्यक है कि किशोरी लड़कियों के स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल रखा जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (2009) के अनुसार, लोहे की कमी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। हमारे देश में सबसे अधिक एनीमिया किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और स्कूल-पूर्व बच्चों में पाया जाता है। किशोरियों



आहार संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें

- प्रतिदिन संतुलित आहार का सेवन करें।
- साबुत अनाज व साबुत दालों का सेवन करें।
- कम वसा वाला दूध व दूध के पदार्थ खाएं।
- फल व सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें और जहां तक हो सके, छिलके सहित खाएं।
- वसा व मीठे पदार्थ कम खाएं।
- यदि उचित लगे तो मीट, मछली एवं पोल्ट्री को दैनिक आहार में सम्मिलित करें।
- विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करता है इसलिए विटामिन सी के प्रचुर खाद्य स्रोत खाएं।
- खाने के साथ एवं तुरंत बाद चाय एवं कॉफी न पिये; यह लौह तत्व के अवशोषण में बाधा डालते हैं।
- दैनिक आहार में खमीरीकृत, अंकुरित एवं फोर्टीफाइड खाद्य-पदार्थों का सेवन करें।
- नियमित समय पर दिन में 5-6 बार भोजन ग्रहण करें।
- संसाधित व फास्ट फूड खाने पर नियंत्रण रखें।
- धूम्रपान व मदिरापान का सेवन न करें।

में एनीमिया होने के मुख्य कारण हैं बढ़ती हुई आवश्यकताएं (कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और माहवारी) परंतु दैनिक आहार में लौहयुक्त खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में सम्मिलित करना। आयु के अनुसार यदि कद कम होता है तो उसका एक मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। कुछ किशोरियों में यह गलत धारणा होती है कि दूध पीने से मोटापा आता है और इसलिए वह दूध और दूध के पदार्थों के सेवन कम या नहीं करती हैं। फल और सब्जियों का सेवन भी किशोरियां कम करती हैं जिसकी वजह से पौष्टिक तत्वों की कमी, एक्ने, कब्ज, मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किशोरियों को उनकी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताओं व डाइट के बारे में बताया जाए।

किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ जीवनशैली में भी काफी बदलाव आते हैं। दोस्तों के दबाव, मीडिया के प्रभाव और शारीरिक छवि को लेकर लड़कियां अक्सर तनाव महसूस करती हैं। कुछ बच्चे इस उम्र में 'ईटिंग डिसऑर्डर्स' जैसेकि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलेमिया' इत्यादि के शिकार भी हो जाते हैं। गलत खाद्य-पदार्थों के चुनाव करने से उनमें कई पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता उत्पन्न हो जाती है जोकि उनके सामान्य विकास में बाधा डालती है। साधारणतः मोटापे से ग्रस्त किशोरियों को माहवारी से संबंधित परेशानियां होती हैं और दोस्तों की कमी की वजह से वह अकेलापन और तनाव महसूस करती हैं। कुछ किशोरियों को अवसाद भी हो जाता है जोकि उनके पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। अवसाद की पहचान जल्दी लगाना आवश्यक होता है ताकि उपचार कुशलतापूर्वक हो सके। किशोर अवसाद के कुछ आम

लक्षण निम्न हो सकते हैं:

- शैक्षिक उपलब्धियों में गिरावट
- दोस्ती में व्यवहार समस्याएं
- परिवार और अन्य लोगों के संपर्क से पीछे हटना
- उत्साह और ऊर्जा का अभाव
- आत्म-प्रेरणा में कठिनाई
- अनावश्यक आक्रामकता,
- क्रोध, उदासी और असहाय भावनाओं की रिपोर्ट आलोचना की प्रतिक्रिया से माता-पिता की अपेक्षाओं तक जीने में असमर्थ लगता है,
- आत्मसम्मान का अभाव और अपराध से पीड़ित।

भारत सरकार ने किशोरी लड़कियों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहनी वाली लड़कियों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं जिन में कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

किशोर लड़कियों के लिए 'सबला' योजना

यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य किशोरियों (11-18 वर्ष आयु समूह की) को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं-पोषण और गैर-पोषण। इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष करीब 100 लाख किशोरियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

- (i) किशोरियों को आत्म-विकास में सक्षम बनाना और उनका सशक्तिकरण करना।
- (ii) उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- (iii) उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) तथा परिवार और बच्चों की देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- (iv) उनके घरेलू कौशल, जीवन कौशल का उन्नयन करना और व्यावसायिक कौशल के लिए उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के साथ जोड़ना।
- (v) स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा से कटी हुई किशोरियों को औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा में शामिल करना।
- (vi) मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि पीएचसी, सीएचसी, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन, आदि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन देना।

सबला के तहत निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

- (i) पोषण प्रावधान।
- (ii) आयसन और फोलिक एसिड (आईएफए) जैसे पूरक तत्वों की व्यवस्था करना।
- (iii) स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं
- (iv) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई)
- (v) परिवार कल्याण, एआरएसएच, बाल देखभाल पद्धतियों और गृह प्रबंधन के बारे में परामर्श/मार्गदर्शन।
- (vi) जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच।
- (vii) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण।

- मासिक-धर्म स्वच्छता योजना
- राष्ट्रीय साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम (WIFS)
- किशोरी शक्ति योजना
- बालिका समृद्धि योजना
- राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)
- सर्वशिक्षा अभियान

नेशनल हेल्थ मिशन के 'एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्युअल हेल्थ (ARSH)' कॉम्पोनेंट की "मासिक-धर्म स्वच्छता योजना" किशोरी लड़कियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- किशोरी लड़कियों को माहवारी के बारे में जानकारी देना,
- उच्च गुणवत्ता के नैपकिन व अन्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा
- नैपकिन इत्यादि के पर्यावरण-हितैषी सुरक्षित तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के तहत 107 जिलों में 10-18 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त में नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त 45 जिलों में 'सेल्फ हेल्प ग्रुप' के द्वारा रुपये 7.50 में छह नैपकिन का पैक उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम (WIFS) का मुख्य उद्देश्य एनीमिया के पीड़ितों से चल रहे

कुप्रभावों के चक्र को रोकना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 13 करोड़ किशोरियों को 100 मिग्रा. एलेमेंटल लौह तत्व और 500 एमसीजी फोलिक अम्ल की नीली गोली सप्ताह में एक बार व डीवार्मिंग टैबलेट छह महीने में एक बार दी जाती है। गोलियों के वितरण के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी की मदद ली जाती है।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम समग्र दृष्टिकोण से किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

- एक साल में दो बार स्वास्थ्य जांच और रोगों/विकलांगता का प्रबंधन।
- स्कूलों को द्वितीय व तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ना।
- शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य व पोषणात्मक-स्तर को बढ़ावा देना।

अंततः यह कहना जरूरी है कि किशोरी लड़कियां हमारे आने वाली पीढ़ियों की नींव रखेंगी इसलिए भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह जरूरी है कि हम उनकी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पूरा करें।

(डॉ. संतोष जैन पासी सार्वजनिक स्वास्थ्य-पोषण विशेषज्ञ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में निदेशक रह चुकी हैं; डॉ. सुखनीत सूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पोषण विज्ञान हैं।)

ई-मेल : sjpassi@gmail.com

निर्भया कोष : 2200 करोड़ रुपये के 22 प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा की गई

भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों हेतु एक समर्पित कोष की स्थापना की है, जिसे निर्भया कोष का नाम दिया गया है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय इस कोष के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में काम करेगा और निर्भया कोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कार्यक्रमों/प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा। वित्त मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया है, जो निर्भया कोष से वित्तपोषित किए जाने के लिए प्राप्त होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगी। संबद्ध मंत्रालय इस तरह से मूल्यांकित किए गए कार्यक्रमों/प्रस्तावों की मंजूरी और कार्यान्वयन का कार्य उसी तरह अपने हाथ में ले सकते हैं, जैसे वे अपने अन्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं को संचालित करते हैं।

निर्भया कोष की स्थापना 2013-14 में 1000 करोड़ रुपये की निधि के साथ की गई थी। वर्ष 2014-15 में इस कोष में 1000 करोड़ रुपये और वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान 550 करोड़ रुपये (प्रत्येक वित्त वर्ष में) का योगदान किया गया। वर्ष 2017-18 तक निर्भया कोष के पब्लिक अकाउंट में 3100 करोड़ रुपये अंतरित किए जा चुके हैं।

निर्भया कोष के अंतर्गत महिला सुरक्षा और संरक्षा के 22 प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त हुए, जो 2209.19 करोड़ रुपये के थे। अधिकार प्राप्त समिति ने इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया और 21 जुलाई, 2017 को अनुशंसित किया।

महिला और बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत निम्नांकित तीन कार्यक्रम लागू कर रहा है :-

- (1) **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) :-** हिंसा से पीड़ित महिला को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित एकीकृत सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिन्हें निर्भया कोष से वित्तपोषित किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर को 181 और अन्य मौजूदा हेल्पलाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। अभी तक (11 अगस्त, 2017) 151 वन स्टॉप सेंटर चालू किए जा चुके हैं।
- (2) **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) :-** महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण के कार्यक्रम का लक्ष्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को दिन-रात (वौबीसों घंटे) तत्काल आपात सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं देशभर में एक समान नंबर के जरिए महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में रैफ्रल और सूचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- (3) **महिला पुलिस स्वयंसेवक :-** महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्य/संघशासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की भर्ती की व्यवस्था की है, जो पुलिस और समुदाय के बीच एक संपर्क के रूप में काम करेंगे तथा मुसीबत में फंसी महिलाओं की सहायता करेंगे।

सफलता की नई कहानियां गढ़ती कृषक महिलाएं

—डॉ. जगदीप सक्सेना

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण को वर्तमान सरकार ने गंभीरता से लिया है और माना है कि कृषि विकास की हर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके लिए योजनाओं में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आबंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका लाभ कृषक महिलाओं को उन्नत कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण देने में भी मिल रहा है।

मानव सभ्यता के विकास के दौरान जब पुरुष शिकार करने बाहर जाते थे तो महिलाओं ने बस्ती के आस-पास फसलों के बीज बोकर कृषि की कला और विज्ञान का विकास किया। वह दिन है और आज का दिन, महिलाएं लगातार अपने हुनर के साथ कृषि और संबंधित उद्यमों की धुरी बनी हुई हैं। पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे सहायक उद्यमों के साथ महिलाओं ने बागवानी, सब्जी उत्पादन, उपज की बिक्री और प्रसंस्करण जैसे कामों को भी बखूबी संभाला हुआ है। गांवों में महिलाएं किसान भी हैं, और खेतिहर मजदूर भी और साथ में घर-परिवार संभालने वाली कुशल गृहिणी भी। लेकिन सामाजिक-आर्थिक रूप से और सरकारी आंकड़ों में भी महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को यथोचित मान-सम्मान तथा मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए इन्हें कई बार 'अदृश्य कार्यबल' की संज्ञा भी दी जाती है। अपने ही खेत-खलिहानों में काम करने वाली महिलाओं की कहीं गिनती नहीं की जाती। फिर भी सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वो बताते हैं कि भारत में कुल महिला कामगारों में से लगभग 65 प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में कार्य करती हैं। देश के कुल किसानों (118.7 करोड़) में 30.3 प्रतिशत महिलाएं हैं।

महिला कृषि श्रमिकों की भागीदारी 55.21 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि देश की व्यापक कृषि अनुसंधान प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 17.40 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

सन् 2011 में हुए एक व्यापक अध्ययन में कृषि के विभिन्न उपक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कुछ इस तरह देखी गई — खेत की निराई-गुड़ाई में 48 प्रतिशत, फसलों की कटाई में 45.33 प्रतिशत, कृषि उपज के भंडारण में 42.67 प्रतिशत, कृषि उपज की बिक्री में 42.00 प्रतिशत, पशुपालन और डेरी में 38.67 प्रतिशत और वित्तीय प्रबंध में 36 प्रतिशत। एक अनुसंधान रिपोर्ट (2014) यह भी बताती है कि डेयरी के

क्षेत्र में 7.5 करोड़ महिलाएं योगदान कर रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 1.5 करोड़ है, इसी तरह पशुपालन में 15 करोड़ पुरुषों के मुकाबले 2 करोड़ महिलाएं संलग्न हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं केवल मजदूरी करती हैं, उन्हें कृषि और पशुपालन की बारीकियों का ज्ञान भी होता है और वे इसका बखूबी इस्तेमाल भी करती हैं। साथ ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम भी करती हैं। यह भी देखा गया है कि महिलाओं को मछली पालन और मछलियों के जाल के बारे में भी बारीक जानकारी होती है। खेतिहर मजदूर के तौर पर महिलाओं को अक्सर अधिक मेहनत वाले काम सौंपे जाते हैं, जैसे खरपतवार निकालना, घास काटना, कपास चुनना और बिनौले से रूई निकालना आदि। गांव की महिलाओं को कई बार इसके साथ ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने और पीने के लिए पानी लाने का काम भी करना पड़ता है। पशुपालन में पशुओं को दूध दुहने और दूध से घी वगैरह बनाने का काम आमतौर पर महिलाएं ही करती हैं। यह भी अनुभव किया गया है कि जिन परिवारों में महिलाएं पशुपालन का काम करती हैं, वहां अधिक उत्पादन और आमदनी हासिल होती है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर अनुसंधान व अध्ययन के बाद संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि



संगठन (एफएओ) के महिला एवं जनसंख्या विभाग ने बताया कि भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाएं लगभग 70 प्रतिशत कृषि श्रम प्रदान करती हैं, जबकि घरेलू खाद्य उत्पादन में 60 से 80 प्रतिशत, खाद्य भंडारण में 80 प्रतिशत और खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण में महिला श्रम की हिस्सेदारी पूरे 100 प्रतिशत है। अधिकांश विकासशील देशों में महिलाएं 60 से 80 प्रतिशत खाद्य उत्पादन की जिम्मेदारी निभा रही हैं और संपूर्ण विश्व का लगभग आधा खाद्य उत्पादन इन्हीं के मजबूत हाथों से हो रहा है। इस तरह महिलाएं दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा को सतत आधार दे रही हैं। यह मजबूत दशा तब है, जबकि महिलाएं आमतौर पर भूमि के अधिकार और निर्णय लेने के अधिकार से वंचित हैं और अनेक सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को भी झेल रही हैं।

बढ़ते कदम

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें तकनीकी रूप से अधिक सक्षम तथा कुशल बनाने के लिए भारत सरकार के दो मंत्रालय विशिष्ट रूप से कार्य कर रहे हैं— कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु कृषक महिलाओं के लिए 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' नाम से एक विशिष्ट योजना जारी है, जिसका उद्देश्य किसान महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पहले इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू किया जा रहा था, परंतु अब यह दीनदयाल अंत्योदय योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य किसान महिलाओं को सतत आजीविका उपलब्ध कराना और उन्हें सामाजिक विकास का एक सक्रिय भागीदार बनाना है। इसमें विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लक्ष्य बनाया गया है ताकि उनका और उनके परिवार का आर्थिक उद्धार हो सके। योजना के अंतर्गत उन्हें कृषि संबंधी तकनीकों का प्रशिक्षण देकर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है और सरकार की वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ा जा रहा है। इसके सकारात्मक नतीजे पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और समग्र रूप से कृषक महिलाओं के कल्याण, विकास, सामाजिक-आर्थिक उद्धार और तकनीकी शक्तिकरण के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। इस संबंध में देश भर में जागरूकता जगाने और कृषक महिलाओं के योगदान को यथोचित मान-सम्मान देने के लिए मंत्रालय ने '4 दिसंबर' के दिन को 'कृषि में महिला दिवस' के रूप में मनाने की पहल की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (15 अक्टूबर)' को भी भारत में 'कृषक महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इन विशेष दिवसों पर भारतीय

देश भर में सशक्तिकरण की लहर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक देशव्यापी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सीधे कृषक महिलाओं, खेतिहर महिला श्रमिकों और ग्रामीण महिलाओं को लक्ष्य करके चलाई जा रही है। इसे 'एआईसीआरपी-गृह विज्ञान' का नाम दिया गया है। देश के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संचालित की जा रही इस परियोजना में कृषि संबंधी विज्ञान के साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा आजीविका सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण परिवारों के समग्र आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सके। एक विशेष और अभिनव सोच के अंतर्गत गांव की किशोरियों का कौशल द्वारा सशक्तिकरण करने की पहल की गई, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें। इनमें उन किशोरियों को विशेष रूप से शामिल किया गया, जो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर घरेलू या कृषि संबंधी कार्यों में हाथ बंटा रही थीं। कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने से इनकी आजीविका सुरक्षित हुई और कृषि विकास को भी बल मिला। परियोजना के अंतर्गत कृषक महिलाओं को घरेलू-स्तर पर 'पोषण बाग' लगाने की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे परिवार के पोषण स्तर में सुधार देखा गया। महिलाओं और किशोरियों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की व्यापक कमी को देखते हुए स्थानीय खाद्य स्रोतों से पौष्टिक आहार बनाने की कला सिखाई गई। इसी तरह ग्रामीण महिलाओं में खून की कमी को देखते हुए स्थानीय हरी सब्जियों से पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधियां विकसित करके महिलाओं की रसोई तक पहुंचाई गई। परियोजना के अंतर्गत चुने हुए गांवों में —'खेत संसाधन केंद्र' खोलने की पहल की गई, जहां कृषक महिलाओं को उपयोगी साधन मुहैया करा कर उनका तकनीकी और सामाजिक सशक्तिकरण किया गया। अभी तक कम उपयोग में लाए गए रेशों में हस्तशिल्प बनाने का हुनर सिखाकर महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का एक नया रास्ता खोला गया। कपास, ऊन और रेशम को नए-नवेले रंग देने के लिए स्थानीय वनस्पतियों से नए रंग तैयार करने की कला महिलाओं को सिखाई गई। इसी क्रम में महिलाओं ने वनस्पतियों से होली का गुलाल बनाने की कला भी सीखी और इसके व्यवसाय में कामयाबी भी पाई। महिलाओं को बच्चों की देखभाल, उनके पोषण और पारिवारिक आमदनी बढ़ाने के बारे में सलाह देने का काम भी सिलसिलेवार ढंग से किया गया। एक विशेष पहल के अंतर्गत कृषक महिलाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने और वित्तीय साधनों के बारे में सही मार्गदर्शन करके उन्हें अपने उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह कृषक महिलाओं ने स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ अन्य महिलाओं के लिए रोजगार अवसर भी पैदा किए। परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली कृषक महिलाओं को भी बच्चों की सही देखभाल के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इस तरह इस परियोजना ने देश भर में कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण की एक लहर चला दी है, लेकिन, फिर भी, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

‘मनरेगा’ ने दी कृषक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी

सन् 2006 में लागू ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (‘मनरेगा’ नाम से लोकप्रिय) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक तीन कामगारों में से एक महिला कामगार होगी। परन्तु शुरुआती दौर में कई वर्षों तक खेतिहर महिलाओं को उनका यह अधिकार मिलने में मुश्किलें पेश आती रहीं। लेकिन नई सरकार द्वारा दिए गए विशेष प्रोत्साहन के कारण अब महिलाओं की हिस्सेदारी या तो पुरुषों के बराबर है, या उससे आगे निकल गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में 5.04 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 138.64 लाख कार्यपरियोजनाओं में काम दिया गया, जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं थीं। यह ‘मनरेगा’ में महिलाओं की हिस्सेदारी का कीर्तिमान है। इससे पूर्व



वर्ष 2015-16 में महिलाओं की भागीदारी लगभग 51 प्रतिशत और वर्ष 2014-15 में लगभग 50 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यह सुखद आंकड़ा तब है, जबकि ‘मनरेगा’ पर अकसर महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया ना कराने का आरोप लगता रहता है। दूसरी ओर कृषक महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार ना बनाने की शिकायत भी है। परन्तु सच्चाई यह भी है कि ‘मनरेगा’ ने खेतिहर महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उन्हें आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसर किया है। ‘मनरेगा’ से नकद आमदनी प्राप्त करने वाली बहुत-सी महिलाएं बताती हैं कि जीवन में पहली बार उनके हाथ में उनकी कमाई के पैसे आ रहे हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। अनेक गांवों में संभवतः यह पहली बार है, जब महिलाओं को साहूकारों और जमींदारों की जगह सीधे ‘सरकार’ से काम बिल रहा है और मजदूरी भी पुरुषों के बराबर मिल रही है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह व्यवस्था भी की गई है कि उन्हें घर के आसपास ही काम दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पांच किलोमीटर के दायरे में। साथ ही यह व्यवस्था भी है कि उन्हें अपेक्षाकृत कम मशक्कत वाला काम सौंपा जाए। ‘मनरेगा’ के अंतर्गत सड़क बनाने और कुआं खोदने जैसे कड़े कामों के साथ पौध लगाने, तालाब बनाने और उनकी मरम्मत जैसे कृषि संबंधी कार्य भी शामिल किए गए हैं, जिनसे महिलाओं को बढ़ावा मिला है। महिलाओं की आर्थिक आज़ादी ने उन्हें परिवार और समाज में मान-सम्मान दिलाया है और अब वे सरकार की वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली की अहम हिस्सेदारी भी बन गई हैं। कृषक महिलाओं के लिए ‘मनरेगा’ केवल रोजगार का अवसर नहीं है, इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा को एक सुखद और स्वाभिमानी मोड़ दिया है। झारखंड के खुंटी जिला के पकड़टोली गांव की रोशनी गुकिया इस बदलाव का जीती-जागती उदाहरण हैं। पहले वह अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में रोजी-रोटी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहीं थीं। लेकिन सन् 2014 में जब ‘मनरेगा’ में काम करने की सहूलियत हो गई तो यह पूरा परिवार गांव लौट आया। रोशनी को गांव में तालाब बनाने, खेत को समतल करने और पानी का संचय करने के लिए खेत-बांध बनाने जैसे काम मिल गए। यह काम भी पसंद का था और भुगतान भी समय पर मिलता था। निश्चित आमदनी के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और उनके भोजन का स्तर भी सुधरा। अब परिवार में सुख, शांति और खुशहाली है। शुक्रिया मनरेगा।

कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र कृषक महिलाओं की भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय योगदान और पहल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित 'केंद्रीय कृषक महिला संस्थान', जिसे पहले राष्ट्रीय केंद्र के रूप में गठित किया गया था, लेकिन हाल में इस विषय के महत्व को देखते हुए इसे संस्थान का दर्जा दिया गया है। मुख्य रूप से अनुसंधान और कृषि प्रसार पर आधारित इस संस्थान ने केवल ओडिशा में ही नहीं, बल्कि देश भर में कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद खास काम किया है और सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती उपयोगिता की देखते हुए इस संस्थान ने 'जेंडर नॉलेज सिस्टम पोर्टल' का विकास किया है, जो कृषक महिलाओं से संबंधित उपयोगी सूचनाओं की एकल खिड़की की तरह काम करता है।

यहां महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, सूचनाओं, प्रकाशनों और योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो कृषक महिलाओं के साथ नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी हैं। संस्थान द्वारा कृषक महिलाओं को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और कुशल बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बीज-उपचार, समेकित कीट प्रबंध, बीज उत्पादन, मुर्गी पालन जैसे विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। महिला मछुआरों के लिए सूखी मछलियों के उत्पादन और स्वच्छ सार-संभाल पर चार क्षेत्रीय भाषाओं में मैनुअल तैयार किया गया है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में यह काम ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृषक महिलाओं की पोषण और आजीविका सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को केंद्र में रखकर समेकित कृषि के मॉडल तैयार किए गए हैं, जिन्हें खेतों में आमदनी बढ़ाने वाला और उपयोगी पाया गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस संस्थान ने कृषक महिलाओं के

कृषक महिलाएं बनी मिसाल

कृषक महिला सशक्तिकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें स्वाभिमान से जीने की राह दिखाई है। अनेक महिलाएं अपने गांव-कस्बे में कामयाबी की मिसाल बन गई हैं। ऐसी ही एक महिला हैं उड़ीसा के खोदड़ा जिले के हरिदामादा गांव की श्रीमती पुष्पालता पतालासिंह। क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें मुर्गीपालन के लिए प्रशिक्षित किया गया। शुरुआत में उन्हें एक दिन के चूजे दिए गए, जिन्हें उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पाल-पोस कर एक महीने बाद अन्य महिलाओं को बेच दिया ताकि वे स्वस्थ चूजों से मुर्गीपालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। इससे इन्हें अच्छी आमदनी मिली। प्रोत्साहित होकर उन्होंने 6000 रुपये का निवेश करके 200 चूजे खरीदे और पाल-पोस कर अलग-अलग आयु में महिलाओं को बेचा। इससे इन्हें लगभग 41,000 रुपये का मुनाफा हुआ और अनुसूचित वर्ग की 25 कृषक महिलाएं मुर्गीपालन के व्यवसाय से जुड़ गईं। इस तरह अब गांव में महिलाओं के एक पूरे समूह ने मुर्गीपालन द्वारा आर्थिक प्रगति हासिल की है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के ईडुलापल्ली रजिया बी आज अपने खेत की मालकिन हैं और कृषि तथा पशुपालन से परिवार का सम्मानजनक भरण-पोषण कर रही हैं। कुछ वर्ष पहले तक वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी, जिससे होने वाली बेहद कम आमदनी ने उनके परिवार के जीवनयापन को बेहद कठिन और संघर्षमय बना दिया था। इस बीच उन्हें ग्रामीण महिलाओं के एक स्वयंसहायता समूह से जुड़ने का अवसर मिला, जहां उन्होंने कृषि कार्यों को सीखा। समूह और एनजीओ की मदद से रजिया बी ने तीन एकड़ जमीन खरीदकर खेती करना शुरू कर दिया। वह मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तूर की दाल और सब्जियों की वैज्ञानिक ढंग से खेती करती हैं और खेत का प्रबंध भी नई सोच, नए तौर-तरीकों से करती हैं। लंबे संघर्ष के बाद अब उनका जीवन खुशहाल है। तेलंगाना के बिदक्कने गांव की बोभिनी लहम्मा के जीवन में भूचाल आ गया, जब लगभग 15 साल पहले उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई। उनके पास दो एकड़ जमीन थी, लेकिन वो बंजर पड़ी थी, उस पर अनेक वर्षों से खेती नहीं हो रही थी। इस मोड़ पर उन्हें कृषक महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम का सहारा मिला। उन्होंने खेती के बारे में काफी कुछ सीखा, जाना और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी हासिल किया। आज वह अपने छोटे से खेत पर आंवला, आम, नींबू, चीकू जैसे अनेक फलों को वैज्ञानिक तौर-तरीकों से उगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण सिर उठाकर कर रही हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से एक बंजर खेत को हरा-भरा और उपजाऊ बना दिया है। लक्ष्मीबाई शेल्के की सफलता की कहानी बताती है कि कृषक महिलाएं खेती की नई तकनीकों को अपनाने में भी पीछे नहीं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के भिदनौरा गांव में वह 10 एकड़ पर गन्ने की खेती पारंपरिक तौर-तरीकों से करती थीं, लेकिन उपज में लगातार गिरावट चिंता का गहरा सबब बन गई थी। थोड़ी-सी कोशिश की तो उन्हें गन्ने की नई खेती का पता चला और उन्होंने बुआई, सिंचाई के नए तौर-तरीकों को अपना लिया। इससे गन्ने की उपज 35-40 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 60 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई और पानी का खर्च भी घटकर आधा रह गया। जल्दी ही गांव में लक्ष्मीबाई गन्ने की खेती करने वाली अग्रणी किसान और एक मिसाल बन गईं। आज बड़ी संख्या में कृषक महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं।



बल्कि कंधों पर भी बंट जाता है। उपयोग में आसानी और हलका होने के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह यह भी देखा गया कि धान की बुआई, फसलों की गहाई, फलों और सब्जियों की तुड़ाई या चुनाई के दौरान महिलाओं को संक्रमण, चोट, खुजली आदि का खतरा होता है, क्योंकि वे सुरक्षात्मक कपड़े नहीं पहनती। इस जरूरत को देखते हुए वैज्ञानिकों ने महिलाओं के लिए विशेष कपड़े तैयार किए हैं, जो उनकी सुरक्षा करते हैं। इससे खेतिहर श्रमिक महिलाओं को विशेष रूप से राहत मिली है। डेयरी में काम करने वाली महिलाओं के लिए आरामदेह और सुविधाजनक टूल तैयार किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से महिलाओं को दूध दुध

20 स्वयंसहायता समूह गठित किए हैं, जिनकी सदस्य मुर्गी-पालन आधारित कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी पारिवारिक आमदनी बढ़ाने में कामयाब हुई हैं। कृषक महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा मोटे अनाजों से उत्पाद तैयार करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयां लगाई गई हैं। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वयंसहायता समूह गठित किए जाते हैं, जिनमें कौशल विकास, दस्तकारी, हथकरघा उद्योग जैसे अनेक आमदनी बढ़ाने वाले व्यवसायों के लिए सहायता दी जाती है। इन समूहों में कृषक महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

खेत-खलिहानों में महिलाओं की मशक्कत कम करने के लिए अनेक कृषि उपकरणों का विकास किया गया है, जिनसे उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ी है। बीजों की बुआई के लिए आसान 'सीड ड्रिल', उर्वरक देने के लिए अधिक कुशल 'फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर', आराम से बैठकर मूंगफली छीलने वाला यंत्र, भुट्टे से तेजी से दाने निकालने वाला यंत्र, धान की सीधी बुआई का यंत्र, खरपतवार निकालने वाला यंत्र, और सुधरा हंसिया विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही तैयार किए गए हैं। इस संदर्भ में संभवतः सबसे उल्लेखनीय योगदान है 'हेड लोड मैनेजर' नामक एक विशेष उपकरण का जो महिलाओं को अधिक कुशलता और कम मेहनत से बोझा ढोने की सुविधा देता है। दरअसल कृषक महिलाओं को खेती के काम के दौरान चारा, ईंधन, खाद, बीज, फसल, सब्जियां जैसे अनेक सामानों या बोझ को इधर-उधर ले जाना पड़ता है। महिलाएं इसे सिर पर रखकर ढोती हैं, जिससे उन्हें अकसर सेहत संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष युक्ति का विकास किया, जिसे कंधों के सहारे सिर पर पहना जाता है। इससे सारा बोझ केवल सिर पर नहीं पड़ता,

जाने में सहूलियत मिली है। आलू की खुदाई के लिए तैयार किए उपकरण ने महिलाओं की मशक्कत कम करने के साथ उनकी कार्यकुशलता और क्षमता को भी बढ़ा दिया है। डेयरी में काम करने वाली महिलाओं को पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का प्रशिक्षण देने से डेयरी की उत्पादकता में सार्थक बढ़ोतरी देखी गई। महिलाओं ने पशुओं के चारे और पोषण का अच्छी तरह से प्रबंध किया और दूरदराज के गांवों में भी पशुओं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल भी की। इसी क्रम में बकरी पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने खासी कामयाबी हासिल की है। महिला उपयोगी उपकरणों/यंत्रों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के दौर में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें संबोधित करना जरूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषक महिलाओं के योगदान को आर्थिक रूप से आंकने और दर्ज करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें उचित मान्यता दी जा सके। भूमि, पशुपालन और कृषि संबंधी प्रसार सेवाओं में कृषक महिलाओं को उनका अपेक्षित स्थान देना चाहिए ताकि नई तकनीकों तक उनकी पहुंच आसान और तेज हो सके। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में भी महिलाओं को उनका उचित स्थान और अधिकार मिलने चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में भी महिला कामगारों को पुरुषों के सम्मान मजदूरी और वेतन मिले। सरकारी-स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी आवश्यक है और इसे प्रत्येक स्तर पर लागू भी किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों के साथ यह ही आवश्यक है कि महिलाओं के सामाजिक विकास को भी बल दिया जाए ताकि वे अधिक सक्षम व कुशल बनकर कृषि के विकास में योगदान दे सकें।



में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित तथा जागरूक बनाया जा रहा है। महिला प्रसार कार्यकर्ता इसमें अहम् भूमिका निभा रही हैं।

हर कदम, कृषक महिलाओं के संग

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण को वर्तमान सरकार ने गंभीरता से लिया है और माना है कि कृषि विकास की हर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके लिए योजनाओं में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आबंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका लाभ कृषक महिलाओं को उन्नत कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण देने में भी मिल रहा है। देश के 28 राज्यों में इस मिशन को राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय तिलहन और तेल ताड़ मिशन में भी आबंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि को महिला लाभार्थियों तथा कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन्हें कृषि के लिए आवश्यक सामान, तकनीकी और प्रसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। कृषि यंत्रीकरण के उप मिशन के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक महिलाओं के लिए विकसित मशकत कम करने वाली मशीनों के प्रसार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण, प्रदर्शन

और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा कृषक महिलाओं को विभिन्न कृषि मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों द्वारा कृषक महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत कृषक महिलाओं को बीज-गांव कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम में भागीदारी का समान रूप से अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें कृषक महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराएं। इसी तरह राज्य सरकारों को कृषि प्रसार कार्यक्रमों में कृषक महिलाओं और कृषि प्रसार महिला कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कम से कम 30 प्रतिशत साधनों को महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है। कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला और राज्य-स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जांचने-परखने का प्रावधान भी किया गया है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी प्रकाशन) रह चुके हैं।)

ईमेल : jgdsaxena@gmail.com

स्वच्छता : सफलता की कहानी

महिला चैम्पियंस : कलबुर्गी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

गर्भावस्था के परवर्ती भाग में गर्भवती महिलाओं को सम्मानित करने की भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए कलबुर्गी जिला प्रशासन ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें मातृत्व को सम्मानित करने के साथ ही महिलाओं के बीच आरोग्यवर्धक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसीज़) के सहयोग से संचालित 'कूसु' जिसका अर्थ है 'शिशु' नामक इस कार्यक्रम के बारे में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में जिला पंचायत की सीईओ हेपसिबा रानी कोर्लापट्टी बताती हैं कि 'बेबी शोअर्स' विशेष रूप से उन गर्भवती महिलाओं के लिए हैं, जिन्होंने अपने घर में शौचालय बनवाया है।

उन्होंने बताया कि "बंधनों को तोड़ते हुए, और सांस्कृतिक पद्धतियों का लाभ उठाते हुए, हमने एक छोटा-सा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें प्रसव-पूर्व जांच के बाद हम यह देखते हैं कि गर्भवती महिला की पहुंच शौचालय तक है या नहीं और यदि उनके घर में शौचालय नहीं होता है तो हम एक शौचालय बनाते हैं। हम गर्भवती महिला को स्वास्थ्य, आरोग्यता, सफाई और पोषण के बारे में शिक्षित भी करते हैं; और उन्हें स्तनपान एवं नवजात शिशु की देखभाल के प्रति जागरूक भी बनाते हैं।"

इसके बाद ग्राम पंचायत की महिलाएं बेबी शोअर नाम का कार्यक्रम आयोजित करती हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें बेबी बम्प उत्सव मनाया जाता है और गर्भवती महिला को सम्मानित किया जाता है। इस प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधियों को सर्वाधिक सम्माननीय कार्य सौंपे जाते हैं। महिलाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बीच संबंध के जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ अच्छे संबंध विकसित करें, ताकि अधिक से अधिक प्रसव अस्पतालों में कराए जा सकें। बाद में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुवर्ती कार्य किए जाते हैं।

कूसु कार्यक्रम की रूपरेखा कोर्लापट्टी ने स्वयं तैयार की है, जिसने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत कर्मचारी उन परिवारों में डिलीवरी परवर्ती बेबी शोअर्स का आयोजन करते हैं, जिनमें जल्द ही मां बनने वाली बेटियों अथवा बहुओं के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है।

"हमें ऐसा कार्यक्रम शुरू करने की प्रेरणा उस समय मिली, जब हमें यह पता चला कि गुंडगुर्ती गांव में एक आशा कार्यकर्ता, इंदिरा भाई ने अपनी गर्भवती बेटि भाग्यश्री के लिए मात्र दो दिन में शौचालय का निर्माण कराया।

सीईओ द्वारा आयोजित प्रथम बेबी शोअर (सीमांत) के दौरान, उसने घोषणा की कि ये कार्यक्रम पंचायत द्वारा उन सभी



घरों में आयोजित किए जाएंगे, जो गर्भवती महिलाओं के लिए शौचालय बनवाएंगे।

सीईओ का यह मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे जब भी घरों में जाएं तो गर्भवती महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण के बारे में जागरूकता का प्रसार करें और उन्हें स्तनपान की जरूरत के प्रति सचेत करें। डिलीवरी के बाद नई माताओं को भोजन और पोषण पद्धतियों के बारे में भी परामर्श दिया



जाता है।

कोर्लापट्टी ने बताया कि “शौचालयों के अभाव में गर्भ के दौरान महिलाएं भोजन और पानी लेना कम कर देती हैं, जिससे कुपोषण को बढ़ावा मिलता है।”

उषा अभियान

इससे पहले, कामराज नगर की सीईओ ने उषा अभियान शुरू किया था, जिसका लक्ष्य सभी छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और अन्य संगत मुद्दों के बारे में जागरूक बनाना था।

उषा का पूर्ण रूप है ‘अंडरस्टैंड, सेंसिटाइज़, हेल्प

एंड अचीव’ अर्थात समझना, जागरूक बनाना, मदद करना और लक्ष्य हासिल करना। सीईओ के अनुसार इसके लिए 25 नवंबर, 2016 से 24 जनवरी, 2017 तक गहन अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई छात्रा इसके लाभ से वंचित न रह पाए।

यह देखते हुए कि यह जिला साक्षरता और अन्य मानव विकास सूचकांकों; बाल विवाह, किशोरी गर्भवतियों और प्रचलित कुपोषण के संदर्भ में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है; अभियान का लक्ष्य तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

अभियान का प्रमुख लक्ष्य जिले में प्रत्येक बालिका को एक समान और श्रेष्ठ जीवन जीने में सक्षम बनाना था। इसमें उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने और उन्हें एक पहचान तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रक्रिया में उन्हें शौचालय सुविधाएं प्रदान करने और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

इस संदर्भ में समूचे जिले में शिक्षकों ने स्वेच्छा से अभियान को संचालित किया और अपने सामान्य दायित्व से इतर जाकर जिला पंचायत कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वित/सम्मिलित गतिविधियों में योगदान किया।

शौचालय निर्माण अभियान

हाल ही में सीईओ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शौचालय निर्माण अभियान संचालित किया। इसका लक्ष्य दो सप्ताह की अवधि में 10,000 शौचालयों का निर्माण करना था। इस अभियान के दौरान ग्रामीण निर्धनों को घरों में पृथक शौचालय प्रदान करने की व्यवस्था की गई और ऐसे परिवारों को इस अभियान में प्राथमिकता दी गई, जिनमें गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताएं थीं। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान भी शामिल किया गया।

सीईओ को महिलाओं और बच्चों के साथ काम करते देखकर कामराज जिले में गुंडलूपेट तालुक के गांव कामराहल्ली की 11 वर्षीय सुचित्रा केपी प्रेरित हुई, जिसने अपने जिले में 20 से अधिक परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए राजी किया। इस अर्थ में उन्होंने अपने जिले में शिशु को उषा अभियान का प्रतीक बनाया। दिल्ली महिला आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरस्कार पाने वालों में वह सबसे कम आयु की थीं।

महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत

महिलाओं के लिए 13 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया/निर्माणाधीन हैं



ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति केंद्र

कैबिनेट ने एक नई योजना महिला शक्ति केंद्र की शुरुआत के लिए मंजूरी दे दी है। महिला शक्ति केंद्र राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के लिए सभी सरकारी योजनाएं का सम्मिलन करेंगे।

ग्रामीण महिलाओं को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद देने के लिए ये केंद्र कार्य करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने के लिए 3 लाख छात्र स्वयंसेवकों को जुटाया जाना है

ये छात्र स्वयंसेवक निम्नांकित अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे –

(i) कौशल विकास, (ii) रोजगार, (iii) डिजिटल साक्षरता, (iv) स्वास्थ्य और पोषण

इस योजना के अन्य पहलुओं में शामिल हैं –

– 115 सबसे अधिक पिछड़े जिलों में 920 महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

– 640 जिलों में जिला –स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) स्थापित किए जाएंगे।

– ये केंद्र ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना को भी बढ़ावा देंगे।

महिला सशक्तिकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू

—डॉ. अर्चना शर्मा

समाज में ऐसे वातावरण को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए। सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के चलते घर की चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए। लेकिन सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ने में अभी वक्त लगेगा। महिलाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के स्तर में वृद्धि करने पर ही महिला सशक्तिकरण होगा और तभी सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा।

किसी राष्ट्र एवं क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव-शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता व शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। महिलाओं का राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु महिलाओं की भूमिका अभी तक परदे के पीछे छिपी रही है। इसलिए इसे समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पाई है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा ना केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिंतनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक विश्व महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति मिली।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ— महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त व सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरुषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में महिला व पुरुष संयुक्त रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है— “महिलाओं की स्थिति ही देश के विकास को सूचित करती है।” लेकिन भारत में आज भी महिलाएं खासतौर से ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, ओर

राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा से जुड़ने में रुकावटें महसूस करती हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 लिंगभेद की समानता के साथ महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। सतत् विकास के लक्ष्य भी व्यापक रूप से महिलाओं से जुड़े हुए हैं। महिलाओं के लिए गुणवत्तायुक्त, तकनीकी, व्यावसायिक व रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विकास करके उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना व आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही महिला विकास से जुड़ी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना है।

भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। महिलाओं की समस्याएं और भी अधिक जटिल हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

- **शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल का अभाव :** सरकारी प्रयासों व सामाजिक जागरूकता से शहरों में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अधिक है। इसके कारण शोषण, भेदभाव, उपेक्षा के



दलदल में महिलाएं पिसती जा रही हैं।

- **सुरक्षा का अभाव :** महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास अभी भी बोलने साबित हो रहे हैं और महिला अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर 34 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, हर 43 मिनट में एक महिला का अपहरण, हर 26 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़, हर 24 घंटे में 17 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं।
- **निर्णय लेने के अधिकार से वंचित—** महिलाओं को अपने स्वयं के मसलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं होता है। शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि से संबंधित निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं व उन पर थोप दिए जाते हैं। यहां तक कि उन्हें अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए भी पुरुषों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं।
- **महिलाएं समान अधिकारों से वंचित—** समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान न तो समान अवसर और प्रोत्साहन मिलते हैं न ही प्रतिभा-सम्पन्न महिलाएं जीवन में आगे बढ़ पाती हैं। उन्हें पैतृक सम्पत्ति में वास्तविक अधिकार नहीं मिल पाता है।
- **समान कार्य के लिए कम वेतन—** महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए कम वेतन व सुविधाएं मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य, मजदूरी, आदि में महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी प्राप्त होती है।
- **महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त न होना—** पुरुष-प्रधान समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे से देखा जाता है। पुरुषों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
- **सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित—** सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों जैसे जाति प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, और भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकांश महिलाएं न तो शिक्षित हैं न घर की चारदीवारी से बाहर निकलती हैं। अतः इस कार्य के लिए भी उन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

सरकार द्वारा महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टेंडअप इंडिया, व दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें ग्रामीण विकास व स्वावलंबन के नए क्षितिज प्रदान कर रही हैं।

1985 में केंद्रीय महिला व विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित कर रोजगार,

प्रशिक्षण, कल्याण, जागरूकता, व चेतना जागृति से संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं। आज के वैश्विक परिवेश में सरकार महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत व स्वावलंबी बनाने पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष एक ऋण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए आय अर्जन, उत्पादन, कौशल विकास एवं घरेलू क्रियाकलापों के लिए ऋण व सहायता उपलब्ध कराना है। यह गैर-सरकारी संगठनों व महिला विकास निकायों के माध्यम से अपने कार्यों को अंजाम दे रहा था। वर्ष 2001-02 में स्वधारा योजना के अंतर्गत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। स्वयंसिद्धा योजना द्वारा महिला समूहों के निर्माण के प्रति जागरूकता लाने व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया। 11वीं योजना में इसे स्वयंशक्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सूक्ष्म ऋण योजना महिलाओं के स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। 31 लाख से भी अधिक महिला स्वयंसहायता समूह और 3.6 करोड़ महिलाएं वर्तमान में इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। महिला स्वयंसहायता समूह ने पिछले तीन वर्षों में 85 हजार करोड़ से अधिक का ऋण लिया। इनमें से एक बड़ी रकम का उपयोग परिवार की आय को सुधारने और विविध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया। आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों से ऋण लेने से महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है। 1.50 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो खुद गरीबी से उठकर सशक्त होकर सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। इनके माध्यम से स्थायी कृषि, पशुपालन सेवाएं, डेयरी उद्योग, चारा विकास, बागवानी, बैंकिंग सेवा के साथ-साथ अकाउंट्स के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है मानो गांव की पूरी तस्वीर ही बदल रही है। वर्ष 2011 में महिला स्वयंसहायता समूहों ने बैंकों से 1.6 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। वर्ष 2014-15 में 20 हजार करोड़ रुपये का, 2015-16 में 30 हजार करोड़ रुपये का और 2016-17 में 35 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया। अब न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारतीय राज्यों में भी यह समूह सशक्त संस्थान व व्यावसायिक पेशेवर के रूप में उभर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंज्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन) कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें महिलाओं को कौशल व रोजगार संबंधी आर्थिक एवं संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सहायता समूह निर्मित किए गए हैं। और 1600 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन आर्थिक मदद हेतु किया गया है। यह योजना कौशल-आधारित योजना को बढ़ावा देते हुए स्किल इंडिया कार्यक्रम में महिलाओं की

भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसके तहत महिलाओं को सहायता, रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, आईटी समर्थित सेवाएं एवं अंग्रेजी बोलना, अतिथि सत्कार, पर्यटन, रत्न व जवाहरात आदि कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

1953 में स्थापित केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने देश की महिलाओं व बालिकाओं के लिए सघन पाठ्यक्रम जागरूकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवार परामर्शदायी सेवाएं, केंद्रीय महिला मंडल एवं अल्प-आवास गृह जैसी सुविधाओं द्वारा (तलाकशुदा, परित्यक्ताओं, समाज से बहिष्कृत, व शोषण की शिकार, तनावग्रस्त) महिलाओं के लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा हेल्पलाइन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। महिलाओं में आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूपों में मजबूती की आवश्यकता है। इसी क्रम में महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 से संचालित किए जा रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का कौशल उन्नयन, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा शैक्षणिक विकास का अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और परिवर्तन और विकास अभिकर्ता के रूप में उन्हें सशक्त बनाने का एक अच्छा कदम है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा तेजी से बदलते परिवेश में कामकाजी महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सुरक्षित तथा सस्ता आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कामकाजी महिला छात्रावास सुविधा के अंतर्गत राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए आगामी बजट में 200 करोड़ रुपये और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

भारत में महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ सांविधिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों में कुशलता व सुधार लाने की संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत करता है। अभिरक्षात्मक न्याय की दिशा में भी यह आयोग कार्य कर रहा है। इसके द्वारा महिलाओं से जुड़े अनेक अधिनियमों-सतीप्रथा निवारण अधिनियम, स्त्री अपशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, महिला यौन-उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम व घरेलू हिंसा अधिनियम आदि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। वर्ष 2017-18 के आम बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फंड में 90 फीसदी का इजाफा किया गया है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषाहार आदि सेवाएं सम्मिलित रूप से उपलब्ध कराने हेतु 2017-18 में देशभर में 14 लाख

महिला-शक्ति केंद्रों की स्थापना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थापित की जाएंगी। शोध निष्कर्षों के अनुसार यदि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत तक की आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह भागीदारी बिना उचित कौशल प्रशिक्षण के संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, ग्राम कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा स्वयंसहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाने व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ- 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिए सकारात्मक माहौल के साथ-साथ उन्हें शिक्षा के द्वारा सामाजिक व वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

सुकन्या समृद्धि योजना- यह योजना 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की विस्तार योजना है। इसका उद्देश्य भी बालिकाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा का समान अधिकार और पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए जुलाई 2015 में सखी योजना या वन स्टॉप सेंटर योजना आरंभ की गई। इसके तहत महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता एवं पुलिस सहायता व परामर्श एक केंद्र से उपलब्ध कराना है। अप्रैल 2016 से सरकार ने 24 घंटे की **वीमेंस हेल्पलाइन सेवा-181** का आरंभ किया। यह सेवा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल नेटवर्क सेवाएं अर्थात् पुलिस अस्पताल एवं परामर्श वनस्टॉप सेंटर से उपलब्ध कराना है। देशभर में 181 नंबर के माध्यम से महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित सभी तरीके की सरकारी सहायता की जानकारीयां ले सकती हैं।

महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण समन्वयकों के एक कैडर का गठन किया गया है। यह एक सामुदायिक-स्तर की संस्था है जो जनधन योजना, बीपीएल, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के फायदों को महिलाओं तक पहुंचाने में सक्रिय है। आरंभ में 100 जिलों में यह योजना प्रारंभ की गई थी, जो आज 300 से ज्यादा जिलों में पहुंच चुकी है।

महिला ई-हॉट- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मार्च 2016 में आरंभ की गई। यह महिला उद्यमियों एवं स्वयं-सहायता समूह को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों व बिचौलियों को समाप्त कर महिला उद्यमियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय मातृत्व योजना के अंतर्गत एक अप्रैल, 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। योजना के तहत गरीबी-रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना था। मिशन इन्द्रधनुष महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य,

सुरक्षा एवं बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर 25 दिसंबर, 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया जिसमें रोग प्रतिरक्षण की क्षमता व टीकाकरण को बढ़ावा देने का अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के 201 जिलों का चयन किया गया, जो पूर्ण टीकाकरण से वंचित हैं। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई ताकि माता का प्रसव-पूर्व व प्रसव के पश्चात् बेहतर पोषण सुनिश्चित करने, जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार लाने व मातृत्व मृत्युदर घटाने में मदद मिलेगी।

एक मई, 2016 से आरंभ की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी-रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाली महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2016-17 में 1.5 करोड़ परिवारों को तथा 2017 तक 2.12 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने से लकड़ी के चूल्हे व धुएं से आजादी मिली है।

भारत सरकार द्वारा मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के बचाव तथा उनके पुर्नवास के लिए उज्ज्वला योजना आरंभ की गई। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत पुर्नवास गृह में उनके रहने, भोजन, चिकित्सा सुविधाओं और वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। मानव तस्करी अपराध में पीड़ित वर्ग में अशिक्षित वर्ग अनुजाति, जनजाति की संख्या अधिक देखी गई है अतः सरकार इस योजना में यौन-शोषण व अवैध देह व्यापार के लिए सतत् प्रयास कर रही है।

2006 से संचालित मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ये जिम्मेदारी दी गई कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों में से एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं को रोजगार दिलाया जाए। इतना ही नहीं कार्यस्थल पर उनके बच्चों की पालना सुनिश्चित हो तथा समान कार्य के लिए महिला को पुरुष के बराबर मजदूरी प्रदान की जाए, यह भी सुनिश्चित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2006-07 में गरीबी-रेखा के नीचे के परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की। यह योजना ग्रामीण गरीबों को संगठित होकर स्वयंसहायता समूह के रूप में कार्य करने के लिए सक्रियता प्रदान करती है। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के कल्याण, सहायता प्रशिक्षण एवं रोजगार का विकास करने के लिए केंद्र-प्रवर्तित योजनाएं अपनाई गई। मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। इसके लिए 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। 500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से ग्राम-स्तर पर 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वनस्टॉप सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे। मुद्रा योजना व स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत वर्ष 2016 में वंचित

एवं पिछड़ी महिलाओं को आर्थिक संबलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत 16000 नए उद्यम स्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70 प्रतिशत ऋणों का लाभ महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई, 2015 को युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत नामांकित उम्मीदवारों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। युवाओं की योग्यता के अनुरूप 6, 9 व 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 10 जून, 2013 को रोशनी योजना के माध्यम से तीन वर्षों में 50 हजार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 40 प्रतिशत महिलाएं होगी। कृषि कार्य में लगी महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण योजना वर्ष 2010-11 में शुरू की गई। इसके तहत 18 राज्यों में 71 परियोजनाएं (आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, व तेलंगाणा) राज्यों में संचालित की जा रही हैं। जिससे 119 जिलों की 30.65 लाख से भी अधिक महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का कुल श्रम कार्यबल 2011 में 24.6 प्रतिशत, 2012 में 24.1 प्रतिशत, 2013 में 24.2 प्रतिशत और 2014 में 24.2 प्रतिशत रहा है। महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टेप कार्यक्रम के तहत महिला डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। इनके द्वारा महिलाएं अपने परिवार का जीवन-स्तर उंचा उठाने में सक्षम सिद्ध हुई हैं। गांव में कृषि कार्य के अंतर्गत बुवाई, चारे की कटाई, अनाज निकालना, पशुपालन, आदि कार्यों से महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू-स्तर पर कशीदाकारी, गलीचे बनाना, मंगोडी, पापड़, अचार, मुरब्बा, मोमबत्ती, दियासलाई, मीनाकारी, सिलाई-बुनाई, नगीने जड़ाई, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे घरेलू व्यवसाय के द्वारा न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं बल्कि निर्यात व्यापार में भी उनके द्वारा उत्पादित परंपरागत सामग्री देश-विदेशों में अपनी पहचान बना रही है।

आधुनिक संचार के युग में ग्रामीण महिलाएं शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में ऑनलाइन व ई-गवर्नेंस के द्वारा इंटरनेट के जरिए सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता, योजनाएं, सूचनाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तथा व्यापार व विपणन जैसी अनेक जानकारीयां ग्राम-स्तर तक पहुंचाई जा रही हैं। महिला विकास से जुड़े आधारभूत मापदंडों को लेकर अब सरकारी योजनाओं में काफी बदलाव आया है। पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को समानता व सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु योजना आयोग द्वारा चिंता जाहिर की गई। आठवीं योजना में विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदारी प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया। 1993 में 73वें व 74वें संविधान



संशोधन के साथ स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया एवं नेतृत्व में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि की गई। भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मामलों में बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने, बाल श्रम को कम करने एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को महिला-केंद्रित बनाकर न केवल लैंगिक संबंधों में बदलाव आया है बल्कि पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम सभाओं में भी उनकी सहभागिता बढ़ी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए महिला घटक योजना एवं जेंडर बजटिंग जैसी प्रभावी संकल्पनाओं के जरिए महिलाओं को विकासात्मक क्षेत्रों में उचित हिस्सा प्रदान किया गया।

आज के आर्थिक युग में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अधिक स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास व मनोबल का संचार हुआ है। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। शिक्षा के प्रसार व जागरूकता बढ़ने से वे ग्रामीण विकास में योगदान दे रही हैं। न केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं में भी आत्मबल एवं निर्णय क्षमता का संचार हुआ है। आज उनके मानस पटल पर भी स्वरोजगार, प्रशिक्षण, उद्यमिता की तस्वीरें बदलने लगी हैं। घर की चारदीवारी में चूल्हा-चौका के अलावा शेष बचे समय का सदुपयोग कर पैसा कमाने की ललक व पढ़ने-लिखने के प्रति जागरूकता ये बता रही है कि बदलाव की यह बयार रुढ़ियों और परंपराओं की बेढ़ियों को तोड़ने के लिए आतुर है। महिला सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों को देखकर महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर दिखाई देती है जिसमें महिला सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वर्ष 2014 से महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा आठ महिला प्रोत्साहन पुरस्कार जिन्हें 'नारी शक्ति पुरस्कार' कहा जाता है अंतराष्ट्रीय

महिला दिवस पर ऐसे व्यक्ति विशेष या संस्था को दिए जाते हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया हो 8 मार्च, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा 33 महिलाओं और संगठनों को नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। इसके तहत एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

परंतु अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं आर्थिक भागीदारी से संबंधित संकेतकों में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में मजदूरी पर जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि स्त्री-पुरुष मजदूरी अनुपात में अंतर आज भी है, ग्रामीण महिलाएं अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जहां कठोर परिश्रम के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। परित्यक्ताओं व विधवाओं, विकलांग, वृद्धा व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सरकार से प्राप्त सहायता का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। साहूकारों और बिचौलियों द्वारा इसे हड़प लिया जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सबसे अधिक काम मिलता है पर कृषि में स्त्री श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में मिलने वाली मजदूरी में 27.6 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 2001 में कार्य में महिलाओं की भागीदारी 25.7 प्रतिशत थी। महिलाओं को 27 अगस्त, 2009 को स्थानीय शासन संस्थाओं में 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करके उनके वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास किया है पर कार्यक्षमता विकसित करने व अधिकारों की जानकारी के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

समाज में ऐसे वातावरण को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए। सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के चलते घर की चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए। लेकिन सदियों से चली आ रही रुढ़ियों और परंपराओं को तोड़ने में अभी वक्त लगेगा। महिलाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के स्तर में वृद्धि करने पर ही महिला सशक्तिकरण होगा और तभी सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा। सम्मान और अधिकार के भाव से वंचित महिलाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। समानता को पाने की दिशा में किए जा रहे सरकार के प्रयास आधी आबादी के लिए बेहतर जिंदगी सुनिश्चित करने का प्रयास तभी साबित हो सकते हैं जब समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाकर लैंगिक असमानता की खाई को पाटा जा सकेगा।

(लेखिका वेदांता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, (सीकर), राजस्थान में उपप्राचार्या एवं विभागाध्यक्ष (लोक प्रशान विभाग) हैं।)
ई-मेल : archensringas@gmail.com



जनजातीय महिलाओं का कल्याण

सरकार ने पूरे देश में जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और साथ ही जनजातीय महिलाओं सहित अनुसूचित जनजातियों का समावेशी विकास सुनिश्चित करते के लिए जनजातीय उप-योजना कार्यनीति (जिसे 'अनुसूचित जनजाति घटक' कहा जाता है), अपनायी है। जनजातीय क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं और सड़कों, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। परन्तु, ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जिनका प्राथमिक लक्ष्य उक्त क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण अंतराल दूर करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सामान्य कार्यक्रमों से महिलाओं को समान लाभ पहुंचे और साथ ही वह अनुसूचित जातियों की महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाता है। तत्संबंधी ब्योरा नीचे दिया गया है:



(i) अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना: इस योजना के तहत, राज्यों/संघशासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों को नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/अथवा छात्रावास के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार लड़कियों के सभी छात्रावासों और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से, 50:50 आधार पर, धनराशि का योगदान करते हैं।

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए आवासीय स्कूल प्रदान करना है ताकि अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ायी जा सके और उन्हें देश के अन्य समुदायों के समान लाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारें छात्राओं के सभी आश्रम विद्यालयों और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता की पात्र हैं। अन्य छात्रों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए केन्द्र और राज्य समान रूप से, 50:50 आधार पर, धनराशि का योगदान करते हैं।

(iii) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध बालिकाओं की शिक्षा पुख्ता करने की योजना: यह योजना कम साक्षरता वाले चुने हुए 54 जिलों में लागू की जा रही है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, और अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत या उससे भी कम है।

(iv) जनजातीय उप-कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस के लिए एससीए) (जिसे अब तक टीएसपी के लिए एससीए कहा जाता था) : इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों और अन्य समुदायों के बीच अंतर कम करना है, जिसके लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु अवसंरचना आदि के लिए सहायता दी जाती है। यह एक लचीली योजना है, जो संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों में पूरक भूमिका अदा करती है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान: इसके अंतर्गत भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इस कार्यक्रम के तहत अनुदान देने का मकसद राज्य सरकारों को अपने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाले विकास कार्यक्रमों की लागत वहन करने में सक्षम बनाना और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर में सुधार लाने में मदद करना है ताकि उनके प्रशासन का स्तर राज्य के अन्य क्षेत्रों के प्रशासन के समकक्ष बनाया जा सके।

(vi) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जनजातीय मामले मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय महिलाओं के लिए इस विशेष कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं आमदनी देने वाली कोई भी गतिविधि शुरू कर सकती हैं। जिनसे आय हो सके। एक लाख रुपये तक की लागत वाली गतिविधि का 90 प्रतिशत तक ऋण 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती दर पर प्रदान किया जाता है।

महिलाओं के लिए हस्तशिल्प में अपार संभावनाएं

—अरुण तिवारी

यदि किसी अबला को सबला बनना अथवा बनाना हो, तो प्रयास उसके भीतर अंतर्निहित सदगुणों और मौलिक शक्तियों को उभारने की दिशा में होना चाहिए, न कि किसी अन्य दिशा में। निःसंदेह, मानसिक तथा नैतिक सबलता के बिना, किसी अन्य सबलता का कोई अर्थ नहीं होता। कहना न होगा कि परम्परागत शिल्प और कलाओं से नारी नहीं, बल्कि सर्व-सबलीकरण की संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है तो सिर्फ हथेलियों को आगे बढ़ाकर इन संभावनाओं से अपनी झोली भर लेने की।

कला और शिल्प

विचार करें तो किसी संज्ञा-सर्वनाम के भीतर पहले से मौजूद सदगुण, कौशल तथा वृत्ति को उभारना अर्थात् विकसित करना ही उसका असल सशक्तिकरण है, असली सबलता है। कहने का मकसद यह है कि यदि किसी अबला को सबला बनना अथवा बनाना हो, तो प्रयास उसके भीतर अंतर्निहित सदगुणों और मौलिक शक्तियों को उभारने की दिशा में होना चाहिए, न कि किसी अन्य दिशा में। निःसंदेह, मानसिक तथा नैतिक सबलता के बिना, किसी अन्य सबलता का कोई अर्थ नहीं होता। अतः यह ख्याल तो हम रखें ही।

सशक्तिकरण के आइने में नारी शक्तियां

सशक्तिकरण के उक्त आइने में देखें तो श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा और आस्था – नारी को प्रकृति-प्रदत्त सप्त शक्तियां हैं। रचना नारी को प्रकृति-प्रदत्त विशेष दृष्टि व वृत्ति है। प्रत्येक रचना को अत्यंत धीरज से रचने का गुण तथा पोषण का कौशल प्रत्येक नारी को जन्म से हासिल होता है। बारीक उंगलियां, नारी को बारीक काम करने में पुरुषों से अधिक महारत देती हैं। पतला स्वर नारी की आवाज़ को कर्णप्रिय बनाता है। ममता और कोमलता, प्रत्येक नारी का स्वभाव है। स्वभाव यानी स्वतः निहित भाव। ये दोनों भाव, नारी को कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि देते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी कलात्मक हुनर, प्रदर्शन अथवा कृति का सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए रचना सौंदर्य की जिस वृत्ति व दृष्टि, धीरज के जिस गुण तथा बारीकी के जिस हुनर की आवश्यकता होती है, नारी को यह सभी प्रकृति-प्रदत्त हैं। यही कारण है कि अनपढ़ नारियां भी अपनी कल्पना से ऐसे सुंदर नमूने गढ़ डालती हैं, जिन्हें बनाने में किसी पुरुष को दिमाग पर अतिरिक्त जोर डालना पड़े। यही

कारण है कि नारी के बिना किसी मकान की आंतरिक सज्जा के सुरुचिपूर्ण होने की कल्पना भी सहज संभव नहीं। यही कारण है कि गाना-गुनगुनाना, साधारण-स्तर का नृत्य तथा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसे कौशल को प्रत्येक नारी बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र गए भी हासिल कर लेती है। पाक कला, भारतीय नारियों को परंपरा से हासिल विशेष कला है।

परंपरागत कलाओं के बूते सशक्त नारियां

गौर कीजिए कि शिल्प, गायन व नृत्य की अनेक परंपरागत विधाओं का विकास नारी में प्राकृतिक रूप से मौजूद ऐसे कौशल व गुणों के कारण ही हुआ। भरतनाट्यम, ओडिसी, गणगौर, घूमर, तेरहताली, भवाई, लावणी, रुऊफ और गिद्धा जैसी प्रख्यात नृत्यशैलियों का उदय तो नारी पात्रों के पैरों पर ही हुआ। सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, रुक्मिणी देवी, शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंतीमाला, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, मालविका सरकार आदि भारत में ख्यातिनाम नृत्यांगनाओं की सूची बेहद लंबी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, आशा भोंसले, श्रेया घोषाल, अनुराधा पौडवाल, फातिमा, चित्रासिंह, के. एस. चित्रा,



नाज़िया हसन, सुमन चटर्जी... फिल्मी गायकी के भारत में भी सशक्त महिला स्वरों की कमी नहीं। लोकगायकी के बल पर देशव्यापी लोकप्रियता हासिल करने वालों में अल्लाह जिलाई बाई, मालिनी अवस्थी और इला अरुण से लेकर शारदा सिन्हा जैसी नारी शख्सियतें स्वयमेव सशक्तिकरण की प्रमाण हैं।

दुनिया के सौ सर्वाधिक मशहूर चित्रकारों की वर्तमान सूची देखें, तो इसमें 40 महिला चित्रकार तो अकेले अमेरिका की हैं। इस सूची में शामिल मैक्सिको की फरीदा काहलो, फ्रांस की बर्थ मोरिसट, कनाडा की जॉनी मिशल, टिन्सल कोरे, हेलेन फ्रेंकनेथलर के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, वियाना, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों की महिला चित्रकारों की भी गिनती कर लें तो आप दावे से कह सकते हैं कि चित्रकारी से शोहरत पाने वालों में नारी, पुरुषों से आगे हैं। अमृता शेरगिल, मुंबई की सुचित्रा कृष्णमूर्ति और मधुबनी पेंटिंग की चित्रकार बौवा देवी जैसे नामों को छोड़ दें, तो मशहूर चित्रकारों की भारतीय दुनिया में नारी संख्या शायद कम इसलिए है कि भारत में पेंटिंग को प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में उभारने की उतनी कोशिश नहीं हुई, जितनी कई अन्य देशों में। मधुबनी स्टेशन पर सात हजार दो सौ वर्ग फीट में बनाई मधुबनी पेंटिंग को बनाने वाले 140 कलाकारों की टोली में शामिल अनुपम कुमारी ने कहा कि पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला।

खैर, उपलब्धियों की ताज़ा दुनिया देखें तो लता मंगेशकर ने जहां गायन के जरिए, तो वहीं नेहा किरपाल ने इंडिया आर्ट फेयर की स्थापना कर चित्रकला को न सिर्फ नया आयाम दिया, बल्कि भारत की दस सबसे सशक्त महिलाओं में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडियन आयडल जैसी कठिन प्रतियोगिता की पहली महिला विजेता—अगरतला की सुरभि देबवर्मा की खनकती आवाज़ को आप भूले न होंगे। यह सुरभि का ही बूता था कि चार मिनट, 30 सेकेंड अवधि की उतार-चढ़ाव भरी एक निजी टेलीविजन प्रस्तुति के जरिए वह गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना कीर्तिमान दर्ज कराने में सफल रही हैं। सुरभि ने तीन मिनट, 53 सेकेंड लंबी प्रस्तुति देने वाले न्यूजीलैंड के रेबेका राइट का रिकॉर्ड तोड़ दिखाया। एक अन्य शख्सियत मानुषी छिल्लर का नाम आपके जेहन में अभी एकदम ताज़ा होगा। मानुषी छिल्लर 18 नवंबर, 2017 की शाम चीन के समुद्रतटीय सान्या शहर में 'मिस वर्ल्ड 2017' के खिताब से नवाजी गई। गौर करने की बात है कि इस खिताब को हासिल कराने में मानुषी के भीतर मौजूद एक कवि, एक चित्रकार और एक कुचीपुड़ी नृत्यांगना की सबसे अहम भूमिका रही।

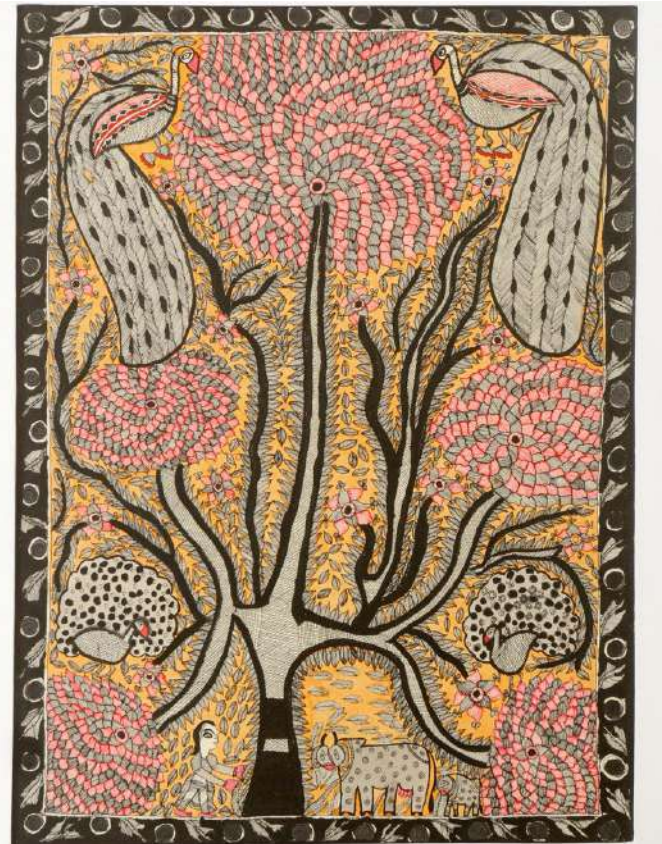
भारत का शायद ही कोई इलाका होगा, जहां शादी-ब्याह जैसे घरेलू उत्सव बिना महिला संगीत के सम्पन्न होते हों। गाना-गुनगुनाना हर नारी को विशेष प्रिय होता है। किंतु—संत हिरदा नगर, भोपाल की पूर्णिमा चतुर्वेदी ने शौहरत इसलिए पाई है, चूंकि घर में गाते-गाते उनका मन विलुप्त होती कला की बढ़ावा देने में रमने लगा। पूर्णिमा ने संगीत व कला में अपने तथा

दूसरों के सशक्तिकरण की राह देख ली। लुप्त होते लोकगीतों को बचाते-बचाते वह निमाड़ी लोकशैली के चित्र बनाने तथा सिखाने में लग गईं। वे अब आदिवासी लोककला परिषद, महेश्वर में प्रशिक्षण देती हैं। निमाड़ी लोकनृत्य की विशेषतौर पर प्रस्तुति के लिए गत तीन वर्षों से उन्हें भोपाल के हिंदी भवन में विशेष आमंत्रित किया जाता है। प्रशिक्षण देने वह देश की राजधानी दिल्ली तक जाती हैं।

एक सड़क दुर्घटना और उसके पश्चात् गैंगरीन की वजह से अपना एक पैर गंवाने वाली कन्नूर की सुधा चन्द्रन कभी अशक्त मान ली गई थी। सुधा ने भरतनाट्यम के घुंघरुओं को अपने जयपुरी पैर में बांधकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि कला भी नारी सशक्तिकरण का मज़बूत माध्यम हो सकती है। सुधा चन्द्रन आज टेलीविज़न और फिल्म की दुनिया की अभिनेत्री भी हैं। यह प्रमाण है कि नारियों के सशक्तिकरण को उनके भीतर निहित शक्ति, गुण व हुनर का आकाश देने की दरकार है।

शासकीय योजनाओं में विशेष तवज्जो की दरकार

इस विशेष संदर्भ व समय के आइने में उठता मुख्य सवाल यही है कि यदि नृत्य, गायन व चित्रकारी के बल पर इतनी सारी नारियां देश-दुनिया की सशक्त हस्ताक्षर बन सकती हैं; तो कला की इन विधाओं को हम नारी सशक्तिकरण की शासकीय योजनाओं में विशेष तवज्जो क्यों नहीं दे सकते? 21 जनवरी,



एक मधुबनी पेंटिंग— जीवन की विविध अवस्थाओं और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाती हुई। यह पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल, 2015 को हनोवर के लॉर्ड मेयर को भेंट की थी।



हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने हेतु उठाए गए कदम

भारत हस्तनिर्मित वस्त्रों और हस्तशिल्प के मामले में खासा समृद्ध है, जिसको लेकर उसे देश-विदेश से सराहना मिलती रही है और खरीदार भी इनकी ओर आकर्षित होते रहे हैं। दोनों क्षेत्रों से देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी मिलती है। हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय की वित्तवर्ष 2016-17 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों ने क्रमशः 43.31 लाख और 68.86 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इन दोनों क्षेत्रों से देश को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्यात के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय भी होती है। इसके साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प भारत की विरासत का मूल्यवान और अभिन्न अंग है, जिसे सुरक्षित रखने और प्रोत्साहन देने की जरूरत है।



बुनकरों और कारीगरों को वस्त्र और हथकरघा की समृद्ध विविधता के निर्माण के लिए कड़ी मशक्कत करनी होती है। इसके बावजूद कपड़ों की बुनकरी और हस्तशिल्प के माध्यम से उन्हें होने वाली कमाई उनकी मेहनत, कौशल और कच्चे माल की लागत के अनुरूप नहीं होती है। मुख्य रूप से ग्रामीण बुनकरों और कारीगरों के लिए अपने उत्पादों को बाजार में सही जगह दिलाना भी मुश्किल होता है। इस क्रम में वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं, जो अच्छा-खासा लाभ कमाते हैं और बुनकरों व कारीगरों के हाथ में उचित कीमत के बजाय मामूली पारिश्रमिक ही आ पाता है। बुनकरों और कारीगरों के सामने मौजूद इन तमाम चुनौतियों को दूर करने के क्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने उन्हें सहयोग देने के लिए कई कदम उठाए हैं—

- मंत्रालय कई राज्यों में 11 दिवसीय 'हस्तकला सहयोग शिविरों' का आयोजन कर रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए ये शिविर देश के हर कोने में लगाए जा रहे हैं। यह पहल पंडित दीनदयाल के जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष के लिए समर्पित है। इन शिविरों का आयोजन देश के 200 से ज्यादा हथकरघा क्लस्टरों और बुनकर सेवा केंद्रों के साथ ही 200 हस्तशिल्प क्लस्टरों में भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बुनकरों और कारीगरों तक पहुंच बनाने के लिए इनका आयोजन 228 जिलों के 372 स्थानों पर हो रहा है। हस्तकला सहयोग शिविरों के माध्यम से 1.20 लाख से ज्यादा बुनकरों/कारीगरों को फायदा होने का अनुमान है जो देश के 421 हथकरघा-हस्तशिल्प क्लस्टरों में होंगे।
- बुनकरों और कारीगरों को कर्ज जुटाने के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उत्पादों के लिए कच्चे माल की खरीद और उदाहरण के लिए कर्जों की तकनीक को अपग्रेड करने के वास्ते जरूरी है। इसे देखते हुए वस्त्र मंत्रालय ने इन शिविरों में कर्ज सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इस क्रम में शिविरों में बुनकरों और कारीगरों को सरकार की मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनंस एजेंसी) योजना के माध्यम से कर्ज सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सूक्ष्म उपक्रमों को वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा इन शिविरों में भाग लेने वालों को हथकरघा संवर्धन सहायता के अंतर्गत तकनीक में सुधार और आधुनिक औजार व उपकरण खरीदने में सहायता दी जाएगी। हथकरघा योजना के अंतर्गत सरकार 90 प्रतिशत लागत का बोझ उठाकर बुनकरों को नए कर्ज खरीदने में सहायता करती है। एक अहम बात यह भी है कि शिविरों में बुनकरों और कारीगरों को पहचान कार्ड भी जारी किए जाएंगे। बुनकरों और कारीगरों की उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए कुछ शिविरों में निर्यात/शिल्प बाजार/बायर-सेलर्स मीट भी कराई जा रही हैं। इन शिविरों की एक और अहम बात यह है कि बुनकरों को यार्न (धागा या सूत) पासबुक भी जारी की जा रही है, क्योंकि बुनकरों के लिए यार्न एक अहम कच्चा माल है।
- बुनकरों और कारीगरों के बच्चों के लिए शिक्षा की अहमियत को देखते हुए शिविरों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और इग्नू द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में नामांकन कराने में सहयोग दिया जाएगा।
- बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के प्रयासों के तहत वस्त्र मंत्रालय बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे बेचने के लिए भारत और विदेश के कार्यक्रमों में भाग लेने में मदद कर रहा है। ऐसा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फंडिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए बीते तीन साल के दौरान वस्त्र मंत्रालय देश में 849 विपणन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 151.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा चुका है। इससे देश के 8,46,900 बुनकरों को फायदा हुआ है।

हस्तकला सहयोग शिविर' वस्त्र मंत्रालय के बुनकरों और कारीगरों की स्थिति में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, सरकार ने ई-धागा ऐप पेश किया है, जिससे बुनकरों को ऑर्डर देने और यार्न की शिपिंग पर नजर रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बुनकरों के लिए 'बुनकर मित्र' हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।



2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'हृदय' तो विशेष तौर पर विरासत विकास एवं संवर्द्धन की ही योजना है। क्या 'हृदय' योजना के तहत नृत्य, गायन, चित्रकारी तथा हस्तशिल्प की परंपरागत कलाओं के विकास व संवर्द्धन हेतु नारियों को विशेष अवसर दिए गए? हमारे आदिवासी समुदाय गवाह हैं कि भारत के पास नृत्य, गायन, चित्रकारी की एक भरी-पूरी सांस्कृतिक विरासत है। इसी कारण भारत के समाज में पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये विधाएं विकसित हुईं; बावजूद इसके क्या आदिवासी युवाओं के कौशल विकास हेतु नियोजित 'रोशनी' योजना में उक्त कलाओं को जगह दी गई? विशेषकर नक्सल-प्रभावित 24 इलाकों के लिए सात जून, 2013 को शुरू की गई 'रोशनी' योजना में प्रति वर्ष 5000 युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। निर्देश था कि 50 प्रतिशत प्रतिभागी युवतियां हों। क्या युवतियों ने अपनी परंपरागत कलाओं को अपने रोजगार का आधार बनाने की मांग की? हैदराबाद के एक स्वयंसहायता समूह को मैंने अपनी परंपरागत पाक कला के बूते सम्मान और आर्थिक समृद्धि की कई सीढ़ियां चढ़ते देखा। पाक कला के लिए आज होटल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यवसाय से लेकर नौकरियों के शानदार मौके मौजूद हैं। ऐसे में पाक कला को नारी सशक्तिकरण का आधार क्यों नहीं होना चाहिए?

मेरी राय है कि सर्व शिक्षा अभियान, ट्राइसैम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसे कई मौके हमारे गांवों के पास हैं। हमें चाहिए कि हम इन मौकों को कला के ज़रिए नारी सशक्तिकरण के मंच में तब्दील करने की संभावनाओं की तलाश शुरू करें। 'स्वाधार घर योजना' विशेषतौर पर वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदियों, विधवाओं, तस्कारी

से पीड़ित, मानसिक विकलांग, बेसहारा तथा प्राकृतिक आपदा पीड़ित महिलाओं को शारीरिक व मानसिक मजबूती देने के लिए वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी। निसंदेह, बेसहारा को घर तो चाहिए, लेकिन यदि किसी बेसहारा के हुनर को एक बार ठीक से सहारा दे दिया जाए, तो उसे फिर कभी अपनी आजीविका के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हस्तशिल्प की भारतीय दुनिया इसका विशेष प्रमाण हैं।

हस्तशिल्प में मौजूद अपार संभावनाएं

कश्मीर की आरी, कशीदाकारी व स्वर्णकारी, चंबा के रुमाल, पंजाब की फुलकारी, अलीगढ़ की फूल-पत्ती, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, खुर्जा का पोंट्री उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी, मऊ की तांत साड़ी, बनारस की जरी वाली साड़ियां, चित्रकूट के काठ-खिलौने, अंबाला-पानीपत की खादी, राजस्थान-गुजरात की बंधेज, राबरी व शीशाकारी, जयपुरी गोटा, जैसलमेर का छापा उद्योग, नाथद्वारा की पिचवाई, उड़ीसा की पिपली, आंध्र प्रदेश की बंजारा एम्ब्रायडरी, कांचीपुरम साड़ियां, तमिलनाडु की टोडा, बंगाल का कांठा, पूर्वोत्तर का रेशम शिल्प और मणिपुर की शामिलामी.... भारत भर में कहीं भी निगाह दौड़ाइए; नारी उड़ान के लिए परंपरागत हस्तशिल्प का आसमान खुला पड़ा है।

सुखद आंकड़ा है कि भारत में हस्तशिल्प निर्यात कमोबेश हर वर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 1986-87 में भारत मात्र 386.7 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प निर्यात करता था। वर्ष 2017-18 में भारत 24392.39 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प निर्यातक बन चुका है। शेष 2000 करोड़ का भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद भारत के अपने बाज़ार में ही खप जाता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हस्तशिल्प इकाइयों की संख्या बढ़कर आज 12.66 लाख हो चुकी है। इनमें करीब 67,000 इकाइयां विशुद्ध रूप से निर्यात



मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स



मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट : सुआलकूची

भारतीय नारियों का दुर्बलीकरण, सामाजिक ढांचे के गलत डिज़ाइन का दुष्परिणाम है। कुम्हार, लुहार, बढ़ई, दर्जी, मोची आदि हुनरमंद कारीगर जातियां पिछड़ी कही गईं। गंदगी फैलाने वालों को ऊंचा तथा सफाई करने वालों को नीचा वर्ग माना गया। समाज को पुरुष सत्तात्मक बनाकर, नारी को दोगुना दर्जा दिया गया। ये सब समाज के गलत डिज़ाइन के कारण ही हुआ है। लिहाजा, भारत में नारियों का सबलीकरण तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन न किया जाए। हमारी परंपरागत कलाएं, भारत के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का प्रभावी माध्यम कैसे बन सकती हैं; असम का सुआलकूची इसका अनुपम उदाहरण है।



सुआलकूची – असम की राजधानी गुवाहाटी से 32 कि.मी. दूर स्थित जिला कामरूप के दो राजस्व गांव—

सुआलकूची और बरमूंड़ी सुआलकूची का गठजोड़ है। 10वीं–11वीं शताब्दी के पाल शासक राजा धर्मपाल ने शिल्प को बढ़ावा देने के लिए शिल्पी समुदाय को तांतीकूची से लाकर सुआलकूची में बसाया था। इस तरह बसा सुआलकूची, मूल रूप से एक शिल्पग्राम ही है। कताई–बुनाई, मिट्टी बर्तन, तेल कोल्हू, स्वर्ण कारीगरी आधारित लघु उद्योग इसकी खासियत रहे हैं। राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह (1603–1641) शासनकाल में महान प्रशासक–मोमई तामुली बारबरुआ द्वारा सुआलकूची को बाकायदा एक रेशम बुनाई गांव के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम शुरू किया गया। राजसी उपयोग के वस्त्र निर्माण का काम, मुख्य रूप से सुआलकूची का जिम्मा हो गया; वह भी सिर्फ तांती समुदाय की महिलाओं का ही जिम्मा। प्रारम्भ में तांती समुदाय की महिलाएं हीं बुनकर थी। कालांतर में कारोबार में इतनी वृद्धि हुई कि पुरुष भी बुनकर बनने को लालायित हो उठे। 1930 के बाद के वर्षों में मछुआरा से लेकर ब्राह्मण समुदाय तक बुनाई के पेशे में शामिल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी मांग के काल में लगभग पूरा सुआलकूची गांव ही बुनकर में तब्दील हो गया। सुआलकूची की 92 प्रतिशत आबादी आज गैर–कृषि कार्य में है। इस 92 प्रतिशत में से 95 प्रतिशत आबादी हैंडलूम और मूंगा उत्पादक गतिविधियों में व्यस्त है। इस तरह अब बुनाई, सुआलकूची का पेशा नहीं, परंपरा है।

सामाजिक रूप से इस बदले ढांचे का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सुआलकूची में आज सबकी पहचान, इनकी जातियों से पहले एक ही है कि यहां सभी बुनकर हैं। इसका लाभ सभी के सबलीकरण के रूप में सामने आया है। आज सुआलकूची में हैंडलूम की ज्यादातर इकाइयां घरेलू दर्जे की हैं। व्यावसायिक हैंडलूम की संख्या करीब 14 हजार है। सूती, सिल्क और खादी वस्त्र उत्पादन की अपनी विशालता के कारण सुआलकूची आज दुनिया के नक्शे में 'मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट' के रूप में खास रुतबा रखता है। मूंगा, इरी और श्वेतपट रेशम पर खास शिल्पकारी में सबसे धनी होने के कारण, सुआलकूची को मिला दूसरा दर्जा मशहूर 'सिल्क विलेज' का है। नौ जनवरी, 1946 को यहां आए महात्मा गांधी ने इसे देखते हुए ही कहा था कि यहां लोग कपड़े पर सपना उतारते हैं।

कहना न होगा कि यह नारियों के हुनर से हुई शुरुआत का ही परिणाम है कि सुआलकूची सिर्फ नारी नहीं, सर्वसबलता का एक अनुपम प्रमाण है। नारी सशक्तिकरण के पैरोकारों को सुआलकूची से सीखना चाहिए।

उत्पादक इकाइयां हैं। कुल इकाइयों के कारण 41.03 लाख कारीगरों को रोजगार उपलब्ध है। इनमें सबसे अधिक यानी करीब 50.57 प्रतिशत इकाइयां तथा 54.35 प्रतिशत रोजगार, टेक्सटाइल हस्तशिल्प उद्योग से संबद्ध हैं।

गौर कीजिए कि बावजूद इस बढ़ोतरी के हस्तशिल्प उत्पादों के कुल वैश्विक कारोबार में भारतीय उत्पादों की भागीदारी अभी भी मात्र दो प्रतिशत ही है। इसलिए संभावनाएं अपार हैं। संभावनाओं को सच में बदलने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद है।

तकनीकी ज्ञान, उन्नयन तथा समन्वय के इसके प्रयास हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों का दस्तकार सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम है। कहना न होगा कि परम्परागत शिल्प और कलाओं से नारी नहीं, बल्कि सर्व–सबलीकरण की संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है तो सिर्फ हथेलियों को आगे बढ़ाकर इन संभावनाओं से अपनी झोली भर लेने की।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ग्रामीण विकास और सामाजिक सरोकार के विषयों पर लिखते रहते हैं।)

ई–मेल : amethiarun@gmail.com

भारतीय महिला जैविक उत्सव – 2017

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय महिला जैविक उत्सव – 2017 का आयोजन किया। ये उत्सव 1 अक्टूबर, 2017 से 15 अक्टूबर, 2017 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें महिला किसानों और उत्पादकों के जैविक उत्पाद प्रस्तुत किए गए। भारतीय महिला जैविक उत्सव अब वार्षिक आयोजन हो गया है और इसमें खान-पान की सामग्री। रसोई उत्पाद, मसाले और सौन्दर्य प्रसाधन सहित जैविक उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। 25 राज्यों से आई महिला किसानों और उद्यमियों ने कुल 1.84 करोड़ रुपये की रिकार्ड बिक्री की। देश के अन्य राज्यों के साथ इस उत्सव में लद्दाख, मणिपुर, सिक्किम और पुडुचेरी की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस उत्सव में 2.3 लाख आगंतुक पहुंचे। जैविक उत्सव का उद्देश्य महिलाओं तथा महिला नेतृत्व वाले समूहों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए स्थानीय समुदाय की अर्थव्यवस्था को समर्थन देना, रोजगार सृजन करना है। उत्सव का उद्घाटन 01 अक्टूबर, 2017 को आईएनए दिल्ली हाट में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया।

जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग वाले खाद्य उत्पाद की तुलना में जैविक खाद्य उत्पादों में अधिक विटामिन, खनिज तथा पौष्टिकता होती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह प्राथमिकता योग्य है क्योंकि इससे उपज लागत में 20-40 प्रतिशत की कमी आती है, किसानों की आय बढ़ती है, गुणवत्ता-संपन्न उत्पाद तैयार होता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बच्चे कीटनाशकों के दुष्प्रभावों का विशेष रूप से शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

उत्तराखंड की सुश्री दमयंति के अनुसार— हमें बहुत खुशी है कि मंत्रालय ने दिल्ली में हमें अपने उत्पाद बेचने का अवसर दिया। हमें अपने उत्पाद दो बार मंगाने पड़े क्योंकि एक सप्ताह के अंदर ही शुरू में बिक्री कर ली थी। इस धन लाभ से मेरी बेटी की आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। मणिपुर की किसान सुश्री थोपचम नालिका देवी ने भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित करने के लिए और मणिपुर का चाखो काला चावल प्रस्तुत करने के लिए हम महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट किया। यह चावल दिल्ली के लोगों के लिए पूरी तरह से नया है। महिला किसान ने एकमुश्त आदेश मिलने और भविष्य में भी मंत्रालय द्वारा आयोजित ऐसे उत्सवों में भाग लेने का अवसर मिलने की आशा प्रकट की।

भारतीय महिला जैविक उत्सव में भाग लेने वाली महिलाओं ने महिला ई-हाट में अपना नामांकन कराया। यह प्लेटफार्म महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करता है।





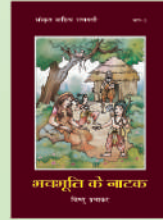
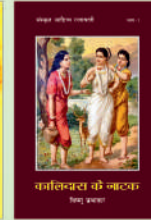
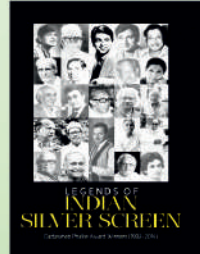
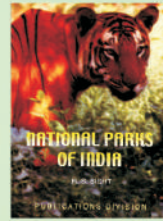
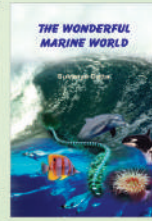
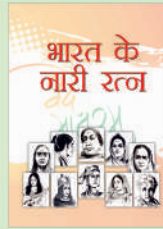
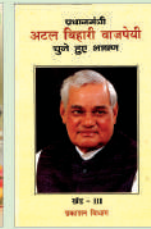
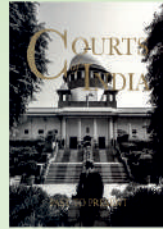
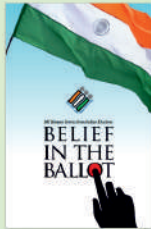
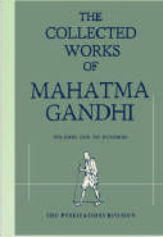
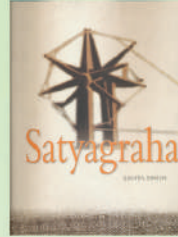
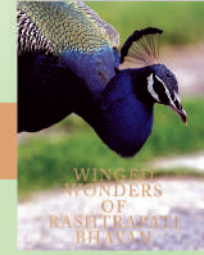
प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

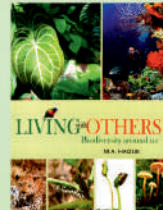
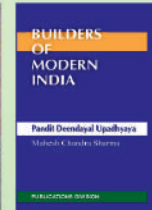
विश्व पुस्तक मेला

प्रगति मैदान, नई दिल्ली
(6-14 जनवरी 2018)
आप सादर आमंत्रित हैं।

**भारत की
सांस्कृतिक धरोहर**
को जन-जन तक पहुंचाती पुस्तकें



गांधी साहित्य, जीवनियां,
बाल साहित्य, पर्यावरण,
कला-संस्कृति और
विविध विषयों की
अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें



हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए संपर्क करें : फोन : 011-24367260, 24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



@DPD_India



www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाहकार सुश्री इवांका ट्रम्प हैदराबाद में 28 नवंबर, 2017 को वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 में

भारत ने 28–30 नवंबर, 2017 को हैदराबाद में आठवें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (जीईएस) — 2017 की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही सुश्री इवांका ट्रम्प ने किया। दक्षिण एशिया में पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में नवाचार और उद्यमशीलता के लिए भारत में सकारात्मक परिवेश पर प्रकाश डाला गया।

ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन (जीईएस) दुनिया भर के उभरते उद्यमियों, निवेशकों और व्यावसायिक नेताओं का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। नेटवर्किंग, सलाह और कार्यशालाओं के माध्यम से, जीईएस उद्यमियों को अपने विचारों को स्थिर करने, साझेदारी बनाने, सुरक्षित फंडिंग और समाज को बदलने में समर्थ अभिनव वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण हेतु समर्थ बनाता है।

इस बार का विषय **‘वुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरेटी फॉर ऑल’** यानी सबकी समृद्धि के लिए पहले महिलाओं की समृद्धि, इस सम्मेलन को खास बनाता है। महिलाएं आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान करने में बेहद समर्थ हैं इसके बावजूद, विकसित और विकासशील सभी देशों में बिजनेस खड़ा करने में उन्हें भारी अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यह शिखर सम्मेलन नवाचारियों विशेषकर महिलाओं को अनुकूल माहौल सहित एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां से वे अपने विचारों को अगले स्तर तक ले जा सकती हैं। यह शिखर सम्मेलन मुख्यतः चार विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है: ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र।

जीईएस 2017 के एजेंडे में ब्रेकआउट सत्र, मास्टर क्लास और वर्कशॉप शामिल थे। ब्रेकआउट सत्र में पैनल के सदस्यों ने मुख्य विषयों, अभिनव उद्योगों और उद्यमशीलता के अन्य पहलुओं पर चर्चा की। मास्टर क्लासेस में गहराई से कुछ चुने हुए विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशालाओं में पैनल के सदस्यों और दर्शकों के बीच चुने हुए विषयों पर परस्पर संवाद हुआ। जीईएस 2017 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में संवाद के अवसरों को बढ़ाने के लिए तीन नेटवर्किंग सत्र भी आयोजित किए गए।

जीईएस 2017 में दुनिया भर के 160 देशों के उद्यमियों, निवेशकों और प्रमुख ज्ञान-आधारित उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से जीईएस सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, और वैश्विक सहभागियों को परियोजनाओं के प्रदर्शन, विचारों के आदान-प्रदान और निवेश हेतु नए अवसर देता है। पिछले जीईएस शिखर सम्मेलनों में बने रिश्ते उद्योगों और क्षेत्रों की सीमाओं के पार जा पहुंचे हैं और उन्होंने विचारों को उद्यमों में बदला है।



Think
IAS...



Think
Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका



करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 3 | अंक 7 | कुल अंक 31 | जनवरी 2018 | ₹ 100

प्रमुख आकर्षण

► महत्त्वपूर्ण लेख ► दू द पॉइंट ► ऑब्जियो आर्टिकल ► टॉपर्स की डायरी ► महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का जस्ट

मुख्य परीक्षा 2017 के मॉडल निबंध



टॉप से रबर
भवानी सिंह
प्रथम स्थान पर चयनित
राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा-2016

टारगेट प्रिलिम्स-2018

**भारतीय
राजव्यवस्था**

अब और भी बेहतर स्वरूप में...

- ✓ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ✓ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ✓ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीजन के लिये 'दू द पॉइंट' सामग्री।
- ✓ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ✓ मुख्य परीक्षा 2017 के सॉल्व्ड निबंध।
- ✓ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ✓ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:

www.drishtiias.com पर विज़िट करें।



To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com